जागो! गणराज्य जागो!!

लोकतंत्र (ग्राम पंचायतों सहित) की मजबूती का अभियान



"हम भारत के लोग,
भारत को एक संपूर्ण
प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा
उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और
राजनैतिक न्याय; विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और
उपासना की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा और अवसर की समता;
प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की
गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के
लिए; दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस
संविधान सभा में आज तारीख
२६ नवंबर, १९४९ ई. को
एतद्‌द्वारा इस संविधान
को अंगीकृत,
अधिनियमित
और आत्मार्पित
करते हैं।"

प्रस्तुति-

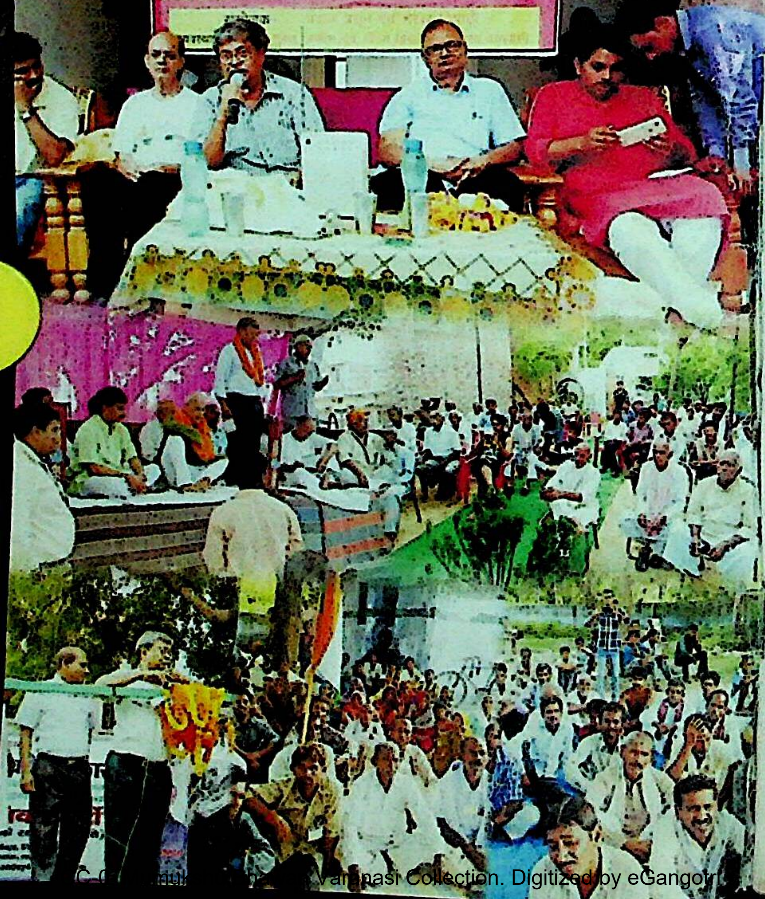
गिरीश पाण्डे



सौजन्य से-

सर्व सेवा ट्रस्ट

"गंदा-मटमैला पानी बह-बह कर
खुद ही रोकता जाता है, बंद करता जाता है
अपने बहने के सभी छेद और स्थान
साफ पानी रास्ता बनाता है।"



जागो! गणराज्य जागो!!

लोकतंत्र (ग्राम पंचायतों सहित) की मजबूती का अभियान



प्रस्तुति :
गिरीश पाण्डे

सौजन्य से :
सर्व सेवा ट्रस्ट

विषय-सूची

मुद्रक ❑ एपेक्स इण्डिया कन्सोर्टियम प्रा. लि.
1/192, विराज खण्ड, जागरण पब्लिक स्कूल के सामने
गोमती नगर, लखनऊ - 226010
मो. 9839686999, 9984568699
ई-मेल : apexindiaconsortium@gmail.com

संस्करण ❑ प्रथम, 2015 ई.

डिस्ट्रीब्यूटर (वितरक) ❑ मानव प्रकाश - 09839020290, चन्दर प्रकाश - 09335912652
यूनिवर्सल बुक स्टोर्स, 82, हजरतगंज, लखनऊ - 226 001

सहयोग राशि ❑ सामर्थ्यवानों के लिए ₹ 20, शेष के लिए अमूल्य (निःशुल्क)

भाग-1

हमारा देश, गणराज्य और संविधान

धरती का यह भू-भाग हमेशा ही खुशहाल और समृद्ध रहा है और रहेगा क्योंकि प्रकृति की असीम अनुकम्पा इस पर रही है। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध एवं सुन्दर पंक्तियाँ है :-

अरुण यह मधुमय देश हमारा
जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को
मिलता एक सहारा
अरुण यह मधुमय देश हमारा।

यहीं पर ग्राम गणराज्यों का उदय हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब देश गणराज्य बना तो यह परिकल्पना की गयी कि देश के सभी गाँव गणराज्य बनेंगे और उनका ही समूह भारत का गणराज्य बनेगा। गण का अर्थ है लोग। तो गाँव के लोगों के हाथों में गाँव की व्यवस्था हो, यह है गाँव गणराज्य तथा देश के लोगों के हाथों में देश की व्यवस्था की जिम्मेदारी हो, यह है देश का गणराज्य या गणतंत्र।

स्वतंत्रता मिलने के बाद उस समय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लोगों की एक संविधान सभा बनी जिसने बड़े शुद्ध और पवित्र मन से संविधान बनाया जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसीलिए 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। दरअसल, 26 जनवरी का पर्व गणतंत्र दिवस भी है और संविधान दिवस भी है। संविधान वह किताब है जिसमें पूरे देश की व्यवस्था कैसी हो, लोगों का चाल-चलन तथा एक दूसरे से व्यवहार कैसा हो, प्रकृति, अन्य जीव जन्तुओं तथा धरती से रिश्ता कैसा हो, यह सब साफ तरीके से लिखा गया है। सरकारें कैसे बनेंगी, कैसे चलेंगी, कौन और कैसे चुनेगा, कितनी तरह की सरकारें होंगी, उनके क्या-क्या विषय और अधिकार क्षेत्र होंगे, सब पर चर्चा है। कौन कौन से कानून देश में रहेंगे, उन पर फैसले किन अदालतों में होंगे, यह भी बताया गया है।

संविधान सभा के सदस्यों ने बड़े मन से कोशिश की कि ऐसा संविधान बनाया जाये जिससे इस देश के सभी लोग अच्छे नागरिक बन जायें तथा एक सूत्र में जुड़ कर एक खुशहाल और अमन चैन से परिपूर्ण भारतीय समाज का निर्माण करें। शायद उनकी मंशा रही होगी -

जुगनुओं को ढूढ़ जोड़ कर सूरज बनाना है,
हर हाल में इस देश-घरा को जगमगाना है।

संविधान सभा के अध्यक्ष बाबू राजेन्द्र प्रसाद थे और संविधान सभा के अन्तर्गत उसकी मसौदा लेखन कमेटी के चेयरमैन डा. बी. आर. अम्बेडकर थे।

संविधान शासन व्यवस्था चलाने का एक ठोस ढाँचा तो देता ही है, साथ ही वह इस बात के लिए सजग भी है कि देश, काल और परिस्थितियों में लगातार परिवर्तन होते रहेंगे, जिसकी वजह से समय-समय पर संविधान में परिवर्तनों या संशोधनों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए उसमें संशोधन की व्यवस्था है और अब तक 98 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। संविधान निर्माताओं ने एक जीवंत, गतिशील तथा समरसता से भरे हुए संविधान

का निर्माण किया और आशा की कि भविष्य में हम भारत के लोग, सुखी, समृद्ध एवं विवेकशील होंगे। सच्चे अर्थों में संविधान स्वतंत्र भारत की आत्मा है।

लेकिन आज जब किसी से बात कीजिए तो सुनने को मिलता है, जमाना खराब आ गया है। कलियुग है। अब तो अच्छे काम का भी बुरा ही नतीजा मिलना है, अब अच्छे काम करने का क्या फायदा? मेरी एक कविता है-

'वह भी जमाने को बुरा कहने लगा है/लगता है वह भी/बुरे माहौल में रहने लगा है।'

आप अपने माहौल से जरा सा हट कर देखिये, समय और जमाना अच्छा महसूस होने लगेगा। यदि आप अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हमारा संविधान अच्छा है, विराट सृष्टि अच्छी है तथा ईश्वर अच्छा है तो फिर जमाना कैसे खराब हो सकता है? ईश्वर आज भी अच्छे बच्चों को धरती पर भेज रहा है, आज भी बीज बो दीजिए, पौधे उग आते हैं, फूल खिलते हैं, फल लगते हैं, फिर जमाना कैसे खराब है? जब मैं यह बात कहता हूँ तो लोग अकसर कहते हैं – हम कैसे मान लें जमाना अच्छा है जब हमारी शासन व्यवस्था खराब है? सभी लोग सरकारी नौकरियाँ तो पाना चाहते हैं लेकिन सरकारी दफ्तरों, सरकारी स्कूलों, सरकारी अस्पतालों से दूर भागना चाहते हैं, ऐसा क्यों है?

उसके लिए मेरे उपन्यास 'विन-विन-विन द आर्फन वे' जो कि 2010 में चेन्नई से छपा था का अंश आपके सामने रख रहा हूँ, उसका नायक एक अनाथ बच्चा है जो सड़क के किनारे पड़ा मिलता है जिसका नाम है 'संभव'। अनाथ बच्चे को नायक इसीलिए बनाया क्योंकि उसे अपनी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र कुछ भी नहीं पता है, वह किसी एक खांचे में बंद होकर किसी पूर्वाग्रह से नहीं सोचता है। वह सबसे जुड़ाव महसूस करता है। वह संविधान की आत्मा के अनुरूप जीता है और लगातार कार्य करता है, वह संविधान के सच्चे पुत्र के रूप में जीता है। उसी उपन्यास का एक अंश प्रस्तुत है -

"संभव को पूरा विश्वास था कि अब समय आ गया है जब चुनाव पद्धति से अच्छे लोग जीत कर आएँगे। अच्छे लोगों और जनता के सम्मिलित प्रयत्नों से ऐसा सम्भव हो सकेगा। अच्छे लोग राजनीति में प्रवेश करेंगे, जनता ऐसे तत्वों को प्रोत्साहित करेगी और वे लोग चुनाव जीतेंगे। एक बार सम्भव ने अपने मित्रों से, जो उसे चारों ओर से घेर कर बैठे थे, कहा, कि अधिकतर बड़े परिवर्तन और क्रान्तियाँ तभी होती है, जब उनका मौसम आ जाता है। उदाहरण के लिए, भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन वह समय आजादी के लिए न केवल भारत के लिए परिपक्व हो चुका था वरन् दुनिया के लगभग सभी-देशों को उस अवधि में 10-15 वर्षों के भीतर आजादी मिली। इसी प्रकार लोकतन्त्र के पूर्ण विकास के लिए अब मौसम आ गया है। अधिकांश देशों में 1950 के लगभग लोकतन्त्र का प्रारम्भ हुआ था और ये सारे लोकतन्त्र अब 60-65 वर्ष के हो रहे हैं। सम्भव हमेशा देश में लोकतन्त्र की स्थापना की तुलना जमीन में हैण्डपम्प के लगाने से किया करता था। जब एक हैण्ड पम्प लगाया जाता है और उसका काम करना शुरू होता है तब सबसे पहले आपको ऊपर से साफ पानी डालकर कुछ समय तक निरन्तर चलाना पड़ता है। पम्प को कुछ समय तक चलाते रहने के बाद, जमीन की निचली परत से पानी निकलना शुरू होता है। शुरू-शुरू में पानी मटमैला होता है, गन्दा होता है, पीने लायक नहीं होता, लेकिन जैसे-जैसे और समय तक पम्प चलाते रहते है, धीरे-धीरे साफ पानी,

शुद्ध पानी आना शुरू होता है।

ऐसा ही हमारे लोकतंत्र के साथ भी हुआ। जब लोकतंत्र की स्थापना हुई, प्रारम्भ में ऊपर से साफ पानी के रूप में, स्वतन्त्रता सेनानियों और उन सबको जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में सहयोग दिया था, डाला गया या आ गये। बाद में और पम्प चलाने पर, अर्थात् कई सारे चुनावों के बाद, आम जनता से साधारण लोग आने शुरू हुए। यह प्रक्रिया सत्तरवें दशक के लगभग मध्य से शुरू हुई। पर शुरू में शुद्ध पानी नहीं आया, खराब लोग, माफिया, लालची लोग, संवेदना रहित लोग, लोभी लोग, अपराधी लोग चुनावों में जीतते रहे। यह गन्दा पानी निकलने की प्रक्रिया अभी तक बनी हुई है, लेकिन बालू और मिट्टी का अनुपात समय के साथ-साथ और प्रत्येक चुनाव के साथ घट रहा है। लेकिन थोड़ा और पम्प चलाने के बाद, याने एक या दो चुनावों के बाद, अन्ततः अच्छे, संवेदनशील और जिम्मेदार लोग इस पद्धति से विजयी होने लगेंगे।

जैसा कि हैण्ड पम्प में होता है, छः से दस घण्टे शुद्ध पानी निकलने में लग जाते हैं इसी प्रकार लोकतन्त्र की स्थापना के बाद उसे परिपक्व होने में 60 से 70 वर्ष लग जाते हैं। शुरू में 30-35 वर्ष तक तो स्वतन्त्रता संग्राम के जो नेता थे वे इस राजनीतिक प्रक्रिया में आये और उसके बाद आगे के 30-35 वर्ष बलुहे, मटमैले पानी की तरह के राजनीतिक लोग इस पद्धति से निकलकर सामने आए। इस अवधि में अपराधी, लोभी, माफिया जैसे लोग बहुमत में जीत कर आए। अब 2010-2015 के बाद शुद्ध साफ पानी निकलेगा, अर्थात् अच्छे संवेदनशील, सबका भला सोचने व करने वाले और प्रतिभाशाली लोग, अच्छे व्यक्तित्व वाले नेता इस राजनीतिक प्रक्रिया से निकलकर सामने आएँगे और यह केवल भारत में नहीं उस समय उत्पन्न हुए सभी लोकतन्त्र वाले देशों में होगा जो 1940 से 1950 के बीच उभर कर प्रकाश में आए थे। उनमें 10-20 वर्षों के अन्तराल हो सकता है। एक राष्ट्र के जीवनकाल में 60 या 70 वर्षों का कोई भी विशेष अर्थ नहीं होता। अब समय आ रहा है कि शुद्ध पानी निकलना शुरू होगा और 1950 के आस-पास संस्थापित जितने लोकतन्त्र हैं उनमें अच्छे लोग व्यवस्था में आने लगेंगे।

लेकिन शुद्ध पानी के लगातार निकलने के लिए हैण्ड पम्प में फिल्टर की जरूरत पड़ती हैं उसी प्रकार राजनीति और सरकारी तन्त्र में निरन्तर अच्छे लोग आते रहें इसके लिए वहाँ भी फिल्टर लगाने पड़ेंगे। सूचना के अधिकार का अधिनियम, जनता की ओर से निगरानी, समस्त सरकारी कार्यवाहियों की सामाजिक आडिट और निर्णय करने की प्रक्रिया में विरोधी दलों और विरोधी प्रत्याशियों को शामिल करना, ये कुछ फिल्टर हैं। हमें दूसरे फिल्टरों के बारे में भी सोचना होगा। सबसे जरूरी फिल्टर है जनता की जानकारी विशेषकर संविधान की जानकारी, आँख का खुला रखना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करना आदि।

कुछ देशों में लोकतन्त्र लड़खड़ा रहे हैं और कभी-कभी सेना को शासन की बागडोर सम्भालनी पड़ती हैं लेकिन यह स्थिति अपवाद है और अन्ततः लोकतन्त्र बरकरार रहेगा।"

शुद्ध, साफ पानी आने या लोकतंत्र की शुद्धीकरण का एक बहुत बड़ा कारण है हर चुनाव के बाद जनता का थोड़ा और भी अधिक समझदार, अनुभवी व जागृत हो जाना। अब तक हम सब ने देख लिया जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, धन

के आधार पर या मीडिया के चमक दमक और प्रचार के आधार पर या जिताऊ प्रत्याशी के आधार पर वोट देकर कि इन सब आधारों पर जीते प्रत्याशियों ने किसी का भला नहीं किया। क्योंकि यदि हम किसी भी सीमित सोच या दायरे के प्रत्याशी को वोट देते हैं तो वह फिर और सीमित दायरे का हो जाता है, वह अपनी जाति का भी न होकर अपने परिवार तथा अपने तक सीमित हो जाता है। जनता ने ट्रायल एण्ड एरर, बार-बार के अनुभवों और भटकावों के बाद, हर गलत मुद्दों पर वोट देने का परिणाम भुगतने के बाद यह समझ लिया है कि अब अच्छाई और संवेदना के आधार पर वोट देना ही एक रास्ता बचा है। जैसे कोई बच्चा जब सारे गलत तरीकों से कोई सवाल हल करने की कोशिश कर लेता है, तो अंत में सही तरीके से हल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। तो अब जनता के पास भी अच्छाई के आधार पर चुनने या वोट देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है खुशहाली का, देश को मजबूत करने का तथा संविधान के आदर्शों की स्थापना का।

इन्हीं भावों को निरूपित करता एक शेर है जो उसके मतले के साथ प्रस्तुत है -

कोई चुंबक किसी लोहे को यूं ही नहीं खींचता है
पहले वह उसे चुंबक बनाता है फिर खींचता है।
हमारा जनतंत्र बहुत कुछ हैंडपम्प की तरह होता है
पहले गंदा, मटमैला फिर बाद में साफ पानी खींचता है।

मुझे सदैव से लगता रहा है कि हमारे देश में तरह-तरह की कथायें तो होती रहती हैं लेकिन 'संविधान कथा' नहीं होती। जबकि संविधान वह किताब है जो केवल हम सबको शासित और निर्देशित ही नहीं करती बल्कि जोड़ती भी है। इसलिए देश के हर भाषा, हर प्रान्त, हर गांव, हर शहर में संविधान कथाओं की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से पिछले जून से हम लोगों ने गांव-गांव जाकर संविधान कथायें कहनी शुरू की। जब हजारों गांव वालों से जिसमें महिलायें पुरूष तथा बच्चे सभी शामिल होते, कहता कि 'आप में से जिन-जिन लोगों ने 'संविधान' या 'भारत का संविधान' का नाम सुना हो, हाथ उठायें', मुश्किल से 2 या 3 हाथ उठते। फिर संक्षेप में संविधान के बारे में बताता, संविधान की बातें बताता। लोग बहुत रूचि से सुनते। उनकी आंखों में चमक, उत्सुकता, खुशी तथा मन में विश्वास आने लगता। हाँ उन्हें संविधान के बारे में सरल शब्दों में, उन्हीं की भाषा में समझाता, बताता। उन्हीं अनुभवों से यह महसूस हुआ कि सरल शब्दों में एक ऐसी पुस्तिका की जरूरत है जो मूल भूत बातों को लोगों तक पहुँचाये। यह पुस्तिका उसी एहसास और जरूरत का परिणाम है। मुझे विश्वास है कि हम सब इस प्रयास में सफल होंगे। मुनव्वर राना एक शेर याद आता है :-

'वतन की रेत मुझे ऐड़ियाँ रगड़ने दे / मुझे यकीं है पानी यहीं से निकलेगा।'

संविधान के मूल कर्तव्य की उपधारा (ञ) के अनुसार भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले। अच्छी व्यवस्था, संसद, विधानसभाएं व ग्राम पंचायतें लाना, सामूहिक उत्कर्ष की ओर बढ़ने के लिए, हर नागरिक का मूल कर्तव्य हो जाता है। ●

भाग-2

संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य

51क. मूल कर्तव्य--भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले;

(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

1. यहां ध्यान देने की बात यह है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे तथा उसके आदर्शों का आदर करे। किसी को भी छूट नहीं है। हर नागरिक का, बिना किसी को छोड़े हुए, प्रथम कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे। लेकिन पालन करने और आदर करने की पहली जरूरत या शर्त है 'जानना'। जब तक सभी लोग संविधान को जानेंगे, नहीं, समझेंगे नहीं हृदयंगम नहीं करेंगे तो उसका पालन और उसके आदर्शों का आदर कैसे करेंगे?

और जब अधिकांश लोगों ने 'संविधान' का नाम भी नहीं सुना है तो वे जानेंगे कैसे या जानने की जरूरत कैसे महसूस करेंगे। यह जरूरत तो वही महसूस करेगा जो संविधान के मूल कर्तव्यों को पढ़ा होगा। तो संविधान को हर नागरिक को पढ़ाने तथा उसके बारे

में बताने की जिम्मेदारी किसकी है? संविधान के अनुसार बनी संस्थाओं, भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार, राज्यपालों, राज्य सरकारों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों तथा सरकारों से सहायता प्राप्त संस्थानों की ही तो सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि संविधान का ज्ञान जन-जन तक पहुँचायें। यदि यह काम अब तक नहीं हुआ तो अब तो एक अभियान की तरह, एक यज्ञ की तरह शुरू हो जाना चाहिए। क्या यह जरूरी नहीं है कि संविधान की छोटी सी सरल किताब या गुटका हर घर में हो, जिस तरह धार्मिक किताबें हर घर में होती हैं तथा आदरपूर्वक पढ़ी व रखी जाती हैं। छोटी कक्षाओं में संविधान की थोड़ी सी जानकारी नागरिक शास्त्र में दी जाती है, लेकिन वह इतिहास और भूगोल के साथ होने के कारण बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं। संविधान तथा संवैधानिक विचारों को अलग से अनिवार्य रूप से पढ़ाने की जरूरत है।

2 (घ) देश की रक्षा करने का मतलब केवल सीमाओं पर लड़ना ही नहीं है। जो भी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन व वहन कर रहा है, वह देश की रक्षा ही कर रहा हैं जो सही टैक्स दे रहा है, जो सरकारी सेवा में है अपना दायित्व ईमानदारी से निभा रहा है, जो जज है और सही फैसले दे रहा है, जो सांसद, विधायक या गाँव सभाओं, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायत, नगर पालिकाओं के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यदि बिना किसी भेदभाव के व धन को बर्बाद किये या कमीशन लिये दिये बगैर जनता की सेवा कर रहे हैं, या जो व्यापारी, किसान, प्रोफेशनल, शिक्षक, मजदूर किसी भी वर्ग के हों, यदि अपने क्षेत्र में बिना किसी नोच खसोट के या कामचोरी किए हुए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो सभी देश की रक्षा कर रहे हैं। रही बात टैक्स देने की, टैक्स देना हमारी जिम्मेदारी का आधा हिस्सा है, जो शेष आधा हिस्सा है, वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। और वह आधा हिस्सा है ऐसी व्यवस्थायें चुनना, ऐसे लोगों को चुनना, या ऐसे लोगों को चुने जाने का माहौल या वातावरण बनाना कि जो हमारे दिये गये टैक्सेज़ या करों के एक भी पैसे का दुरुपयोग न तो करें और न ही होने दें।

3 (ङ) किसी भी जाति, धर्म, समूह, आर्थिक स्थिति, भाषा, प्रदेश, क्षेत्र, लिंग, अवस्था के बारे में अभद्र, असम्मानजनक, अमर्यादित या चोट पहुँचाने वाली टिप्पणी करना या अपमान करना संविधान के इस मूल भावना के विपरीत है। ऐसी टिप्पणियों पर संविधान के उल्लंघन का दोषी होने के अपराध में कार्यवाही हो सकती है। समरसता बनाये रखने की जिम्मदारी प्रेस तथा मीडिया की भी है। यदि कहीं कोई गलत व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो लोगों को बताने के लिए छोटी सी खबर दी जा सकती है लेकिन क्या जरूरी है उस गलत व्यक्ति की बड़ी सी फोटो के साथ चटखारे ले ले कर न्यूज दी जाये? हम क्यों गलत लोगों को महिमामंडित कर रहे हैं। यह तो वही बात हुई कि 'बदनाम जो होंगे तो क्या नाम न होगा?' फिर बदनामी से डरेगा कौन? और इतनी गलत चीजों को लगातार परोसने का फल जनता पर क्या होता है? एक मानसिकता बनती है कि अधिकांश लोग गलत हैं जबकि सच यह है कि अधिकांश लोग अच्छे हैं। इसलिए मीडिया को सकारात्मक होना होगा ताकि समरसता बनी रहे। बांटने वाली भड़काऊ बयानबाजी को बहुत ज्यादा स्थान या बढ़ा-चढ़ा कर पेश करने से बचना होगा।'

एक मीडिया के सेमिनार में कानपुर में तो मैंने यहां तक कह दिया था कि यदि मीडिया ने नकारात्मकता परोसना बंद न किया तो हर अखबार और चैनल वालों को एक वैधानिक चेतावनी देना अनिवार्य करना पड़ेगा। जैसे सिगरेट के हर पैकेट पर लिखा होता है 'सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है' वैसे ही हर अखबार व चैनल वालों को लिखना

होगा 'यह अखबार पढ़ना या चैनल देखना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आप अपनी रिस्क या जोखिम पर ही पढ़ें या देखें। समाज उतना बुरा नहीं है जितना हम अपने व्यवसायिक कारणों से दिखा रहे हैं।'

पेड मीडिया तथा मीडिया में प्रचार-प्रसार और मीडिया द्वारा निर्मित छवियों के आधार पर भी वोट देकर जनता भुगत चुकी है। इसलिए अब जनता अपने अनुभवों पर अधिक विश्वास करेगी। यही बात अन्य तरह के विज्ञापनों के विषय में भी सच है। आजकल एक बात देखने में आ रही है। अखबारों के शुरू के एक दो पन्ने विज्ञापनों से भरे रहते है। प्रश्न उठता है कि अखबार का मूल उद्देश्य क्या है खबर या विज्ञापन? यदि खबर है तो प्राथमिकता खबर को दीजिए, बीच-बीच में विज्ञापन भी देते रहिए, खबरों को तीसरे, पांचवें पेज पर ढकेल देना यह तो सरासर पाठकों का अपमान है। यह इस बात को भी दर्शाता है कि अखबारों की प्रतिबद्धता सच के लिए नहीं, विज्ञापनों के लिए ही, पैसे के लिए ही रह गयी है। बहुत से मेरे मित्रों ने उन अखबारों को मंगाना बंद करने का फैसला किया है जो शुरू के पन्नों पर पूरे पेज का विज्ञापन मात्र दे रहे हैं।

(ङ) और (छ) दोनों मिलकर हमें सबसे जुड़ने की बात कहते हैं, समाज से, देश से, प्रकृति से और जुड़ने-जोड़ने की कीमिया है 'संवेदन शीलता'। यहां समझने-समझाने के लिए दो छोटी-छोटी कवितायें जरूरी हैं -

दर्द से अहम् ब्रह्मास्मि

ईश्वर ने यह सबसे बड़ी निधि
सबसे बड़ा उपहार
जो हमें दिया है
जिसकी वजह से हमारा शरीर
वैसे ही बना हुआ है
जैसा कि था जन्म के समय में;
हाँ थोड़ा बहुत बढ़ जरूर गया है;
लेकिन अनुपात वही है;
यह निधि है पीड़ा, दर्द।
दर्द महसूस होता है
इसलिए हम छेड़छाड़ नहीं करते
शरीर को दर्द महसूस होता है
इसीलिए हम बचाने की कोशिश करते हैं
देखभाल करते हैं।
जहाँ पीड़ा नहीं महसूस होती
हम अहंकार के नाम पर
अलग दिखने के नाम पर
क्या-क्या भेष और स्वांग बनाते हैं
बालों को काटने में दर्द नहीं होता
तो कितने-कितने चित्र-विचित्र
बालों के स्वरूप मिलते हैं,
डिजाइनें मिलती हैं।

यदि शरीर को दर्द नहीं मिला होता
तो आज हमारे सामने
कितने-कितने तरह के शरीर होते
कितने रूप
कितनी डिजाइनें।
तो पीड़ा ने ही
हमारे शरीर को सीमा दी है,
विस्तार दिया है,
और परिभाषा दी है।
हमारा शरीर वहाँ तक है
हम वहाँ तक हैं
जहाँ तक हमें पीड़ा महसूस होती है।
यदि अब हम अपने शरीर से
बाहर की यात्रा करें
तो दर्द की जगह पर वह ईश्वरीय उपहार
रूप ले लेता है संवेदना का,
दूसरे का दर्द महसूस करने की क्षमता का।
हम जिसका भी दर्द महसूस करते हैं
वह हमारे शरीर का हिस्सा हो जाता है,
हमारा विस्तृत शरीर हो जाता है।
हमारा विस्तार वहाँ तक है
हम वहाँ तक हैं

हमारा विराट शरीर वहाँ तक है
जहाँ तक की संवेदना हमें महसूस होती है।
यदि हम अपनी संवेदना के
विस्तार को बढ़ाते जाएं
यहां तक कि
सारा समाज, सारे लोग
सारा विश्व, पूरी प्रकृति
और सारा ब्रम्हाण्ड उसमें शामिल हो जाए
सबकी संवेदना हम महसूस कर सकें
सबसे जुड़ाव हम महसूस कर सकें
तो पूरा ब्रम्हाण्ड हमारा शरीर हो जाता है
हमारा विस्तार हो जाता है;
और फिर हम महसूस कर सकते हैं
अहम् ब्रम्हास्मि।
हम ब्रम्ह हैं
हम ब्रम्हाण्ड हैं। ❑

भविष्य का धर्म'

बचेगा आदिवासी ही
बचेगा ग्रामवासी ही
बचेगा वनवासी ही
क्योंकि उसने प्रकृति को चुना है,
ईश्वर को चुना है;
वनवासी राम तो रावण को हरा देते हैं
लेकिन अयोध्या के राजा राम को
वनवासी लवकुश से हारना पड़ता है।
निश्चय ही जीतेगा वन ही,
बचेगा वनवासी ही
और पर्यावरण संतुलन ही होगा
भविष्य का धर्म। ❑

और सबसे जुड़ना ही योग है। योग का असली अर्थ है जोड़ना-जुड़ना, जोड़ते चले जाना, जुड़ते चले जाना। जब हम समस्त परिवार, समाज, प्रकृति, देश, धरती और सृष्टि से जुड़ाव महसूस करते हैं तब हम योग कर रहे होते हैं।

और इस योग का कीमिया या फेविकोल है संवेदना। जब हम सबके सुख-दुख को अपना समझते हैं तभी हमारा सबसे जुड़ाव होता है। हमारा हाथ तभी बाकी शरीर से स्वस्थ रूप से जुड़ा है जब वह बाकी शरीर के प्रति संवेदनशील है, यदि वह बाकी शरीर के प्रति संवेदनशील नहीं है तो या तो बीमार है उसे लकवा हो गया है या वो बाकी शरीर से अलग हो गया है, अब जुड़ा ही नहीं है। तो योग का वास्तविक अर्थ है सबसे जुड़ना, जुड़ाव महसूस करना संवेदना के साथ, संवेदना के द्वारा। और इसका उल्टा है बांटना, बंटना, बांटते चले जाना तरह-तरह के खांचों में, जाति के, धर्म के, क्षेत्र के, भाषा के, वर्ग के और न जाने कितने अनगनित खांचे।

योग को समझने के बाद ही ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग का वास्तविक अर्थ समझ में आता है।

अपनी बुद्धि द्वारा सृष्टि में व्याप्त एकात्म का एहसास, पूरी सृष्टि एक विराट जीवंत शरीर है और हम उसके जीवंत अंग हैं इस सच्चाई का एहसास ज्ञान योग है।

पूरी सृष्टि के प्रति प्रेम, समर्पण, श्रद्धा, संवाद और संवेदना का भाव रखना ही भक्ति योग है।

पूरी सृष्टि के प्रति संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करते हुए कार्य करना, सर्वहित में कार्य करना, सबके सुख-दुख को समझना, सबका ध्यान रखना, किसी को विरोधी न मानना, किसी को पीड़ा न पहुंचाते हुए यथासंभव जीवन यापन करना यही कर्मयोग है।

वास्तव में ज्ञानयोग, भक्तियोग और कर्मयोग तीनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं और जीवन में पूर्णता और आनन्द तभी आता है जब तीनों योगों को समझा और उन पर एक साथ अमल किया जाता है।

सभी धर्मों का मूल एक ही है, सबके प्रति संवेदना और सही राह पर चलना। मैंने

अपनी किताबों में गायत्री मंत्र का हिन्दी रूपान्तर दिया है। मुझे खुशी हुई जब एम. वाई. अन्सारी साहब, मेम्बर, यू.पी. पब्लिक सर्विस कमीशन, ने मेरी किताब में गायत्री मंत्र का हिन्दी रूपान्तर देख-पढ़कर यह नोट लिखकर दिया। ''यह मंत्र डॉ. इकबाल को भी बहुत पसन्द था और इसके भाव को बहुत पसन्द करते थे। इस मंत्र पर डॉ. इकबाल ने बागे दिरा में एक नज़्म 'आफ़ताब' कही है। यह गायत्री मंत्र का जो आपने अनुवाद किया है, इसमें सर्वरक्षक परमात्मा रब्बिल आलमीन है, दुख विनाशक रहमानुर्रहीम है और शुभ कार्यों हेतु बुद्धियों को प्रेरित करने वाला 'सिराते मुस्तकीम' सीधा रास्ता दिखाने वाला है। यह करीब-करीब पवित्र कुरआन की 'सूरः फ़ातेहा' से कितनी मिलती है। इससे (गायत्री मंत्र और सूरः फ़ातेहा को एक साथ पढ़ने से) यह संदेश है कि श्रुतियों और इलहामी दीन ने एक ही पाठ पढ़ाया है और भिन्नता हम मनुष्यों की पैदा की हुई है।

समय के साथ परिभाषाओं को भी बदलने की जरूरत है। जैसे देश काल के अनुसार संविधान में संशोधन हुए हैं, वैसे ही परम्पराओं में भी संशोधन की आवश्यकता है। जब पेड़ और जंगल बहुत थे और बहुत मुश्किल से लकड़ियों को रगड़ने से आग पैदा होती थी तो किसी तरह से उस आग को बचाये रखने के लिए लकड़ियाँ लगातार जलायी जाती थी ताकि आग बची रहे, जंगली जानवरों और कीड़े पतिंगों से रक्षा हो सके। आज जब हम घरों में सुरक्षित रह रहे हैं तो फिर गैर जरूरी तरीके से लकड़ी जलाना यज्ञ नहीं है, बल्कि पेड़ लगाना और पेड़ बचाना यज्ञ है। अब हमें अपने मंत्रों में भी संशोधन करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। 'वीर भोग्या वसुंधरा' के स्थान पर अब शास्वत मंत्र होगा - 'सर्व पूज्या वसुंधरा।'

इसी प्रकार आज नदियों को बचाने के लिए नदियों को गहरा करने के यज्ञ की आवश्यकता है। हमारी सभी नदियां छिछली होती जा रही हैं जिसकी वजह से उनमें पानी धारण करने की क्षमता कम होती जा रही है। इसलिए जब ये नदियां शहरों या कस्बों से गुजरती हैं तो उनके नालों या फैक्ट्रियों के वेस्ट जब नदियों में गिरते हैं तो चूंकि नदियों का अपना पानी कम रहता है इसलिए उन गिरते हुए नालों की वजह से उनमें पानी प्रदूषित हो जाता है। सभी नदियों में वैसे तो पहाड़ों से मिली हुई तमाम जड़ी-बूटियां तथा तत्वों और खनिजों (मिनरल्स) के द्वारा अपने पानी को साफ करने की प्रक्रिया चलती रहती है। गंगा में स्वयं शुद्धिकरण की प्रक्रिया सबसे तेज रहती है इसीलिए गंगाजल सालोंसाल रखने के बाद भी खराब नहीं होता, उसमें फंगस या सड़न नहीं होती। लेकिन जब नदियां में गिरते हुए नालों की गंदगी की वजह से प्रदूषण का स्तर एक क्रिटिकल लेवल से ऊपर हो जाता है तो नदियों का जल आदमियों, जानवरों और पानी के अंदर रहने वाले सभी जीव-जंतुओं के लिए खतरा बनने लगता है। इसके लिए जरूरी है कि नदियां इतनी गहरी हों कि उनमें उनका अपना पानी इतनी मात्रा में रहे कि नालों से गिरने वाला पानी का अनुपात कभी भी खतरनाक स्तर से अधिक न होने पाये और उनकी स्वयं शुद्धिकरण की प्रक्रिया अनवरत चलती रहे। इसके लिए जरूरी है कि नदियों को गहरा किया जाये और उनकी पानी को धारण करने की क्षमता को बढ़ाया जाये।

साथ ही साथ हम देखते हैं कि वर्तमान समय में देशवासियों की शक्ति, श्रद्धा विश्वास बढ़ता ही जा रहा है और पिछले दस-बारह साल से यह ऊर्जा और विश्वास कांवरियों के रूप में परिलक्षित हो रही है, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तो यह संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। संख्या इतनी अधिक हो गई है कि दिल्ली से मेरठ होते हुए हरिद्वार तक के रास्ते को ट्रैफिक उनके लिए सावन माह भर बन्द करने पड़ते हैं। इसी तरह से बिहार और देश के अन्य भागों में भी कांवरियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ी है।

अगर हम दोनों चीजों को एक साथ गहराई में और सम्पूर्णता से सोचें, नदियों का छिछला होना और कांवरियों की श्रद्धा और विश्वास। यह बहुत ही सहज और प्राकृतिक हल की तरफ संकेत करता है और वह हल यह है कि कांवरियें अपने बहँगों के दोनों कलश में पानी ही न लेकर न चलें बल्कि एक कलश में जल और दूसरे कलश में वहीं नदी के तल से मिट्टी लेकर निकलें। पानी को शिव के ऊपर जिस प्रकार चढ़ाते रहते हैं, ले जाकर चढ़ायें और उपजाऊ मिट्टी को अपने खेतों, लान और जहां भी उचित लगे प्रयोग करें। इस तरह अगर करोड़ों कांवरिये सालोंसाल यह यज्ञ करेंगे तो बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के नदियां स्वयं ही गहरी होती चली जायेंगी और नदियों का पानी साफ रहेगा और नदियां स्वस्थ रहेंगी।

कहा जाता है कि गंगा और अन्य नदियों का जल शिव पर लाकर इसलिये चढ़ाया जाता है कि शंकर ने विष पी लिया तो इतनी गर्मी उन्हें महसूस हुई कि ठंडक देने के लिए नदियों का जल लाकर उन पर डाला गया और वही परम्परा अभी भी चली आ रही है। लेकिन आज स्थितियां उल्टी हैं। आज खतरा भगवान शंकर को विष से नहीं रह गया है क्योंकि उन्होंने तो अब उसको बखूबी अपने गले में धारण कर लिया है आज विष का खतरा हमारी नदियों को हो गया है। जो नदियां शंकर को बचाने के काम में आ रही थीं, आज वे बेचारी खुद विष का शिकार हो रही हैं, इसलिए हम सबको भगीरथ बनकर नई तपस्या करनी होगी। शायद नदियों को गहरा करने के लिए एक कलश में पानी और एक कलश में मिट्टी लेकर चलना एक अच्छा नया भागीरथ प्रयास होगा। यह सच है कि यदि नदियां नहीं रहेंगी तो हम भी नहीं रहेंगे, इसलिए नदियों को बचाने का यह शायद अन्तिम मौका हमारे पास है।

मिट्टी और पानी की आवाजाही कोई नई बात नहीं है। जब मैंने अपने इस विचार पर अपने दक्षिण भारत के मित्रों से चर्चा की तो उन्होंने मुझे एक संस्कृत का श्लोक सुनाया। वह श्लोक तो अभी मुझे याद नहीं है किन्तु उसका भाव यह था कि जब दक्षिण भारत से कोई प्रयाग आने लगता था तो उससे यह उम्मीद की जाती थी और यह पुण्य माना जाता था कि वह कन्याकुमारी से तीनों समुद्रों के संगम से एक कलश रेत लेकर प्रयाग आये और प्रयाग से उसी कलश में जल लेकर कन्याकुमारी जाकर वहां विसर्जित करे। यानी एक तरफ कलश में रेत दूसरी तरफ जल। आज देश, काल, परिस्थितियां हमें विचार करने को मजबूर करती हैं कि बहँगे या कांवर के दोनों कलशों में से एक में जल और एक में मिट्टी लेकर चलें ताकि हम अपनी नदियों को बचा सकें।

आइये आप सबका आह्वान है कि अब इस तरह की नई कांवर यात्रा करें और यथासम्भव नदियों को प्रदूषण से बचाने और गहरा तथा स्वस्थ करने का प्रयास करने में लग जायें।

4. (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हर नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। आज जो तरह-तरह की ठगी अंधविश्वासों की वजह से हो रही है वह सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण आने पर अपने आप बंद हो जायेगा। सुरेन्द्र सिंघल जी की एक गजल है –

मेरी मेहनत तेरी मेहनत बीच में कोई न था/ थी जरूरत भर की आदत बीच में कोई न था।
तूँ कहाँ किस खला से आन टपका ओ खुदा/ वरना मैं था और कुदरत, बीच में कोई न था।
जातियाँ मजहब नहीं थे, मैं था मैं और तू भी तू/ और एक दूजे की चाहत, बीच में कोई न था।
पादरी, पंडित न मुल्ला थे, न जन्नत के दलाल/ वरना दुनिया खुद थी जन्नत, बीच में कोई न था।

आज तमाम लोग ढोंगी बाबाओं के चक्कर में अपनी धन-दौलत तो क्या जीवन तक बर्बाद कर रहे हैं। यदि लोग अपने ज्ञान, सूझ-बूझ, मेहनत और संविधान पर विश्वास रखें तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा।

अंधविश्वास कैसे-कैसे पनपे हैं, उसका एक उदाहरण देना चाहूँगा।

प्राचीन समय में जब हम जंगलों में रहते थे और जंगल में जा रहे होते थे, तब यदि सामने से बिल्ली भागती निकलती थी, तो हम आगे नहीं जाते थे, पीछे लौट पड़ते थे? क्यों? क्योंकि बिल्ली की सूंघने की शक्ति सभी जीवों में सबसे ज्यादा है, और बिल्ली के पगडंडी के एक तरफ से दूसरे तरफ जाने का मतलब है कि इस बात की प्रबल संभावना है कि जिस तरफ से बिल्ली भागी उधर कोई शिकारी हिंसक जानवर है जिसे बिल्ली ने सूंघ कर जान लिया है, इसीलिए भाग रही है। इसीलिए वहीं से लोग लौट पड़ते थे, आगे नहीं जाते थे। अब जबकि हम पूरी तरह सुरक्षित वातावरण में जा रहे होते हैं और बिल्ली रास्ता काटती है, फिर वापस लौटने, रुक जाने या इंतजार करने कि कोई और आगे बढ़ जाये तब हम आगे बढ़ें, इसका मतलब? यह तो निरा अंधविश्वास है।

आज की मुख्य समस्या यही है कि अधिकांश लोग छतरियाँ ताने हुए दिखते हैं। जिन छतरियों की अब कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें भी ताने हुए मिलते हैं। यह सच है कि धूप, पानी, मौसमों से बचने के लिए छतरी की आवश्यकता पड़ सकती है और छतरी तानना पड़ सकता है। इसी प्रकार तमाम सारे सामाजिक परिदृश्यों से बचने-बचाने के लिए मन के अनेकानेक भावों की छतरियाँ हम देखते हैं। लेकिन आश्चर्य यही होता है कि वे परिदृश्य खत्म हो जाते हैं, वे मौसम खत्म हो जाते हैं फिर भी छतरी तनी की तनी ही रहती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की एक भूमिका यह भी है कि इस तरह तनी हुई छतरियों, जिसकी उपयोगिता अब समाप्त हो चुकी है, को हटाया जाये या लोगों को इस बात का एहसास करा दिया जाये कि वे अमुक-अमुक छतरियाँ व्यर्थ ही ताने हुए हैं जबकि अब उनकी आवश्यकता नहीं रह गयी है।

5 (अ) सामूहिकता तथा उत्कर्ष के लिए आवश्यक है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें। संवेदनशीलता के साथ जुड़ें। बिना जुड़ाव के तो समूह मात्र भीड़ बन कर रह जाता है। सामूहिकता के अनेक फायदे हैं। सामूहिकता तथा दूसरों की देखभाल से खुद को क्या लाभ होता है, इसको दिखाती एक कहानी है। एक किसान था, जिसके खेत में हर साल सबसे ज्यादा उपज होती थी, और हर साल सर्वाधिक पैदावार का पुरस्कार भी मिलता था। जब लोगों ने उससे पूछा कि आपकी इस सफलता का क्या राज है, आप क्या खास करते हैं जिसकी वजह से आपके खेत में प्रति एकड़ पैदावार सबसे ज्यादा होती है, तो किसान ने बड़ा छोटा सा लेकिन मार्मिक उत्तर दिया --

'मैं अपने खेत में जितना अच्छा बीज, खाद, पानी, दवायें, सिंचाई और तकनीक देता हूँ और उनका जितना ध्यान रखता हूँ, देखभाल करता हूँ सुनिश्चित करता हूँ कि हमारे खेत के चारों तरफ के खेतों को भी उतना ही अच्छा सब कुछ मिले। जितने भी मेड़ और दीवारें हैं, हमने बनायी हैं, प्रकृति में कोई बटवारा या दीवार नहीं है। फसलों में फूल लगते समय बगल के खेत से भी पराग के कण, हवा, चिड़ियों, तितलियों, कीटों आदि के द्वारा हमारे खेत में आते हैं, अतः बगल के खेत में कमजोर बीज होंगे, तो हमारी फसल भी कमजोर होगी। बगल के खेत में सिंचाई समय पर नहीं होगी तो हमारे खेत का उधर का हिस्सा सूखेगा। इसी प्रकार बगल के खेत में रोग लगेगा तो हमारे भी खेत में रोग लगने की संभावना बढ़ जायेगी। लेकिन

जब बगल के खेतों में भी बहुत अच्छी पैदावार होती है तो हमारा खेत सभी बहुत अच्छों के बीच में होने की वजह से सबसे अच्छा हो जाता है।

यह होती है सच्ची सामूहिकता। जब हम अपने आस-पास की देखभाल बिल्कुल अपने जैसी करने लगते हैं तो चारों ओर खुशहाली आती है, और उसका परिणाम हमें यह मिलता है कि हम सबसे अधिक खुशहाल हो जाते हैं।

सच्ची सामूहिकता, सहयोग तथा श्रेष्ठता और उत्कर्ष के लिए हमें बहुत सी पढ़ाई की चीजें और सिद्धान्त भी बदलने होंगे। अभी मैनेजमेंट या प्रबन्धन में पढ़ाया जाता है जीत-जीत या विन-विन का सिद्धान्त, जिसे बदलकर करना होगा, जीत-जीत-जीत (विन-विन-विन) का सिद्धान्त।

जीत-जीत-जीत का सिद्धान्त

प्रबंधन (मैनेजमेंट) के क्षेत्र में अंतर वैयक्तिक संबंधों के बारे में जीत-जीत का सिद्धान्त काफी लोकप्रिय है। जब दो व्यक्ति या इकाइयां परस्पर संपर्क करती हैं तो चार संभावनाएं बनती हैं ' जीत-हार, हार-हार, हार-जीत, जीत-जीत।

सामान्य तौर से लोग अपना हित देखना चाहते हैं यहां तक कि दूसरों के नुकसान की कीमत पर भी। इसे जीत-हार की स्थिति कहते हैं।

अधिकतर लोग इसी मानव प्रवृत्ति से प्रेरित हैं। जब दोनों ही संपर्क करने वाले जीत-हार सिद्धान्त को लागू करते हैं तो गतिरोध पैदा होता है। इससे कभी-कभी अंतर्द्वन्द्व के कारण संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा दोनों पक्षों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। अन्तत: दोनों पक्ष हार-हार की स्थिति में पहुंच जाते हैं। कुछ व्यक्ति स्वभाव से हार-हार के लिए ही काम करते हैं। यह उनके लिए गलत पालन-पोषण व शिक्षा के कारण हो सकता है। उनके लिए यह कहावत ठीक बैठती है कि 'न खेलेंगे न खेलने देंगे'।

कुछ परिस्थितियों में लोग दूसरों की खुशी के लिए हमेशा हारना चाहते हैं। यह पिता-पुत्र, गुरु-शिष्य या विशेष त्यागी स्वभाव के लोगों में घटित होता है। लेकिन सामान्य वयस्क मानव के पारस्परिक संबंध में हार-जीत दृष्टिकोण की झलक कम ही दिखती है।

जीत-जीत वह विकल्प है जिसमें दोनों पक्ष उस स्थिति पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं जिससे दोनों लाभान्वित, संतुष्ट और प्रसन्न हों।

जीत-जीत के इस सिद्धान्त पर पर्याप्त विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह सिद्धान्त अपर्याप्त है तथा इसकी क्षमता, उपयोगिता और परिणाम सीमित है। इस सिद्धान्त को, प्रबंधन के नाम पर, कभी-कभी शोषण के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दो व्यक्ति अपनी जीत-जीत के लिए अन्य व्यक्तियों का शोषण करते हैं, लूटते हैं। दो कम्पनियां एकजुट होकर अन्य कम्पनियों या ग्राहकों का शोषण करती हैं या दो देश अन्य देशों का शोषण करते हैं और आपस में बंटवारा कर लेते हैं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हो सकते हैं। देश में जितना भ्रष्टाचार है जीत-जीत के सिद्धान्त से जायज हो जाता है। जो ले रहा है उसका भला या फायदा हो रहा है, जो दे रहा है उसका भला या फायदा हो रहा है। दोनो का जीत-जीत! लेकिन देश का, प्रकृति का, समाज का और धरती का क्या हो रहा है?

हम मनुष्य लोग अपनी जीत के लिए पर्यावरण, वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का शोषण करते हैं। नदियां बीमार पड़ गई हैं तथा जानवर एवं पक्षी लुप्त हो रहे हैं। जीत-जीत का सिद्धान्त दैनिक व्यापारिक लेन-देन में या कीमतों, सेवाओं, मूल्यों अथवा अन्य वस्तुओं

के सौदों संबंधी वार्ता पर लागू हो सकता है, लेकिन इस सिद्धान्त में इतनी शक्ति नहीं है कि यह जीवन में एवं पृथ्वी पर शान्ति, संतुष्टि एवं सामंजस्य ला सके। इसके लिए इस सिद्धान्त को उचित संदर्भ में विस्तार देने की जरूरत है।

प्रबंधन का सुनहरा नियम 'जीत-जीत-जीत' होना चाहिए और होगा। प्रथम दो जीत का संबंध सम्पर्क कर रही दोनों इकाइयों या पक्षों से है जबकि तीसरा 'जीत' शब्द विशेष महत्व का है। इसका संबंध सम्पर्क कर रही इकाइयों के अलावा पूरे समाज, प्रकृति, धरती, ब्रह्माण्ड में जो कुछ विद्यमान है उन सबसे है। इस सिद्धान्त में यह अपेक्षा की जाती है कि दोनों पक्ष इस प्रकार से व्यवहार या सम्पर्क करके अन्तर्सम्बन्ध स्थापित करें जिससे शेष समाज, प्रकृति और ब्रह्माण्ड लाभान्वित, गौरवान्वित और संवर्द्धित हों।

'जीत-जीत-जीत' का यह दर्शन चिन्तकों एवं दार्शनिकों के विविध संकल्पनाओं से कई प्रकार से जुड़ा हुआ है। बुद्ध का 'मध्यम मार्ग' तथा सुकरात का 'सुनहरा बीच का रास्ता' की व्यावहारिक पद्धतियां इसी जीत-जीत-जीत की स्थिति तक पहुंचने का साधन हैं। जीत-जीत के सिद्धान्त पर जब दो पक्ष सम्पर्क करते हैं तो दोनों अधिकतम लाभ की बात सोचते हैं लेकिन जब वे शेष ब्रह्माण्ड से जुड़े तीसरे जीत पर ध्यान देते हैं तब वे दोनों अपने अधिकतम हित की ओर न बढ़कर सर्वोत्तम या मध्यम हित साधन में ही संतुष्ट हो जाते हैं।

'जीत-जीत-जीत' के आधार पर सम्पर्क करने वाले दोनों पक्षों में संवेदनशीलता होनी चाहिए। वास्तव में जीत-जीत के संबंध में यह माना जाता है कि अंतर्सम्पर्क सीमित क्षेत्र में पृथक एवं अलग-थलग स्थितियों में हो रहा है, जबकि जीत-जीत-जीत सिद्धान्त में अंतर्सम्पर्क खुले वातावरण में सबसे जुड़कर हो रहा है।

हमारे संविधान की आत्मा के अनुरूप जीत-जीत-जीत का सिद्धांत ही है न कि जीत-जीत का।

तो उत्कृष्टता के लिए, उत्कर्ष के लिए हमें जीत-जीत-जीत को प्रबंधन या मैनेजमेन्ट का सिद्धान्त मानना होगा तथा अपनी व्यवस्था में अपनाना होगा।

6 (ट) सभी को शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए, और ऐसी शिक्षा जो सार्थक हो, सम्यक हो, उपयोगी हो, जो बच्चे की जिंदगी को बेहतर बनाये, जिम्मेदारी उठाने के काबिल बनाये। आजकल जो शिक्षा में नकल की प्रवृत्ति फैली हुई है, वह पूरी की पूरी बच्चों की फसल को, पौध को घुन की तरह बर्बाद कर रही है। इससे बचना, बचाना होगा। इसी प्रसंग में एक गुरु का किस्सा याद आता है जिसकी एक शिष्या ने उसकी जीवनी लिखी हैं उस जीवनी की किताब का नाम है 'तोत्तो चान'। यह सच्चा किस्सा जापान का है। वह गुरु समाज के सारे ही कमजोर तथा तिरस्कृत बच्चों को पढ़ाता है, जिन बच्चों का दूसरे स्कूलों में दाखिला नहीं हो पाता, जो बच्चे गरीब हैं और दूसरे स्कूलों की फीस नहीं दे पाते, जो कमजोर होने या शैतानियों की वजह से दूसरों स्कूलों से निकाल दिये जाते हैं, या जो विकलांग हैं। लेकिन आश्चर्यजनक सच्चाई ये है कि उस स्कूल से निकले हुए सभी बच्चे जापान की टाप पोजीशन, श्रेष्ठतम स्थानों पर पहुँचते हैं। वह शिक्षक हर बच्चे को उसकी रूचि और क्षमता के अनुसार पढ़ाता है। उसके पास ज्यादा संसाधन भी नहीं हैं, कभी ट्रेन के बेकार पड़े डिब्बे में तो कभी पेड़ के नीचे पढ़ाता है। यह सभी माता-पिता, अभिभावक, समाज, अध्यापक तथा शिक्षा व्यवस्था का कार्य है कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देकर बच्चे को पूरी तरह खिलने और विकसित होने का मौका दें। तभी हमारा भविष्य खुशहाल होगा। ●

भाग-3

तीन स्तर की सरकारें तथा 73वाँ व 74वाँ संविधान संशोधन विधेयक

संविधान के अनुसार देश की शासन व्यवस्था तीन स्तर की है। केन्द्र में केन्द्र सरकार जिसके लिए जनता सांसदों को चुनकर भेजती है, बहुमत वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। राष्ट्रपति पूरे देश की कार्यपालिका का मुखिया होता है तथा वह हर तरह से देश का प्रतिनिधित्व करता है।

राज्यों में राज्य सरकारें होती हैं जनता इसके लिए विधायकों को चुनती है। जिस व्यक्ति को विधायकों का बहुमत प्राप्त होता है वह मुख्यमंत्री बनता है। राज्यपाल कार्यपालिका का मुखिया होता है तथा केन्द्र का राज्य में प्रतिनिधित्व करता है।

73वें संविधान संशोधन के बाद अब गाँव सभाओं की गाँव पंचायतें तीसरे स्तर की सरकारें हो गयी हैं। उन्हें संवैधानिक दर्जा व अधिकार प्राप्त हो गये हैं।

संविधान के अनुच्छेद 40 (नीति निर्देशक सिद्धान्त) में कहा गया है राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उटायेगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त सरकार (सेल्फ गवर्नमेंट, स्वयं की सरकार) की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। लेकिन यह नीति निर्देशक वाक्य राज्य सरकारों के लिए सिर्फ सलाह का विषय बनकर रह गया था। उनके लिए बाध्यता नहीं थी। 73वें संविधान संशोधन ने एक सीमा तक उन्हें इसके लिए बाध्य कर दिया है। पंचायतों को अब संवैधानिक दर्जा मिल गया है। संविधान के भाग 8 के पश्चात भाग 9 जोड़कर उसमें अनुच्छेद 243 को समाविष्ट कर राज्य सरकारों को पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए बाध्य कर दिया गया है। इसी के साथ उसके स्वरूप और विस्तार को भी स्पष्ट किया है, जिसके अनुसार ही व्यवस्था लागू किया जाना है। इस संशोधन के अन्य प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं -

1. पूरे देश में ढांचागत एकरूपता लाने के लिए त्रिस्तरीय गांव, मध्यम (ब्लॉक) तथा जिला पंचायत व्यवस्था लागू की गई।
2. कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा। कार्यकाल समाप्ति के बाद 6 माह के भीतर चुनाव अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था को नियमित एवं निष्पक्ष सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक संवैधानिक संस्था राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है।
3. सभी स्तरों पर पंचायत के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा निर्वाचन से होगा। जनसंख्या के आधार पर समान अनुपात के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र घोषित होगा।
4. सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए उस क्षेत्र में उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीट आरक्षित होगी।
5. महिलाओं के लिए भी सभी स्तरों पर पंचायतों में कुल सीटों का एक तिहाई भाग आरक्षित होगा। यह व्यवस्था प्रधान/प्रमुख/अध्यक्ष के पद हेतु भी होगी।
6. पिछड़े वर्गों के आरक्षण का मुद्दा राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा गया है।
7. संसाधनों की समुचित व्यवस्था हेतु वित्त आयोग का गठन तथा आडिट की समुचित व्यवस्था।
8. ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक जन भागीदारी के साथ योजना बनाने

के लिए जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान इसी क्रम में 74वें संविधान संशोधन में किया गया है।

9. ग्यारहवीं अनुसूची के माध्यम से विकास के 29 विभागों के कार्य पंचायतों के सुपुर्द किये गये।

10. सभी स्तर की पंचायतों के चुनाव में भाग लेने हेतु प्रत्याशियों की एक निश्चित आयु सीमा-21 वर्ष का निर्धारण।

11. ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का गठन अनिवार्य होगा। ग्राम से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर यह निकाय गठित होगा। इस बात का निर्देश है कि राज्य के विधान मण्डल द्वारा कानून बनाकर ग्राम सभाओं को अधिकार प्रदान किये जायेंगे।

इस प्रकार 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ इस तरह का प्रावधान किया गया जिससे पंचायती राज व्यवस्था को एक निश्चित एवं अधिकार सम्पन्न सरकार के रूप में विकसित किया जा सके। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य निश्चित किया गया।

73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं को जो कार्य या दायित्व सौंपे गये हैं उनमें भी कई तरह की विसंगतियां हैं जैसे -

- पंचायतों का परम्परा से जो समाज के निर्माण व विकास का दायित्व था वह पूरी तरह से उपेक्षित है।
- पंचायत को कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं। वह राज्य सरकारों की सहयोगी बनकर रह गई है।
- पंचायतों का कार्य भौतिक विकास तक सीमित रह गया है जबकि मानव विकास उसका प्रमुख कार्य है।
- गाँव के विवादों का निपटारा पंचायत की वास्तविक पहचान है लेकिन न्याय का यह दायित्व अधिकांश राज्यों में अभी पंचायतों को सौंपा ही नहीं जा सका है।
- 73वें संविधान संशोधन में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय का जो गुरुतर दायित्व पंचायतों को सौंपने की बात की गई है उसकी तरफ अभी तक लोगों का ध्यान ही नहीं गया सिर्फ भौतिक निर्माण का एजेण्डा ही प्रधान है। भूमि सुधार, कृषि विकास, स्वरोजगार तथा सामाजिक कार्यक्रमों की शुरूआत ही नहीं हो पाई है।

ग्राम पंचायत

स्थापना :-

- जहाँ तक सम्भव हो 1 हजार की आबादी पर किसी राजस्व ग्राम या ग्रामों के समूह के क्षेत्र को राज्य सरकार पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है, किन्तु किसी राजस्व ग्राम को या उसके मजरे को तोड़ा नहीं जायेगा।
- पंचाचत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत की स्थापना की जाएगी। प्रधान तथा 2/3 सदस्यों के चुनाव होने पर ही पंचायत का संघटन घोषित किया जाएगा।

सदस्य :-

- ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा और 1000 तक की आबादी की ग्राम पंचायत में 9 सदस्य होंगे। 2000 की आबादी तक 11 सदस्य होंगे, 3000 की आबादी तक 13 सदस्य होंगे तथा 3000 से अधिक आबादी पर 15 सदस्य होंगे।

बैठक की सूचना

- कम से कम 15 दिन पहले बैठक की सूचना दी जाएगी।
- इसका प्रचार सचिव ग्राम पंचायत द्वारा खास-खास स्थानों पर सूचना चस्पा कर किया जाएगा।

कौन बैठक बुलायेगा

- प्रधान, किसी भी समय पंचायत की बैठक बुला सकता है।
- यदि पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर कर लिखित रूप से बैठक बुलाने को कहें तो प्रधान को पत्र मिलने के 15 दिन के अन्दर बैठक बुलानी होगी।
- यदि प्रधान बैठक नहीं बुलाते हैं तो निर्धारित अधिकारी ए.डी.ओ.(पंचायत) बैठक बुला सकता है।

कोरम :

- प्रधान को शामिल करते हुए सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति बैठक का कोरम मानी जायेगी।
- यदि कोरम के पूरा न होने पर बैठक नहीं होती है तो दुबारा सूचना देकर बैठक बुलायी जा सकती है।

ग्राम पंचायत के कार्य :-

- खेती और बागवानी के विकास के साथ-साथ बंजर भूमि का विकास तथा उनके नाजायज कब्जे को रोकने की व्यवस्था।
- भूमि विकास, भूमि सुधार, भूमि संरक्षण व चकबन्दी में सरकार की सहायता।
- लघु सिंचाई योजनाओं में जल के वितरण में सहायता तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, मरम्मत व देखभाल।
- मछली पालन को बढ़ावा देना।
- सार्वजनिक भूमि पर पेड़ लगाना व उनकी देखभाल तथा रेशम की खेती को बढ़ावा देना।
- वनों के छोटे-छोटे उत्पादों को बढ़ावा देना।
- छोटे उद्योग धन्धों की तरक्की में सहायता देना तथा स्थानीय व्यापार की तरक्की करना।
- खेती और व्यापार से जुड़े उद्योगों के साथ-साथ कुटीर उद्योग (गृह उद्योगों) व ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना।
- ग्राम पंचायत क्षेत्र में मकान बनवाने के लिए जमीन का आवंटन और आवास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता देना।
- पानी पीने, कपड़े धोने, नहाने आदि के लिए सार्वजनिक कुओं, तालाबों और पोखरों का निर्माण, मरम्मत व देखभाल करना।
- ईंधन और चारा भूमि से सम्बन्धित घास व पौधों के विकास के साथ-साथ चारा भूमि, गाँव की सड़कों पर नाजायज कब्जे को रोकना।
- गाँव की सड़कों, पुलियां, पुलों और नौका घाटों का निर्माण एवं उनकी देखभाल, जलमार्गों की देखभाल तथा सार्वजनिक स्थानों से नाजायज कब्जे हटाना।
- गाँवों के सार्वजनिक मार्गों व अन्य जगहों पर प्रकाश की व्यवस्था तथा उसकी देखभाल करना।
- ग्राम में गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और उनका क्रियान्वयन

करना।

- गाँवों में चलाये जाने वाले गरीबी मिटाने के कार्यक्रमों का विकास, उन्हें बढ़ावा देना और उनकी देखभाल करना।
- शिक्षा के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करना। बालिकाओं की शिक्षा पर खास ध्यान देना।
- ग्रामीण कला एवं शिल्पकारों को बढ़ावा देना।
- प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना।
- पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना और उसकी देखभाल।
- गाँव में सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यों को बढ़ावा देना, स्थानीय त्यौहारों को तथा खेलकूद के लिए ग्रामीण क्लबों की स्थापना तथा उनकी देखभाल।
- गाँव की सीमा में लगने वाले मेलों, बाजारों व हाटों पर नियन्त्रण रखना।
- ग्रामीण स्वच्छता व मनुष्य और पशु टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देना, महामारियों की रोकथाम के लिए कार्यवाही, छुट्टा पशुओं को रोकना, जन्म-मृत्यु व विवाह का पंजीकरण करना।
- परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
- पंचायत के आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करना।
- गाँव की महिलाओं और बच्चों के विकास तथा उनके स्वास्थ्य व पोषण के लिये चलाये जा रहे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना व उन्हें बढ़ावा देना।
- वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं में सहायता करने के साथ-साथ विकलांगों और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के कल्याण के कार्यक्रमों की सफलता के लिए कार्य करना।
- कमजोर वर्गों, खास तौर से अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिये चलाये जा रहे कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ-साथ सामाजिक न्याय के लिये योजनायें बनाना तथा उन्हें लागू करना।
- आवश्यक वस्तुओं (चीनी, गेहूँ, चावल, मिट्टी का तेल कपड़ा आदि) के वितरण के सम्बन्ध में लोगों को जागरूक करना तथा उस पर नजर रखना।
- पंचायत के क्षेत्र में बनी सार्वजनिक सम्पत्तियों की देखभाल व उनकी सुरक्षा करना।

ग्राम पंचायत की योजना तैयार करना

- ग्राम पंचायत हर साल अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना बनायेगी और उसे निर्धारित समय सीमा के अन्दर क्षेत्र पंचायत को भेजेगी।

ग्राम पंचायत का बजट :-

- प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निश्चित समय में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले साल के लिए ग्राम पंचायत की अनुमानित आमदनी और खर्चों का हिसाब-किताब तैयार करेगी। यह हिसाब-किताब ग्राम पंचायत की बैठक में हाजिर होकर वोट देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक वोटों से पास किया जायेगा। बजट पास करने के लिए बुलायी गयी ग्राम पंचायत की बैठक का कोरम कुल संख्या का आधा होगा।

क्षेत्र पंचायत

स्थापना

- राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रत्येक जिले के ग्राम्य क्षेत्र को खण्डों में विभाजित

करती है। प्रत्येक खण्ड के लिए उस खण्ड (क्षेत्र) पंचायत, के नाम पर एक क्षेत्र पंचायत संगठित करने की व्यवस्था है।

क्षेत्र पंचायत की रचना

- क्षेत्र पंचायत एक प्रमुख, जो इसका अध्यक्ष भी होता है तथा निम्नलिखित से मिलकर बनती है।

(क) खण्ड (क्षेत्र पंचायत) के समस्त प्रधान

(ख) निर्वाचित सदस्य, जो पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथासाध्य दो हजार होनी चाहिए किसी क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी ग्राम पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र भाग सम्मिलित नहीं किया जाता है। 50 हजार तक ग्रामीण जनसंख्या वाले विकास खण्ड में 20 निर्वाचन क्षेत्र तथा 50 हजार से अधिक वाले विकास खण्डों में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर किन्तु अधिकतम 40 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र।

(ग) लोकसभा के सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके पूर्णतः या भागतः खण्ड समाविष्ट हैं।

(घ) राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य जो खण्ड के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं।

- खण्ड क, ग और घ में उल्लिखित क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को प्रमुख के निर्वाचन और उनके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव के मामलों को छोड़कर क्षेत्र पंचायत की कार्यवाहियों में भाग लेने और उसकी बैठकों में मत देने का अधिकार।
- जिला पंचायत का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य जो खण्ड के निर्वाचन क्षेत्र का पूर्णतः या भागतः प्रतिनिधित्व करता है, क्षेत्र पंचायत की बैठकों में विशेष आमंत्री के रूप में भाग लेने और अपने विचार व्यक्त करने का हकदार है। किन्तु उसे बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं।
- प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही एक प्रमुख चुना जाता है।
- प्रत्येक क्षेत्र पंचायत, यदि उसे पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो, अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि तक बनी रहेगी।

बैठक

- क्षेत्र पंचायत के कार्य सम्पादन के लिए प्रति दो मास में कम से कम एक बार बैठक आवश्यक। किन्तु निर्वाचन के पश्चात् प्रथम बैठक 30 दिन के अन्दर बुलायी जानी चाहिए।

बैठक कौन बुलायेगा

- प्रमुख जब कभी भी वह उचित समझे क्षेत्र पंचायत की बैठक बुला सकता है। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों के कम से कम पंचमांश के लिखित अधियाचन, जो प्रमुख पर तामील किया जा चुका हो, अथवा प्राप्ति-पत्र सहित रजिस्ट्री डाक द्वारा क्षेत्र पंचायत को उसके कार्यालय पते पर भेजा जा चुका हो, ऐसे अधियाचन के तामील या प्राप्ति के दिनांक के एक महीने के भीतर क्षेत्र पंचायत की बैठक अवश्य बुलायेगा।
- कोई बैठक आगामी या किसी पश्चात्वर्ती दिनांक तक स्थगित की जा सकती है और

इस प्रकार स्थगित बैठक इसी प्रकार आगे भी स्थगित की जा सकती है।

क्षेत्र पंचायत द्वारा योजना तैयार करना

- क्षेत्र पंचायत खण्ड की ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करने के पश्चात् खण्ड के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी।
- क्षेत्र पंचायत योजना पर विचार करेगी और इसे किसी परिष्कार के साथ या बिना किसी परिष्कार के अनुमोदित कर सकती हैं
- खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत द्वारा अनुमोदित योजना को जिला पंचायत को उस दिनांक से पहले, जो नियत की जाए, प्रस्तुत करेगा।

क्षेत्र पंचायत का बजट तैयार और पारित करना

- क्षेत्र पंचायत की कार्य समिति, वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति और समता समिति के परामर्श से और धारा-99 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से अपने वास्तविक तथा प्रत्याशित आय-व्यय का एक पूरा लेखा तथा आगामी 1 अप्रैल से आरम्भ होने वाले वर्ष के लिए अपने आय-व्यय का बजट उस दिनांक के पूर्व, जो नियम द्वारा निश्चित किया जाए तैयार करेगी।
- अनुमानित आय में राज्य सरकार से नियोजन और विकास के कार्यों के निमित्त प्राप्त अनुदानों को अलग प्रदर्शित किया जाएगा तथा व्यय के अनुमानों में यह अलग प्रदर्शित किया जाएगा कि इन अनुदानों को किस प्रकार व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

क्षेत्र निधि से आहरण और वितरण

- क्षेत्र निधि में से धन का समस्त आहरण और उसका वितरण प्रमुख और खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

जिला पंचायत

स्थापना

- राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के लिए उस जिले के नाम पर एक जिला पंचायत का गठन।
- जिला पंचायत एक निगमित निकाय है।

जिला पंचायत की रचना

- जिला पंचायत का एक अध्यक्ष जो उसका पीठासीन प्राधिकारी होता है, के साथ निम्नलिखित से मिलकर बनती है।

  (क) जिले में समस्त क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख

  (ख) जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्येक निर्वाचन द्वारा चुने गये निर्वाचित सदस्य।

  (ग) लोकसभा के सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्य जो उस निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं या जिनमें पंचायत क्षेत्र का कोई भाग समाविष्ट है।

  (घ) राज्य सभा के सदस्य और राज्य की विधान परिषद् के सदस्य जो पंचायत के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं।

- खण्ड क, ग और घ में उल्लिखित जिला पंचायत के सदस्यों को अध्यक्ष के निर्वाचन और उनके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव के मामलों को छोड़कर जिला पंचायत की कार्यवाहियों में भाग लेने और उसकी बैठकों में मत देने का अधिकार।

अध्यक्ष का निर्वाचन

● प्रत्येक जिला पंचायत के निर्वाचन सदस्यों द्वारा अपने में से ही एक अध्यक्ष का चुनाव।

जिला पंचायत का कार्यकाल

● सामान्यतया जिला पंचायत का कार्यकाल पाँच वर्ष की अवधि का होगा।

जिला योजनाएं तैयार करना

● जिला पंचायत जिले की क्षेत्र पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करने के पश्चात् जिले के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी।

जिला पंचायत नियत रीति से प्रत्येक वर्ष ऐसे दिनांक के पूर्व, जो नियम द्वारा एतदर्थ निश्चित किया जाए, आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपने वास्तविक तथा प्रत्याशित आय-व्ययक का एक पूरा लेखा तथा आगामी एक अप्रैल से आरम्भ होने वाले वर्ष के लिए बजट अनुमान तैयार करेगी।

● बजट अनुमान तैयार करने में आय के अनुमान में राज्य सरकार से आयोजन और विकास कार्यों के निमित प्राप्त अनुदानों को अलग प्रदर्शित किया जाएगा तथा व्यय के अनुमानों में अलग प्रदर्शित किया जाएगा तथा व्यय के अनुमानों में अलग प्रदर्शित किया जाएगा कि उन अनुदानों को किस प्रकार व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

गाँव पंचायत चुनने वाली गांव सभा स्थायी होती है, गाँव के सभी 18 वर्ष के ऊपर के सदस्य गाँव सभा के सदस्य हैं। जबकि विधान सभायें और लोक सभा के सदस्य हर चुनाव के बाद बदलते रहते हैं। उनका कार्यकाल मात्र पाँच वर्षों का होता है।

जय प्रकाश नारायण ने सम्पूर्ण क्रांति आन्दोलन के वक्त जनता को अपने चुने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के हक की बात कही थी यदि वे ठीक काम न कर रहे हों। सांसदों तथा विधायकों के लिए 'वापस बुलाने का अधिकार तो जनता को नहीं मिला, लेकिन गाँव सरकार में गाँव सभा को यह अधिकार मिल गया। यदि गाँव के लोग दो साल देखने के बाद पाते हैं कि ग्राम प्रधान ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसे हटा सकते हैं। उसका उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अनुसार प्राविधान इस प्रकार है :-

"14. प्रधान का निष्कासन – (1) ग्राम सभा विशेष रूप से बुलाई मीटिंग में जिसकी नोटिस 15 दिन पहले दी गई हो, प्रधान को ग्राम सभा के उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से निकाल सकती है।

(1-ए) गांव सभा के सदस्यों की एक तिहाई संख्या उपरोक्त मीटिंग के लिए कोरम या न्यूनतम संख्या होगी।

(2) प्रधान को हटाने के लिए मीटिंग प्रधान का कार्यकाल शुरू होने के दो साल के अन्दर नहीं बुलाई जायेगी।

(3) अगर उपरोक्त उद्देश्य के लिए बुलाई गई मीटिंग कोरम के अभाव या दो तिहाई बहुमत के अभाव में असफल हो जाती है तो फिर ऐसी मीटिंग अगले एक साल तक नहीं बुलाई जा सकती। ...."

लोकसभा तथा विधान सभाओं में भी अपरोक्ष रूप से वापस बुलाने का अवसर लोगों को अनायास मिल जाता है मध्यावधि चुनावों के द्वारा। इस संबंध में संसद और विधान सभाओं के सदन की अवधि के बारे में संविधान में वर्णन निम्न है :-

'सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है, तो अपने प्रथम अधिवेशन

के लिए नियत तारीख से पाँच वर्ष तक बनी रहेगी।' संविधान निर्माताओं ने विघटन की ऐसी संभावनाओं को पहले ही जान लिया था इसीलिए प्राविधान किया था, कि यदि सभा पहले ही विघटित नहीं कर दी गयी तो पाँच साल तक बनी रहेगी। अन्यथा वे संविधान में लिखते कि 'सभा पाँच साल तक बनी रहेगी।' यदि सभा में लोग जिन उद्देश्यों के लिए चुन कर गये हैं, वह काम न कर रहे हों, या कर पा रहे हों तो सभा पाँच वर्ष के पहले ही भंग कर दी जाये और मध्यावधि चुनाव हो जायें तभी अच्छा है। मध्यावधि चुनाव को लेकर भी जनता में तरह-तरह की भ्रान्तियाँ हैं तथा भ्रम फैलाया गया है।

यह सच है कि सामान्य स्वस्थ जीवन्त और जिम्मेदार लोकतन्त्र में यही अच्छा होता है कि विधान सभा और सांसद अपने पूरे कार्यकाल तक बनी रहें, लेकिन यदि लोकतन्त्र बीमार है, प्रत्याशी वोट खरीद रहे हैं, वोट जाति, धर्म, क्षेत्र या किसी अन्य सीमित स्वार्थ से प्रेरित होकर पड़ती है, तो अच्छे लोग राजनीति में प्रवेश करने से डरते हैं, जेलों में रहते हुए भी माफिया चुने जा रहे हैं, तब जल्दी-जल्दी होने वाले चुनाव और त्रिशंकु संसद और विधान सभाएं देश के लोकतन्त्र को पुनः स्वस्थ और क्रियाशील बनाने का एकमात्र स्वाभाविक उपाय हैं। कुछ लोगों का विचार है कि जल्दी-जल्दी होने वाले चुनाव देश के लिए हानिकारक हैं, लेकिन अपने लोकतन्त्र को शक्तिशाली बनाने के लिए और उसके अनेक अवांछित तत्वों को साफ करने के लिए, बारंबार चुनावों का होना कभी-कभी आवश्यक हो जाता है।

बार-बार होने वाले चुनाव हमारे लोकतन्त्र को थोड़ा बहुत सुधारने में मदद कर सकते हैं। ऐसे सभी चुनावों में नेताओं पर ही मुसीबत आती है, भार पड़ता है और वे शोर मचाने लगते हैं कि देश पर भारी विपत्ति आई है, क्योंकि वे लोग तो हर काम देश के नाम पर ही करते हैं। फलस्वरूप वे अपनी समस्या को देश की समस्या के रूप में प्रक्षेपित करते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है, जिसके के लिये ये बार-बार होने वाले चुनाव सुअवसर हैं, वह जनता भी यह मानने लग जाती है कि ये उनके लिए खराब है।

ऐसा मीडिया के प्रक्षेपण के कारण होता है। प्रचार-प्रसार के जितने माध्यम हैं वे सब नेताओं की आवाज-में-आवाज मिला कर यही प्रचार करते हैं कि चुनाव खराब होते हैं, देश के लिए बोझ होते हैं। अब जनता जो है जब सब तरफ से यही सुनती है तो वह भी इस मिथ पर, भ्रम पर विश्वास करने लग जाती है।

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि चुनाव बहुत महँगे पड़ते हैं और राजकोष पर अनावश्यक भार डालते हैं।

चुनाव पर जो खर्च होता है वह योजना पर होने वाले खर्च की अपेक्षा बहुत मामूली होता हैं चुनाव में सरकार कुछ हजार करोड़ खर्च करती है जबकि योजना बनाने में प्रति वर्ष कई लाख करोड़ का खर्च आता है। और यह सच है कि कोई भी पंचवर्षीय योजना जनता के हित में उतना काम नहीं कर पाती जितना कि एक चुनाव कर देता हैं साधारण-से-साधारण जन के लिए इनका लाभ सचमुच छन कर पहुँचता है। धन सचमुच बहता है और जनता तक पहुँचता है। गाँवों के गरीब लोगों को और शहरों में झुग्गी-झोंपड़ों में रहने वाले लोगों को बड़े फायदे हो जाते हैं। सड़कों गलियों की मरम्मत हो जाती है। टैक्सी चलाने वाले माइक और लाउड स्पीकर वाले, पैम्फ्लेट बाँटने वाले-सब को चुनाव के समय काफी पैसे मिल जाते हैं। कभी-कभी तो लोगों को साइकिल, हैण्डपम्प, साड़ियाँ

और अन्य अनेक जरूरत की चीजें मिल जाती हैं। बार-बार होने वाले चुनाव भगीरथ हैं, जो भगवान शिव के मस्तक से गंगा को उतार कर साधारण जनता तक पहुँचाते हैं। लोगों को खुश होना चाहिए कि गंगा उन तक पहुँची, लेकिन खुश होने के बजाय वे दु:खी हो जाते हैं।

इस समय अनेक सदस्य, भविष्य में आने वाले चुनाव के लिए, अपने कार्यकाल में लगातार धन इकट्ठा कर रहे हैं। तो यदि उनका कार्यकाल बीच में ही खत्म कर दिया जाता है, तो भ्रष्टाचार भी उसी अनुपात में घट जाएगा। और भी बार-बार के चुनाव हमेशा त्रिशंकु संसद और विधानसभाओं के परिणामस्वरूप होते हैं। संसद और विधानसभा के इस प्रकार के सदनों में एक-एक सदस्य के भ्रष्टाचार की पोल खुलने की सम्भावना ज्यादा होती है। तानाशाही की वृत्ति त्रिशंकु सदनों मे कम होती है, इसलिए वहाँ भ्रष्टाचार भी कम होता है। क्योंकि त्रिशंकु सदनों में भ्रष्टाचार का खुलासा अधिक होता है।

इन बार-बार वाले चुनावों में भारतीय चुनाव पद्धति को अपने लोकतन्त्र से सम्बन्धित तमाम बातों में नए अनुभव होते हैं। यह भारत के लोकतन्त्र की विशेषता रही है कि अलग-अलग मुद्दे अलग-अलग चुनावों में उठते रहे हैं, पर ऐसा कोई भी एक मुद्दा नहीं है, जो अनेक चुनावों में लगातार उठता रहा हो। तमाम तरह के व्यर्थ और हानिकारक मसले भी उभरकर सामने आए हैं जैसे धर्म, जाति, वर्ग, विभेद, राजवंश आदि लेकिन अच्छी बात यह है कि मतदाता एक ही मुद्दे को एक बार में लेता है और अगले चुनाव और बाद में आने वाले दूसरे चुनावों में उन मुद्दों को छोड़ देता है। धर्म, जाति, धन और बल के मुद्दे अब फीके पड़ रहे हैं। भाग्य से प्रत्येक अगले चुनाव में नए जोर पकड़ते हैं जो कि पिछले मुद्दों से भिन्न होते हैं, फलस्वरूप हम देखते हैं कि खराब मुद्दे थे वे एक के बाद एक खुद ही समाप्त होते जाते हैं। एक के बाद एक उनका आकर्षण खत्म हो रहा है जनता एक के बाद एक इन मुद्दों की व्यर्थता को समझ रही हैं अब समय आ गया है कि कुछ ही जल्दी-जल्दी चुनावों के बाद सारे नकारात्मक और निरर्थक मुद्दे खत्म हो जाएँगे और चुनावों में सकारात्मक मसले, आम आदमियों की समस्याएँ, योग्यता, विशेष प्रतिभा और संवेदनशीलता से सम्बन्धित मसले भरपूर रहेंगे।

धन और बल को चुनावों में क्यों महत्व प्राप्त होता है? पहले हम इस बात को समझ लें। दरअसल इनके अनेक कारण हैं :-

1. प्रत्याशी किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहते हैं। किसी में भी धैर्य नहीं है।

2. चुनाव जीतने के बाद कितना धन दाँव पर लग जाता है। सांसद व विधायक निधियों की अपार धनराशि के आकर्षण में बहुत लोग जी-जान से चुनाव लड़ते हैं।

3. जब से सरकार के विधि निर्माण और कार्यपालिका का पक्ष एक-सा ही गया है, संसद या विधान सभाओं का सदस्य बन जाने का आकर्षण बहुत बढ़ गया है। स्थानान्तरण और नियुक्ति अपने आप में एक बड़ा लाभकारी उद्योग हो गया है। इसलिए वे सब लोग जो जल्दी से जल्दी कुबेर बनना चाहते हैं, वे विधान सभा और संसद में प्रवेश करते ही अपने लक्ष्य की सिद्धि का मार्ग पा जाते हैं।

4. मीडिया और विज्ञापन बहुत कम समय में, कम परिश्रम में चुनाव जिताने में बहुत सहायता करते हैं, हाँ वहाँ पैसा जरूर ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इसलिए जिनके पास पैसा है, और जिन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में कोई खास काम नहीं किया है, वे जानते हैं कि पैसा लुटा देने से वे चुनाव जीत सकते हैं। अपने क्षेत्र में सेवा कार्य करने के विकल्प

में पैसे ने जगह बना ली है।

5. जब आवश्यकता से कहीं अधिक धन खर्च किया जाता है, तब महाबली लोगों का सामने आना स्वाभाविक है। महाबली लोगों को उचित पैसे देकर किराए पर ले लिया जाता है, जिससे कि निश्चित रूप से चुनाव जीता जा सके।

6. महाबली लोगों ने जब देखा कि हमारी ही सहायता से इन्होंने चुनाव जीता है तब उन्होंने स्वयं प्रत्याशी बनकर चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया। और एक बार ऐसे लोग जहाँ प्रत्याशी बनकर आए कि इन महाबलियों की चुनाव में भागीदारी अनेक प्रकार से बढ़ जाती है।

धन और महाबलियों की आने वाले चुनावों में, यदि चुनाव बीच-बीच में कराए जाएँ, प्रभुता समाप्त हो जाएगी। इन बार-बार के चुनावों से, वे लोग जो राजनीति से इसलिए जुड़े हुए हैं कि वे पैसे कमा सकें- विचलित हो जाएँगे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि राजनीति अब उतनी नफ़े वाली दुधारू गाय जैसी नहीं रह गयी है और जब इस प्रकार चुनाव यों बार-बार होने लगेंगे कि चुनाव में जो सारा धन लगेगा वह बाद की कमाई से बहुत ज्यादा होगा, तो पैसे को, व्यवसाय को ही सब कुछ समझने वाले लोग राजनीति से भागने लगेंगे और दूसरे-दूसरे ऐसे रास्ते नफ़े वाले व्यवसाय को खोजेंगे, जिनसे जल्दी-से-जल्दी ज्यादा-से-ज्यादा पैसा कमा सकें। तो ये बार-बार चुनाव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे चुनावों में जीतना और राजनीति में रहना कम नफ़े वाला सिद्ध हो जाएगा। पैसे की लम्बी कमाई जहाँ चुनाव जीतने से हटी, माफिया वहाँ से अपने आप हट जाएगा। वे लोग भी दूसरे दुधारू क्षेत्र खोजेंगे।

इस प्रकार के शीघ्र चुनावों वाली पद्धति से अन्य लाभ भी हैं। एक बार जहाँ पैसे का प्रवाह विलीन हुआ, चुनाव प्रचार और चुनाव विज्ञापनों पर खर्च भी अपने आप कम होने लगेगा। चुनाव प्रचार में खर्च जब कम होगा, तो इसका नतीजा यह होगा कि जिन लोगों ने अपने क्षेत्रों में काम किया है उनके चुने जाने की सम्भावना बढ़ जाएगी। तब प्रत्याशियों के द्वारा किया गया कार्य ही केवल उनका विज्ञापन होगा। सही चुनाव पद्धति का प्रयोजन और लक्ष्य यही है। आजकल, अच्छे लोग जिनकी अपने चुनाव क्षेत्र में अच्छी छवि है, और जो वहाँ बहुत समय से रह रहे हैं, चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी पूर्व धारणा है कि वे चुनाव नहीं जीत पाएँगे, कारण यह कि उनके पास पैसे और महाबली लोग उनका विज्ञापन और प्रचार करने के लिए नहीं हैं। इस प्रकार, ये बार-बार के चुनाव बेहतर प्रत्याशियों और सदनों के लिए बेहतर सदस्यों के लिए रास्ता खोल देंगे।

आपने देखा होगा कि लोहे की छड़ या डंडे को यदि काटने की सुविधा न हो, तो कैसे उसे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। यदि कई बार झुकाया जाए या सब तरफ से मोड़ा जाए, तो वह टूट जाती है। ठीक इसी तरह ये बार-बार के चुनाव इस प्रकार के लोगों को सब तरफ से घुमा देंगे झुका देंगे और अन्ततः वे भी टूट जाएँगे।

यह भी नेताओं और राजनीतिक पार्टियों द्वारा बनाया गया मिथक या भ्रम है कि चुनाव के कारण दाम बढ़ते हैं चुनाव और महँगाई का अध्ययन करने पर आपको पता लगेगा कि महँगाई का चुनावों से कोई लेना-देना नहीं है। इसके विपरीत चुनावों से तो महँगाई थोड़ा कम की तरफ होती है। पिछले कई सालों में खासतौर से अस्सी और नब्बे के दशक में देश ने कई चुनाव जल्दी-जल्दी देखे हैं, लेकिन चीजों के दाम सामान्य रहे हैं। साठ और सत्तर के दशक में चुनाव अपने नियत समय पर हुए थे, लेकिन दाम तेजी से बढ़े थे। यदि

चुनाव जल्दी-जल्दी नहीं होंगे, तो भी दाम बढ़ते ही रहेंगे। महँगाई के, चुनावों के अलावा, अनेक अन्य कारण भी हैं। यह तो राजनीतिक पुरोधाओं का अपना स्वार्थ है कि वे जनता को चुनावों से डराते रहते हैं। इसलिए वे इसे महँगाई का कारण बताते हैं।

मिली जुली सरकारों के अनुभवों ने विश्व में हमारी छवि को बढ़ाया है। वे हमारे लोकतन्त्र को पूरी आस्था और प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे हैं। अब उन्हें विश्वास है कि यह किसी भी प्रकार की स्थिति में स्थिर रह सकेगी। मिल जुली सरकारों के कार्यकाल में भी विदेशी निवेश बहुत बढ़ा। अन्तर्राष्ट्रीय धरातल पर लोगों ने यह समझ लिया कि हमारा देश एक के बाद एक संगठित सरकारों के आने पर और ताकतवर होकर सामने आया। इसलिए इस बारे में हमें चिन्तित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के डर निहित स्वार्थों द्वारा इसलिए बिठा दिए जाते हैं, जिससे कि लोग इन बार-बार होने वाले चुनावों से डरते रहें, घृणा करते रहें।

जल्दी-जल्दी होने वाले चुनाव स्थायी समाधान नहीं है। निश्चय ही देश के पास एक दीर्घकालीन और अल्पकालीन परिप्रेक्ष्य और योजना होनी चाहिए। यह सही है कि सरकार में लगातार जल्दी-जल्दी होने वाले बदलाव दीर्घकालीन योजना के विकास में बाधा डालते हैं। लेकिन दवा के रूप में आवश्यक हैं। जनता को हर प्रकार के चुनावों को, चाहे वह स्वाभाविक हो या मध्यावधि, स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए एक सुअवसर है। जैसे देश में तरह-तरह के त्यौहार मनाये जाते हैं, चुनाव सबसे बड़ा जरूरी और सकारात्मक राष्ट्रीय व संवैधानिक त्यौहार है।

अत: अब यदि गाँव के लोग जागरूक रहें तो यह हो ही नहीं सकता कि गाँव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी न हो या प्राइमरी हेल्थ सेन्टर पर डॉक्टर या दवा न मिले, सही वक्त पर राशन न बँटे, पेंशन की राशियाँ सबको न मिले, गरीबों को आवास बनाने के पैसे उचित व्यक्ति को न मिले, नरेगा के पैसे का गलत इस्तेमाल हो या गाँव की सड़कें, खडंजे खराब रहें या गाँव की छोटी-बड़ी समस्याओं का निदान न हो सके या गाँव में हरियाली न रहे।

फिर भी अभी गाँव सरकारों को पूरी शक्ति और पूरे अधिकार नहीं मिल पाये हैं। बहुत से मामलों में उन्हें राज्य सरकारों पर आश्रित रहना पड़ रहा है। इसके लिए अलग से प्रयास की जरूरत है कि गाँव सरकारें यथा सम्भव आत्म निर्भर हों। लेकिन जितने अधिकार मिल गये हैं उन्हें तो बखूबी निभाकर दिखायें तब और अधिक अधिकार पूरी ताकत, अधिकार और हक के साथ माँग सकें।

तमिल के महान राष्ट्रीय कवि सुब्रामन्यम भारती ने लिखा था

'यदि एक भी व्यक्ति धरती पर भूखा सोता है तो पूरी धरती को नष्ट कर देना चाहिए।'

यदि सही लोग गाँव प्रधान और गाँव पंचायत के सदस्य चुन लिए गये तो यह हो ही नहीं सकता कि किसी गाँव में कोई किसान आत्महत्या कर ले। यदि एक भी किसान आत्महत्या करता है तो यह सीधे-सीधे गाँव प्रधान और पंचायत के सदस्यों की संवेदन हीनता का प्रतीक है।

74वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा नगरपालिकाओं के बारे में कानून बनाये गये हैं। उनके गठन, संरचना कार्यकाल, चुनाव, कर लगाने के अधिकार, आय-व्यय के हिसाब-किताब, सीटों के आरक्षण, जिला योजना के लिए समितियाँ, इन सब विषयों पर विस्तार से वर्णन किया गया है।

भाग-4

आगामी चुनाव, विशेषकर ग्राम पंचायतों के

हम जानते हैं कि यह किताब जब तक आपके हाथ में पहुँचेगी, हर गाँव, नुक्कड़, पान की दुकानों, गलियों और बाजारों में आगामी किन्हीं न किन्हीं चुनावों की चर्चायें हो ही रही होंगी। संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य (ञ) के अनुसार हमें अपनी सामूहिक जिम्मेदारी निभाते हुए व्यवस्था को उत्कर्ष की ओर ले जाना है।

इस बार वह गलतियाँ नहीं करना है जो अब तक करते रहे हैं। ग्राम पंचायतों के व अन्य चुनावों में जिस वर्ग में से आपको ग्राम प्रधान, गाँव पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, विधान सभा या संसद का सदस्य चुनना है, उस क्षेत्र में से उस वर्ग के सबसे अच्छे व्यक्ति को वोट देना है, जिताना है। अब सवाल उठता है कि अच्छा कौन है। इस प्रश्न पर आप कई प्रकार स विचार कर सकते हैं।

1. बच्चा-बच्चा जानता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा। यदि नहीं समझ में आता है तो बच्चों से पूछ लीजिए। बच्चों क. राय लेने यहाँ तक कि बच्चों को मताधिकार देने के सिलसिले में एक पुरानी तथा बहुप्रचलित कहानी याद आती है। एक राजा था, उसे एक बार झक चढ़ गयी कि उसे देवताओं के वस्त्र पहनने हैं। उसने चारों ओर घोषणा करा दी कि वह देवताओं के वस्त्र पहनना चाहता है, जो भी उसे देवताओं के वस्त्र लाकर पहनायेगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जायेगा। एक व्यक्ति हाजिर हुआ। उसने कहा "हुजूर ! हम आपको दैवीय वस्त्र लाकर पहना देंगे, लेकिन इसके लिए मुझे पन्द्रह दिनों की साधना करनी पड़ेगी।" राजा ने कहा, "ठीक है, तुम्हें पन्द्रह दिन का समय दिया जाता है। यदि तुम पन्द्रह दिनों में न ला सके तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जायेगा।" उस व्यक्ति ने कहा, "राजन ! आपकी शर्त स्वीकार है, लेकिन साधना पर बहुत खर्च आयेगा, अत: इतने धन की व्यवस्था करा दें ताकि मैं अपनी साधना प्रारम्भ कर सकूँ।" राजा ने वैसा ही किया।

पन्द्रह दिनों बाद वह व्यक्ति ताला लगा हुआ एक बड़ा बक्सा लेकर राजा के सामने उपस्थित हुआ और बोला, 'राजन, मैं दैवीय वस्त्र लाने में सफल हुआ। चलिए मैं पहले एकान्त में ये वस्त्र आपको दिखाता और पहनाता हूँ।' राजा को तथा उस बक्से को वह अलग कक्ष में ले गया। ताला खोलने के पूर्व राजा से बोला, "राजन ! दैवीय वस्त्र तो मैं ले आया हूँ तथा आपको पहना भी दे रहा हूँ लेकिन यह उन्हीं को दिखायी देगा जो चतुर तथा बुद्धिमान् हैं। मूर्खों को नहीं दिखायी देगा।" (कहीं-कहीं पर यह मिलता है कि वह व्यक्ति राजा से कहता है कि 'राजन ! ये वस्त्र उसी व्यक्ति को दिखायी देंगे जो अपने पिता की असली सन्तान है।) यह कह कर उसने बक्सा खोला। बक्सा एकदम खाली था। लेकिन राजा कैसे कहता कि उसमें कुछ नहीं है, उसने कहा, "वाह ! क्या दिव्य दैवीय वस्त्र हैं।" उस व्यक्ति ने पूछा, "राजन् ! आप देख रहे हैं न इन दैवीय वस्त्रों की सुन्दरता और चमक !" राजा ने कहा, "हाँ, स्पष्ट देख रहा हूँ।" उस व्यक्ति ने कहा "राजन ! आप इसे एक-एक करके धारण कर लें। यह लीजिए यह वस्त्र, यह लीजिए फलाँ वस्त्र, ...।" वह राजा से एक-एक कपड़े उतरवाता और एक-एक वस्त्र का नाम ले-ले कर राजा को देता जाता पहनने के लिए और राजा को पहनने का नाटक करना पड़ता।

आखिरकार जब राजा के सारे वस्त्र उतर गये और सारे तथाकथित दैवीय वस्त्र राजा ने धारण कर लिए तो उस व्यक्ति ने खुश होकर कहा "राजन ! आप इन दैवीय वस्त्रों में कितने भव्य लग रहे हैं ! लोगों को भी आपके इन दैवीय वस्त्रों के दर्शन का सुअवसर मिलना चाहिए।"

राजा को उसकी बात माननी पड़ी। राजा की उन दैवीय वस्त्रों में हाथी पर सवारी निकली। सभी तरफ मुनादी (ऐलान) करा दी गयी थी कि राजा की सवारी निकल रही है। राजा दैवीय वस्त्रों को पहनकर निकल रहे हैं। सभी लोग दर्शनार्थ उपस्थित रहें। हाँ, शर्त यही है कि वस्त्र उन्हीं को दिखायी देंगे जो बुद्धिमान् होंगे। सवारी जिधर से निकलती, आवाजें आतीं 'क्या दिव्य वस्त्र हैं। राजा इन दैवीय वस्त्रों में कितने भव्य लग रहे हैं। राजा ज़िन्दाबाद ! दैवीय वस्त्र ज़िन्दाबाद !'

राजा के दर्शनार्थियों की भीड़ में एक बच्चा भी था। वह कुतूहलवश यह सब नाटक/हंगामा देखते ही उछलकर बोला, "पिता जी, पिता जी, राजा तो नंगे हैं।" उसके पिता ने डाँट कर बच्चे को चुप करा दिया। और इस प्रकार बच्चे की सहज आवाज, उसकी अभिव्यक्ति का गला घोंट दिया गया। आज भी जो कह सकता है कि राजा नंगे हैं उन्हें वोट देने का हक नहीं दिया गया है, यह कहकर कि वे इम्मेच्योर हैं, अपरिपक्व हैं। क्या झूठ बोलने में पारंगत हो जाना ही मेच्योरिटी है या झूठ देख कर चुप रह जाना ही मेच्योरिटी है ? अपने हित तथा लाभ के आधार पर फैसला लेना ही मेच्योरिटी है ? क्या है मेच्योरिटी ? इतने मेच्योर लोगों के वोट से चुनी हुई सरकारें क्यों इम्मेच्योर हो जाती हैं ? क्या चुनने वाले लोगों तथा चुनी गयी सरकार की मेच्योरिटी में प्रतिलोम अनुपात (इनवर्स प्रोपोर्शन) होता है। क्या मेच्योर लोग इम्मेच्योर सरकारें ही चुनते हैं और इम्मेच्योर लोग ही मेच्योर सरकारें चुनेंगे ?

फिर बच्चे यह तो नहीं चाहते कि केवल उन्हें ही वोट देने का हक हो, बड़ों को वोट देने का हक हो ही नहीं (वैसे हमारे पोपटलाल जी एक बार जोश और गुस्से में आकर कह चुके हैं कि बड़ों से वोट देने का हक छीन लेना चाहिए और केवल बच्चों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए)। खैर, बच्चे तो यह भी नहीं चाहते कि लोकसभाओं/विधान सभाओं में उनके लिए भी उनके प्रतिशत के आधार पर सीटें आरक्षित कर दी जायें, या उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार ही दिया जाये। वे तो महज अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार चाहते हैं। वे बस इतना ही चाहते हैं कि जब राजा को नंगा देखें और सहज रूप से कह दें कि राजा नंगा है तो उन्हें सुना जाये, उन्हें चुप न करा दिया जाये।

2. दूसरा आधार यह है कि जो समाज से, प्रकृति से लेता कम है देता अधिक है, वह अच्छा है, उसे वोट दीजिए। अब प्रश्न है कौन अधिक दे सकता है –

(i) जो मेहनत अधिक करेगा।

(ii) समय का सदुपयोग करेगा, दूसरों की आलोचना तथा व्यर्थ की बातों में समय नहीं गँवायेगा।

(iii) जो तोड़ने, लड़ाने में नहीं और जोड़ने, मेल-मिलाप कराने में विश्वास करेगा।

मेरी गजल के कुछ शेर हैं :-

जो दुनिया से ले कम और दे ज्यादा
उसी बन्दे को कामयाब लिखता हूँ। ❑
यदि मैं धरती से लेता अधिक और देता हूँ कम
तो मैं भी शामिल बेइमान में हूँ। ❑

3. तीसरा आधार यह है कि जो चुनाव में धन खर्च कर रहा है, प्रचार में बेतहाशा पैसा फूँक रहा है, वह समाज सेवा के लिये चुनाव नहीं लड़ रहा है। व्यापार के लिए चुनाव लड़ रहा है। वह जितना खर्च कर रहा है, उसका कई गुना लूटेगा। ऐसे व्यक्ति को कतई वोट मत दीजिएगा। गाँव सभाओं के चुनाओं का एक फायदा यह भी है कि गाँव में सब सबको जानते हैं, अच्छाई भी बुराई भी। तो आप आपस की दुश्मनी व वैमनस्यता भूलकर जो सबसे अधिक संवेदनशील और अच्छा है उसे वोट दीजिए।

4. संवेदनशीलता सबसे बड़ा गुण है। संवेदना शब्द वेदना से बना है, यह वेदना का ही विस्तार है। जो दूसरों की वेदना को भी अपनी वेदना सम या समान या जैसा समझे, वही संवेदनशील है। तो संवेदनशील प्रत्याशियों को ही वोट दीजिए। एक कहानी जो गाँव की एक लोक कथा है जो मैंने बस्ती जिले में अपने गाँव में माता-पिता से सुनी थी, आपके सामने रख रहा हूँ। बाद में जब दुनिया भर की हर भाषा की लोक कथायें पढ़नी शुरू की तो इसी लोक कथा से मिलती जुलती लोक कथायें रूसी भाषा में मिली, दुनिया की अन्य भाषाओं में मिली, दक्षिण भारत की भाषाओं में मिली और आदिवासी क्षेत्र की भाषाओं में भी मिली। सोचिए, लाखों साल पहले, जब छापेखाने नहीं थे, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सारा ज्ञान लोक कथाओं और लोक गीतों के माध्यम से दे रहा था, कितना बड़ा ज्ञान इस लोक कथा में भरा होगा। लोक कथा इस प्रकार है :-

चींटी और व्यवस्था

बचपन में एक कहानी सुनी थी, जो आज भी बहुत प्रचलित है।

एक तोता और एक मैना का जोड़ा था। एक बार भयानक सूखा पड़ा। लोग अनाज के दाने-दाने को तड़पने लगे। तोता-मैना उड़ते-उड़ते जा पहुँचे किसी दूर देश में जहाँ उन्हें एक चने का दाना मिला ! उस चने के दाने को उन्होंने अपनी चोंचों से एक खूँटे से रगड़कर दो भागों में तोड़ने की कोशिश की। दाना टूट तो गया, लेकिन दो दालों में से एक दाल उसी खूँटे में फँस गई। मैना चालाक थी और बची हुई दाल को लेकर उड़ गयी। अब तोते के हिस्से की दाल बची और वह भी खूँटे के अन्दर। तोता बढ़ई के पास गया और बोला-

"बढ़ई-बढ़ई खूँटा चीरो,
खूँटे में दाल बा,
का खाई का पीई, का ले परदेस जाई ?"

बढ़ई ने मना कर दिया, "हट तोता, मेरे पास इतना समय नहीं कि खूँटा चीरूँ तुम्हारे छोटे से काम के लिए।" तोता राजा के पास गया और बोला-

"राजा-राजा बढ़ई मारो,
बढ़ई न खूँटा चीरे,
खूँटे में ...."

राजा ने भी मना कर दिया। तोता रानी के पास गया और बोला-

"रानी-रानी राजा छोड़ो,
राजा न बढ़ई मारे,
बढ़ई ...."
रानी ने भी मना कर दिया। तोता साँप के पास गया-
"साँप-साँप रानी डँसो,
रानी न राजा छोड़े,
राजा न बढ़ई मारे,
बढ़ई ...."
साँप ने भी मना कर दिया। तोता लाठी के पास गया।
"लाठी-लाठी साँप मारो,
साँप न रानी डँसे ...."
लाठी ने भी मना कर दिया। तोता आग के पास गया-
"आग-आग लाठी जारो,"

आग ने भी मना कर दिया। तोता नदी के पास गया। (यहाँ नदी के स्थान पर कहीं-कहीं समुद्र का जिक्र मिलता है।)

"नदी-नदी आग बुझाओ,"
नदी ने भी मना कर दिया। तोता हाथी के पास गया-
"हाथी-हाथी नदी सोखो,"

हाथी ने भी मना कर दिया। तोता रोते हुए जा रहा था। उसका विलाप एक चींटी ने सुना। उसने कहा कि चलो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करने की कोशिश करती हूँ। वह सीधे हाथी की सूँड़ के अन्दर घुस गयी और काटने लगी।

हाथी परेशान हो गया और बोला-
"हमें काटो-वाटो मत कोई, हम नदी सोखब लोई"
और वह नदी सोखने नदी के पास जा पहुँचा। नदी बोली-
"हमें सोखो-वोखो मत कोई, हम तो आग बुझाइब लोई"

और इस तरह धीरे-धीरे क्रम आगे बढ़ई तक पहुँच जाता है। बढ़ई राजा से कहता है-

"हमें मारो-वारो मत कोई, हम खूँटा चीरब लोई"
और आखिर में कहानी के दो रूप मिलते हैं-
एक में खूँटा कहता है-
"हमें चीरो-ऊरो मत कोई, हम दाल देब लोई।"

और दूसरे में बढ़ई खूँटा हल्का सा चीर देता है और तोते को दाल मिल जाती है।

सबसे अहम भूमिका इस कहानी में चींटी की है। फिर यह चींटी है कौन ? यदि हम समाज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वह और कोई नहीं समाज का एक आम आदमी है और हाथी है व्यवस्था। एक अदना सा आम आदमी भी बहुत हद तक बदल सकता है व्यवस्था को। वही बस उठ जाये तो सारी व्यवस्था की सोच में परिवर्तन हो जाता है।

खूँटा, बढ़ई, राजा, रानी, आग, लाठी, नदी और हाथी; ये सभी व्यवस्था के विविध

आयाम हैं। विविध फलक हैं। इन सबकी सोच में परिवर्तन हो सकता है, एक छोटी-सी चींटी की उमंग से कि चलो मैं एक सही काम के लिए, व्यवस्था से जूझने के लिए तैयार हूँ, आत्मोत्सर्ग के लिए तैयार हूँ।

यहाँ पर दो बातें और महत्त्वपूर्ण हैं। बढ़ई को केवल खूँटे को जरा सा चीर कर दाना निकाल देना था। राजा को भी बढ़ई को केवल डाँटकर काम करा देना था। किसी को जान का खतरा नहीं था। लेकिन किसी को तोते के प्रति जरा भी संवेदना नहीं हुई। लेकिन चींटी को इतनी संवेदना हुई कि उसके बस में जो भी था उसने किया। यदि उसके वश में रेंगना था तो वह पूरी संवेदनशीलता के साथ हाथी के सूँड़ में घुसकर रेंगी। तो व्यवस्था परिवर्तन की इच्छा के लिए तीव्र संवेदना का होना आवश्यक है।

दूसरी बात यह कि चाहे बढ़ई हो, राजा हो, लाठी हो या साँप हो, हर एक के पास तोता गिड़गिड़ाते हुए गया लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। चींटी ने स्वयं ही तोते का दुःख देख उसके रोने का कारण, दुःखी होने का कारण पूछा। यह होती है सच्ची संवेदना। यदि कोई किसी से अपनी ज़रूरत बताये और गिडगिड़ाये और तब वह निराकरण की चेष्टा करे तो वह सच्ची संवेदना नहीं कही जा सकती। सच्ची संवेदना तो यह है कि जब कोई अपनी तरफ़ से दूसरों के दुःख को जानने की कोशिश करे और उसके निराकरण में जुट जाये जैसा कि चींटी ने किया।

यहाँ एक प्रश्न और भी उठता है ? यह तो सच है कि बढ़ई संवेदनहीन था। लेकिन क्या राजा, रानी, साँप, नदी, लाठी, आग भी केवल संवेदनहीन थे ? या उन सबमें निहित स्वार्थवश एक गटजोड़ भी था, जिसकी वजह से न तो वे एक-दूसरे की शिकायत सुनने को तैयार थे और न ही सज़ा देने को। इसकी प्रबल सम्भावना है कि निहित स्वार्थवश उनमें एक गटजोड़ रहा हो और वह केवल भयवश ही अंत में टूट सका।

वैसे इस कहानी में व्यवस्था का एक अच्छा फलक भी देखने को मिलता है। तोते को अपनी बात बेबाक़ कहने के लिए, बढ़ई, राजा, रानी, साँप, लाठी, आग, नदी, हाथी तक पहुँचने को तो मिल गया। वह बेरोक-टोक उनके पास पहुँच तो सका। आज का माहौल शायद और बिगड़ गया है। आज एक छोटा आदमी व्यवस्था के उच्च शिखरों तक पहुँच ही नहीं सकता, इसलिए और भी यह कहानी प्रासंगिक हो जाती है। अब तोते की सारी आशाएँ मात्र चींटी से ही रह जाती हैं।

अब आते हैं इस कहानी के सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू पर। तोते के चींटी से मिलने और चींटी के पास जाने तक जो व्यवस्था थी वह अक्रियाशील थी, असंवेदनशील थी। जब चींटी उठी तो पूरी व्यवस्था क्रियाशील हो उठी। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि व्यवस्था में जो अंग हैं, वे वही हैं। वही बढ़ई है, वही राजा है, वही नदी है, वही लाठी है, वहीं साँप है, वही हाथी है। सब कोई अक्रियाशील थे और थोड़े ही अन्तराल में सब कोई क्रियाशील हो गये, एक चींटी के कमर कस लेने से। किसी को कोई अत्यधिक भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ी। बस थोड़ा-सा भय और थोड़ा-सा अपने कर्तव्य का आभास और एहसास हो गया तो पूरी कार्यपद्धति में क्रियाशीलता आ गयी।

तो यही व्यवस्था और इसी व्यवस्था के लोग अच्छा काम कर सकते हैं। यही राजनेता, अधिकारी, नौकरशाह, प्रबन्धक, अध्यापक, व्यापारी, वकील, डॉक्टर सभी ठीक

से काम कर सकते हैं। वस आम आदमी को चींटी वनना होगा।

इस कहानी में जो सारी दुनिया में है, एक चींटी के उठने के पहले सारा सिस्टम अक्रियाशील था, काम नहीं कर रहा था, और एक चींटी के उठ जाने से क्रियाशील हो उठा, काम करने लगा। आप सोचिए-

इस कहानी में सवसे शक्तिशाली कौन है ?

नेता किसे होना चाहिए? नेता वनने का गुण और क्षमता किसमें है?

सवसे अच्छा मैनेजर, प्रवन्धक कौन है?

किसके जैसा होने की कोशिश सवको करना चाहिए? कौन कहानी में आदर्श चरित्र का है?

किसी भी कोण से, तरह से सोचिए, उत्तर चींटी ही मिलता है। और वह यह सब कुछ है, अपने केवल एक गुण की वजह से। और वह है संवेदनशीलता। और सबके पास तोता गिड़गिड़ाते हुए गया लेकिन किसी में इतनी संवेदना नहीं हुई कि कोई उसके लिए कुछ करे। लेकिन चींटी में इतनी संवेदना हुई कि उसने खुद आकर तोते से रोने का कारण पूछा और जितना उसके वश में था, उतना किया। यदि चींटी तोते से रोने का कारण पूछ-जान कर वापस चली जाती तो क्या यह संवेदना होती? नहीं ! तब यह मात्र उत्सुकता बन कर रह जाती, जैसा कि अक्सर बीमार पीड़ित या दुर्घटनाग्रस्त के आसपास भीड़ खड़ी रहती है। कोई कुछ करता नहीं। यह उत्सुकता संवेदना में तव बदली जब चींटी के वश में जितना था, उतना उसने किया। तो आपको आगे के चुनावों में उन्हीं को जिताना है जो चींटी की तरह संवेदनशील हों, आप के दुःख-दर्द को अपना समझते हों। और ऐसी चीटियों की कमी नहीं है। आपके आसपास बहुत हैं। वस ध्यान से देखिये तो सही, पहचानिये तो सही, जाति, धर्म, वर्ग, गरीव, अमीर के चश्में को उतार फेंकिये। फिर आप सही पहचान पायेंगे। आँखों की पट्टियाँ खोलिए, आँखें खोलिए। मेरी एक कविता है :-

गांधारी

गांधारी! तुमने अपनी आँखों पर
स्वयं पट्टियां बाँध लीं,
पति-व्रत धर्म निभाने के लिए।
असली पति-व्रत धर्म तो होता
कि तुम अपने पति से कहतीं
अब मेरी आँखें तुम्हारी भी आँखें बनेंगी।
वे अनवरत तुम्हारी
देखभाल में, रक्षा में, सेवा में रहेंगी
दुगुनी शक्ति से।

लेकिन अच्छा धर्म, अच्छा रास्ता
दिखाया/सिखाया/बताया तुमने।
तुम्हारी मानें तो
पितृ-भृत्त धर्म निभाने के लिए
अंधे पिता के पुत्रों को भी
आँखों पर पट्टियां बांध लेनी चाहिए।
राज्य-धर्म निभाने के लिए
अंधे राजा की प्रजा को भी
अपनी आँखों पर पट्टियां बांध लेनी चाहिए।

अच्छा, चलो मान भी लें
कि अति भावुकता में तुमने
बाँध ही ली आँखों पर पट्टियां
कि तुम अपने पति से अधिक कैसे देखतीं?
पति के अहं को,
श्रेष्ठता के अहसास को
ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थीं।
लेकिन फिर यह मिथ्या भ्रम और प्रचार
कि पट्टी बांधे-बांधे
तुम्हारी आँखों में इतनी शक्ति आ गई है
कि तुम जिसे भी देखोगी
वह फौलाद का हो जाएगा

इसे क्या कहेंगे?

कोई कुछ भी कहता
जमाना कुछ भी कहता
कृष्ण कुछ भी कहते,
एक माँ होकर भी,
तुम्हें यह विश्वास कैसे हो गया
कि तुम्हारी आँखों में
उस माँ की निश्छल आँखों से
अधिक शक्ति आ गई
जो निरंतर अपने बच्चे को
स्नेहिल, भोली आँखों से
निरखती रहती है, दुलारती रहती है।
तुम्हारा इस दुष्प्रचार में विश्वास
कि कर्तव्य पालन से
कर्तव्य हीनता से अधिक शक्ति निहित है
कितना घातक हुआ है
तुम सोच भी नहीं सकतीं।

तुम्हारी देखा-देखी
आज भी अनगिनत लोग
अपनी-अपनी आँखों पर
तरह-तरह की पट्टियां बांधे बैठे हैं
अंध विश्वासों की पट्टी
नाम और विशेषणों की पट्टी
दुराग्रहों, पूर्वाग्रहों की पट्टी
समूह, भीड़, समुदाय की पट्टी
लोभ, लाभ और विज्ञापनों की पट्टी
इस भ्रम में
कि फर्ज और धर्म भी निभा रहा है
और लगातार शक्ति भी
अर्जित होती जा रही है।
भला ऐसा सम्भव है?
सामान्य प्राकृतिक नियम है
कि जिस भी अंग का प्रयोग नहीं किया जाता
धीरे-धीरे उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है
तुम्हारी आँखों की शक्ति भी तो
क्षीण हो गई रोज-ब-रोज।

यह तो भला हो कृष्ण का
कि उन्होंने तुम्हारे भ्रम की लाज रख ली
अन्यथा यदि वे दुर्योधन को लंगोट न पहनाते
और तुम देखतीं
दुर्योधन का निर्वस्त्र सम्पूर्ण शरीर
और फिर भी
उसका शरीर वैसे ही विखंडित हो जाता
जो कि होना ही था
तो फिर तुम्हारी पट्टी कथा को
कब का विराम लग जाता।

रही बात पति-व्रत धर्म की
तो आँखों पर पट्टियां बाँध कर
तुमने आजीवन प्रति-व्रत धर्म निभाया
खूब पुण्य कमाया
लेकिन क्या हासिल हुआ तुम्हें?
इतने पुण्य का क्या प्रताप/प्रभाव रहा?
तुम, तुम्हारा परिवार, पति, पुत्र, परिजन
क्या कोई सुखी हुए?
फिर ऐसे व्रत, ऐसे पुण्यार्जन का लाभ?
आँखों पर पट्टियां बांधने से
पतिव्रत धर्म शायद निभ ही गया हो
लेकिन क्या इससे
पुत्रों-प्रपौत्रों के पालन-पोषण में,
पुत्र-धर्म निभाने में बाधा नहीं आयी?
राज-धर्म निभाने में बाधा नहीं आयी?
प्रकृति-धर्म निभाने में बाधा नहीं आयी?
क्या पुत्र-धर्म, राज-धर्म, प्रकृति-धर्म
पतिव्रत धर्म का हिस्सा नहीं है?
क्या धर्म को टुकड़ों-टुकड़ों में
बाँटा जा सकता है?
काश! तुम विराट अविभाज्य धर्म का
मर्म समझ पातीं।

वैसे सारे धर्म-निर्वहन का जिम्मा
क्या तुम्हारा ही था?
क्या धृतराष्ट्र का कोई धर्म नहीं था?
धृतराष्ट्र को भी तो
पत्नी-व्रत धर्म निभाने के लिए
पुत्र-धर्म, राज-धर्म, प्रकृति-धर्म निभाने के लिए
आदेश देना चाहिए था तुम्हें कि
'तुम अपनी आँखों की पट्टियां खोल दो!' ❑

तो अब आँखे बंद करने का समय गया, पट्टी बाँधने का समय गया। आँखें खोलकर रखना है, पट्टियाँ हटा कर रखना है। तभी हम लोकपाल बन पायेंगे। लोक देखने से बना है, जो देखता है वही लोकपाल है। अब इस देश को 120 करोड़ लोकपाल और 120 करोड़ भागीरथों की जरूरत है तभी संविधान से निकली लोकतंत्र की गंगा जन-जन तक पहुँचेगी, जन-जन को उसका लाभ मिल सकेगा। कई बार लोग कहते सुने जाते हैं - 'हम अकेले क्या कर लेंगे?, या अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता' उनके लिए ही मेरा एक शेर है, कुछ और शेरों के साथ -

'सच है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता
लेकिन आदमी चना है, यह भी तो सच्चाई नहीं है।
जिस व्यवस्था में आम आदमी की सुनवाई नहीं है
उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई नहीं है।
हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा (कदमों के निशान)
अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है।

इस सिलसिले में कई भ्रान्तियाँ भी फैलायी गयी हैं। जैसे कोई गरीब आदमी प्रत्याशी बनने लगे तो अक्सर लोग कहने लगते हैं, 'अरे वो भुक्खड़ जीतेगा, तो पहले अपना घर ही भरेगा। रेत पर पानी डालिये तो सोख लेता है।' यह केवल धनवानों द्वारा की जा रही है साजिश है, दुष्प्रचार है। जो लोभी है वही रेत के समान है और सब कुछ सोख लेता है। यह सवाल गरीबी-अमीरी का नहीं चरित्र का है। देने की इच्छा या लूटने की इच्छा का है। जो हमेशा देने की इच्छा रखेगा वह कभी भी बहुत अमीर हो ही नहीं पायेगा, या हो भी गया तो भी उसका धन लोगों की भलाई के लिए रहेगा और वह एक ट्रस्टी के रूप में ही उसका इस्तेमाल करेगा।

एक और मजेदार बात है। जब दो दुष्ट प्रकृति के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे होते हैं तो एक दूसरे से जलते-भुनते रहते हैं तथा एक दूसरे को हराने की जी जान से कोशिश करते हैं और दूसरे वाले के जीतने से दुःखी भी होते हैं, लेकिन वहीं पर एक सज्जन प्रत्याशी के जीत जाने से दोनों ही मन में उतना व्यग्र या व्यथित नहीं होते बल्कि कहीं अंदर ही अंदर संतुष्ट ही होते हैं चलो एक अच्छा, भला आदमी आया।

5. अक्सर देखा जाता है कि चुनाव में प्रत्याशी चुनाव के पहले खूब शराब तथा उसके पाउच बाँटते हैं। तमाम गाँवों की सभाओं में जहाँ महिलायें भारी संख्या में थीं मैने सवाल पूछा कि यदि आपका पति या बेटा शराब या पाउच लेकर वोट देता है तो क्या आपको अच्छा लगता है, तो सबका उत्तर 'नहीं' ही था। सबने एक स्वर से कहा कि पति या बेटे के शराब पीने का फल तो उन्हें या उनके छोटे-छोटे बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। तब मैंने कहा कि "यदि शराब बांटने वाला लोगों को शराब पिलाकर जीतेगा तो वह आप की समस्यायें तो बढ़ायेगा ही। इसलिए शराब पिलाने वाले, पाउच बाँटने वाले प्रत्याशियों को वोट मत दीजिए। आप महिलायें हर जगह कुल वोट देने वालों की लगभग आधी हैं, 50 प्रतिशत हैं। यदि आप सब ने ठान लिया, जाति, धर्म, वर्ग से ऊपर उठकर, कि ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगी तो ऐसा प्रत्याशी जीत ही नहीं सकता। हाँ परिवार में कलह भी नहीं करना है यदि प्रत्याशी से शराब लेकर आपका भाई या बेटा आप से उसे वोट देने को कहता है तो उस वक्त विरोध भी मत कीजिए। उस समय उनसे झगड़ा या बहस मत करिए कि आप उसे वोट नहीं देंगी। मतदान गुप्त या छिपाकर होता है, मत डालते वक्त आप सबसे अच्छे संवेदनशील प्रत्याशी को ही वोट दीजिए।"

इसी प्रकार जो प्रत्याशी तमाम सारे तोहफे या पैसे रुपये बाँट रहा है, उसे थोड़े समय के लिये अमानत समझकर रख लीजिए। यदि आप मना करेंगे और वह दवंग होगा तो मानेगा कि आप उसे वोट नहीं देने जा रहे हैं, आप का विरोध करेगा। सताने की कोशिश भी कर सकता है। लेकिन वोट आप अच्छे संवेदनशील प्रत्याशी को ही दीजिए। जब ऐसे धन बल से जीतने का प्रयास करने वाले प्रत्याशी हार जायेंगे और अच्छे लोग चुनाव जीत जायेंगे तो फिर पैसे वालों की दबंगई खत्म हो जायेगी। वे भीगी बिल्ली बन जायेंगे। उस समय उनका दिया हुआ सामान उन्हें वापस कर दीजिएगा। वे खुश ही होंगे कि चलो कुछ तो नुकसान कम हुआ।

आप अच्छे लोगों से आग्रह करिए कि वे चुनाव में भाग लें, अपना नामांकन करायें हो सकता है कि वे कहें कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। आप उनको समझाइये कि चुनाव लड़ना नहीं है, चुनाव में भाग लेना है यह लोकतंत्र है। इसमें भाग लेना, सहभागिता करनी है। हमें पुरानी शब्दावलियों को बदलना होगा। लड़ने के लिए विरोध और संघर्ष का भाव रहता है, जबकि भागीदारी के लिए मिलजुल कर काम करने का भाव।

कई बार अच्छे लोग यह सोच कर चुनाव में भाग नहीं लेते कि इन धनबलियों, बाहुबलियों या माफियाओं के बीच वे कहाँ ठहर पायेंगे। उन्हें यह समझना होगा कि माफिया का जवाब जन समूह ही है। जब जनता एक हो जाती है तो बड़े-बड़े माफियाओं की घिग्घी बँध जाती है, और वे भाग खड़े होते हैं। एक सच्ची कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है, आपके सामने रख रहा हूँ -

अनुशासित इन्क्लाब

(मुझे तो यह बहुत दिनों में घटी सबसे सशक्त घटना और खबर लगती है। भले ही अखबारों और मीडिया में जगह न मिली हो, ऐसी घटनाएं अब देश दुनियां में खूब होंगी।)

अरुण ने आई.आई.टी. से बी.टेक. करने के बाद कानपुर शहर से ३५ किलोमीटर दूर एक स्कूल का प्रिंसिपल होना स्वीकार किया। ये स्कूल कानपुर शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार द्वारा शुरू कराया गया था। इस परिवार के और भी कॉलेजेज़ थे, जो सभी बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहे थे और पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे थे। उन्होंने अपने ग्रुप से जो बचत हुई, उसी से सोचा था कि दूर गाँव में गरीब बच्चों के लिए अच्छा विद्यालय चलाया जायेगा, इसके लिए स्कूल की बिल्डिंग भी तैयार करा ली थी, जो कि गाँव के अन्य स्कूलों की तुलना में बहुत अच्छी थी। जब अरुण ने वहाँ जाकर स्कूल का माहौल देखा, तो उसे लगा कि शायद इस क्षेत्र को उसकी जरूरत है, उसने तभी निश्चय कर लिया कि वे बड़ी-बड़ी मल्टी नेशनल कम्पनियों के करोड़ों रूपये के सैलरी पैकेज को ठुकरा कर आम आदमी के बीच में काम करेगा। शायद उसे भौतिक समृद्धि न मिले, लेकिन उसकी आत्म समृद्धि होगी। पिछले चार-पाँच सालों में वह स्कूल उस क्षेत्र के लिए प्रकाश स्तम्भ बन गया था। वहाँ की लाईब्रेरी आस-पास के क्षेत्र के सभी लोगों के विकास का केन्द्र बन गयी थी, लाईब्रेरी रात-दिन खुली रहती थी। यू.पी. बोर्ड की परीक्षा में उस स्कूल के बच्चे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दे रहे थे, जबकि नकल का कोई सवाल ही नहीं था। क्षेत्र में चारों तरफ अरुण और उस स्कूल की खूब प्रशंसा थी। अरुण का आदर्श जापानी 'तोतो चान' पुस्तक के वह शिक्षक थे, जो समाज के सभी तिरस्कृत बच्चों को पढ़ाते थे और उनके स्कूल से निकले सभी-के-सभी जापान के शीर्षस्थ स्थानों पर पहुँचे थे।

सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तभी बगल के गाँव के शक्तिशाली एवं बाहुबली नेताजी ने एक दिन स्कूल में प्रवेश किया और धमक के साथ अरुण के कमरे में आए। उन्होंने कहा कि हमारे घर में बच्चे की शादी है बहुत सारे कार्यकर्ता और अतिथि आएंगे। आपके स्कूल की बिल्डिंग

अच्छी है, कमरे अच्छे हैं इसलिए यह जरूरी है कि शादी के समय पाँच दिन के लिए आप विद्यालय को हमें दे दें, जिसमें हमारे कार्यकर्ता और अतिथि रुकेंगे। अरुण ने नेताजी से पूछा फिर बच्चों की पढ़ाई उन दिनों कैसे होगी? तो नेताजी ने बड़ी उद्दण्डता से कहा कि स्कूल को पाँच दिनों के लिए बन्द कर दीजिए। अरुण ने जब कहा कि यहाँ पर हमारा पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही रहता है, बच्चों की पढ़ाई को हम पूजा के भाव से लेते हैं, इसलिए पढ़ाई बन्द करना असम्भव है, तो नेताजी ने कहा फिर आप सोच लीजिए हमें तो आपका स्कूल चाहिए ही चाहिए। नेताजी अगले दिन फिर आने को कहकर विदा हुए, जाते-जाते यह जरूर कह गये थे कि हम देख लेंगे कि आप कैसे स्कूल हमें पाँच दिनों के लिए नहीं देंगे, स्कूल लेने के सभी हथकंडे हमें आते हैं।

नेताजी के चले जाने के बाद अरुण ने सभी डेढ़ हज़ार बच्चों को इकट्ठा किया और एक सभा की। सभा में नेताजी से हुई पूरी बातचीत बताई और बच्चों से, जो हर उम्र के थे, दर्जा एक से दर्जा बारह तक पढ़ने वाले थे, उनसे पूछा कि बताओ बच्चों क्या होना चाहिए? क्या स्कूल बन्द कर दिया जाए? और बिल्डिंग पाँच दिन के लिए नेताजी को दे दी जाए या पढ़ाई जारी रखी जाए। सभी बच्चों ने एक स्वर से कहा कि हम चाहते हैं कि पढ़ाई जारी रहे यहाँ पर इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है और हम लोगों के भविष्य का निर्माण हो रहा है। हम स्कूल को बन्द होना नहीं बर्दाश्त कर सकते, जब बच्चों की आम सहमति स्कूल न बन्द करने की हुई, तो अरुण ने बच्चों से कहा कल सुबह प्रार्थना के समय अपने माता-पिता, दादा-दादी, बड़े भाई-बहन, जिनको-जिनको सम्भव हो, लेकर के आना और इस विषय पर चर्चा होगी।

अगले दिन करीब चार हजार अभिभावक और लोग प्रार्थना के समय उपस्थित हुए, अरुण को बहुत अच्छा लगा। उसने पूरी बात सारे लोगों को बताई और यह भी कहा कि कल बच्चों ने इच्छा जाहिर की है कि स्कूल चलता रहे, अब आप लोग बताइए कि आप लोगों की क्या इच्छा है? क्या राय है? सभी लोगों ने एक स्वर से कहा कि स्कूल चलते रहना चाहिए। सभी लोग इस बात से बेहद प्रसन्न और संतुष्ट थे कि स्कूल ने एक नयी ज्योति जगाई है और पूरे क्षेत्र के विकास और एक नई मानसिकता के विकास में जबरदस्त भूमिका निभायी है, इसीलिए सभी लोगों ने कहा कि स्कूल चलता रहेगा। तब अरुण ने कहा, लेकिन नेताजी तो आज फिर आने को कह गए हैं, स्कूल बन्द कराने के लिए। इस पर सारे अभिभावकों के समूह ने तुरन्त फैसला किया कि चलो नेताजी का घर तो ज्यादा दूर थोड़े ही है, मुश्किल से एक कि.मी. होगा, चलो हम सब उनके घर चलते हैं और पूरा समूह पैदल ही उनके घर की तरफ चल पड़ा।

इतने सारे लोगों के एक साथ घर के बाहर एकत्रित देखकर नेताजी आश्चर्यचकित हो गये और समूह ने उनसे कहा कि नेताजी आप स्कूल क्यों बन्द कराना चाहते हैं? आप स्कूल बन्द कराने को क्यों गए थे? नेताजी ने कहा घर में शादी है इससे अच्छी बिल्डिंग आस-पास नहीं है और पाँच ही दिन की तो बात है। समूह ने कहा पाँच दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चों के भविष्य का सवाल है, जिसमें एक-एक पल महत्वपूर्ण है, अगर यह स्कूल नहीं बना होता, तो क्या आपके बच्चे की शादी नहीं होती? स्कूल का चलते रहना सबसे बड़ी पूजा है, उसमें हम लोग किसी तरह का व्यवधान नहीं बर्दाश्त कर सकते और नेताजी इस बात को ध्यान रखिए कि आप नेता हमारे ही वोटों की वजह से हैं, अगर आपने स्कूल बन्द कराने के बारे में सोचा या कुछ भी किया तो आप फिर नेता नहीं रहेंगे। हम सब न केवल आपको वोट नहीं देंगे, बल्कि आपके विरोध में प्रचार भी करेंगे। आप हमारे ही वोटों से जीत कर नेता बने हैं और हम सब आपकी नेतागीरी को अस्त भी कर सकते हैं, इसलिए यदि आप अपना भला चाहते हों तो उस स्कूल की तरफ आँख उठाकर भी न देखें। शादी की व्यवस्था कहीं-न-कहीं हो ही जाएगी और चलिए हमारे साथ उस स्कूल में इतने समर्पित भाव से पढ़ा रहे उस प्रिंसिपल से माफी माँगिए, नेताजी ने ना-नुकुर करने की बहुत कोशिश की,

लेकिन भीड़ जबरदस्ती उन्हें स्कूल ले गई। प्रिंसिपल साहब के सामने माफी मंगवायी और प्रिंसिपल साहब से आग्रह किया कि आप उसी भाव से स्कूल चलाते रहिए और क्षेत्र के विकास के प्रकाश स्तम्भ बने रहिए।

जब मैंने कई लोगों से इस कहानी की चर्चा की तो सबने एक स्वर से कहा कि इसको तो हिन्दुस्तान या धरती के कोने-कोने तक पहुँचना चाहिए और इस कहानी का नाम होना चाहिए 'अनुशासित इन्कलाब'। बच्चों ने और जन समूह ने इन्कलाब तो किया, लेकिन बहुत ही अनुशासित तरीके से और प्रिंसिपल साहब ने भी बच्चों के विवेक का सहारा लिया। बच्चों से पूछा और बच्चों ने एक स्वर से सही फैसला दिया। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा था 'बच्चों को हमारे पास आने दो, उन्हें रोको मत, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।' जहाँ बच्चों की सम्यक राय ली जाएगी, निश्चय ही वहां की व्यवस्था और जीवन सुखमय, आनन्दमय और स्वर्ग जैसी होने लगेगी।

कुछ लोगों ने कहा कि यह घटना एक जगह घटी है, लेकिन हर जगह तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि पूरा देश और पूरी दुनिया अब परिवर्तन के लिए और अनुशासित इन्कलाब के लिए तैयार है। जैसे भड़भूजे के हांडी में यदि तापमान उचित स्तर पर पहुँच जाता है, तो भले ही कोई एक दाना सबसे पहले फूटे, लेकिन थोड़ी देर से सभी दाने फूटने लगते हैं, उसी प्रकार अब हर जगह लोगों को अपनी शक्ति का अहसास होना शुरू हो जाएगा। अब लोग प्रत्याशियों की चालाकी, प्रचार-प्रसार, विज्ञापन और उनकी समझ से वोट नहीं देंगे, बल्कि अपनी समझ से वोट का इस्तेमाल करना सीखेंगे और उसी से शीघ्र ही अनुशासित इन्कलाब आएगा। यह घटना जो एक स्कूल में घटी है शीघ्र ही हर जगह सम्भव होने लगेगी, वैसे भी पूरा देश और पूरी दुनिया के लोग इस मानसिक परिवर्तन के लिए तैयार हैं।"

एक बात और। अगर आपका क्षेत्र 'महिला' के लिए आरक्षित है तो उस वर्ग की सबसे अच्छी महिला प्रत्याशी को वोट दीजिए न कि महिला के पति को देखकर। महिला के खुद के गुण दोषों पर विचार करके वोट दीजिए। वैसे भी किसी भी डमी या बेनामी प्रत्याशी को वोट मत दीजिए। 'डमी' वह प्रत्याशी है जिसे किसी और ने अपना हित साधने के लिए मैदान में उतारा है।

इस बार जब कोई गलत प्रत्याशी धनबल से, बाहुबल से, शराब बाँट कर या जाति, धर्म, वर्ग की दुहाई देकर वोट मांगने आये तो जरूर एक बार मन ही मन गुनगुना लीजिए वह सदाबहार मशहूर गाना थोड़ा संशोधित करके -

अब आने की जिद न करो
हम तो मर जायेंगे
हम तो मिट जायेंगे ....

इस प्रकार यदि आप समझ बूझ कर आँख खोल कर वोट देंगे तो आप खुशहाल होंगे, बच्चों का भविष्य सुधरेगा, गाँव खुशहाल होगा, प्रदेश खुशहाल होगा तथा देश खुशहाल होगा। मेरी एक कविता है :-

गंदा पानी बह-बह कर
खुद ही रोकता जाता है, बंद करता जाता है
अपने बहने के सभी छेद और स्थान
साफ पानी रास्ता बनाता है।

तो अब आप ही को तय करना है कि रास्ते बनाना है या बंद करना है, व्यवस्थायें बनानी है या बंद करनी है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए रास्ते और व्यवस्थायें बनाकर जाना है या बंद करने जाना है। ●

भाग-5

क. शपथ-पत्र

आप किसी प्रत्याशी को लिखित वोट देते हैं, वह भी मतदाता सूची में अपने नाम की रजिस्ट्री करा के, दस्तखत करके। तो फिर इतना तो करिए कि इस बार जो भी प्रत्याशी वोट मांगने आये उससे एक लिखित शपथ पत्र लीजिए, उसका हस्ताक्षर कराके ताकि भविष्य में यदि वह उन बातों को पूरा न करे, तो आप उससे सवाल कर सकें। बेहतर होगा कि आप सब मिलकर सामूहिक रूप से हर प्रत्याशी से यह शपथ पत्र लें -

1. संविधान का पालन करेंगे तथा आदर्शों का आदर करेंगे। उसमें लिखित मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे।
2. जाति, धर्म, वर्ग वाद नहीं चलायेंगे, न जीतने के पहले, न जीतने के बाद।
3. सबके हित की बात सोचेंगे, करेंगे। जिन्होंने उन्हें वोट दिया है, उनके लिए भी, जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया, उनके लिए भी। जो हमारा विरोधी या प्रतिद्वन्द्वी रहा है उसके प्रति भी न्यायपूर्ण ही व्यवहार करेंगे।
4. गाँव या पुरवा वाद भी नहीं चलायेंगे।
5. कोई विजय जुलूस या विजय का जश्न नहीं मनायेंगे। हारे हुए प्रत्याशियों के साथ मिल बैठकर गांव की उन्नति और खुशहाली की चर्चा करेंगे। विरोधियों के साथ मिलकर, उनकी शक्तियों का भी सहयोग लेते हुए विकास करेंगे।
6. सरकारी योजनाओं, पेंशन, राशन, मनरेगा, गरीबों के भवन निर्माण के धन का सही प्रयोग करेंगे।
7. हर बड़े मुद्दे पर गाँव सभा से राय लेंगे। समय-समय पर गाँव सभा की बैठकें बुलायेंगे।
8. ग्राम प्रधान तथा पंचायत के सदस्य मिल-जुल कर गाँव के विकास के लिए काम करेंगे।

ख. सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय नागरिकों के सशक्तीकरण की तरफ एक बड़ा कदम है। इससे व्यवस्था में खुलापन और पारदर्शिता आनी शुरू हुई। कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी संस्था से जनहित में कोई भी सूचना माँग सकता है और वह सरकारी अधिकारी एक निश्चित समय सीमा के अन्दर सूचना देने के लिए बाध्य है। सूचना देने से मना तभी किया जा सकता है जबकि यह व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए माँगी जा रही हो या सुरक्षा के कारणों से रोका जा सकता है। यदि वाजिब सूचना कोई अधिकारी नहीं देता है तो उच्चाधिकारी को अपील की जा सकती है। यदि फिर भी सूचना न मिले तो राज्य सूचना आयोग या केन्द्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है। सूचना न देने पर संबंधित अधिकारी को रोजाना की दर से अर्थदण्ड लगता है, जो उसे अपनी तनख्वाह से देना पड़ता है। सूचना माँगने के लिए सादे कागज पर लिखकर ही सूचना माँगना पर्याप्त है। साथ में 10 रुपये का पोस्टल आर्डर, मनीआर्डर, ड्राफ्ट या चेक देना जरूरी है। यह सूचना आप सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत माँगेंगे।

अतः आप ग्राम विकास अधिकारी से सूचना के अधिकार के तहत पूछ सकते हैं कि किन-किन मदों के लिए कितना-कितना धन आया और कैसे-कैसे खर्च हुआ? कितनी-कितनी सड़कें बनीं या खड़ंजे कहाँ-कहाँ लगे? बहुत सारी गड़बड़ियाँ तो सवाल पूछने मात्र से खत्म होने लगेंगी।

वैसे कई प्रदेशों में पारदर्शिता हेतु शासनादेश द्वारा पंचायतों को यह निर्देश दिया गया है कि अपने कार्यों और खर्चों का ब्योरा प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करें, ताकि कोई भी उसकी जाँच-पड़ताल कर सके। ●

भाग-6

राज्य के नीति निदेशक तत्व

यहाँ राज्य का अर्थ भारत सरकार और संसद, प्रदेशों की सरकारें और विधानमण्डल तथा भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं।

36. परिभाषा--इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" का वही अर्थ है जो भाग 3 में है।

37. इस भाग में अंतर्विष्ट तत्त्वों का लागू होना--इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्त्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्त्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।

38. राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा—

(1) राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।

(2) राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।

39. राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्त्व-राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से—

(क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो;

(ख) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो;

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो;

(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो;

(ङ) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों;

(च) बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और

सुविधाएँ दी जाएँ और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

39क. समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता--राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।

40. ग्राम पंचायतों का संगठन--राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।

41. कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार-- राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।

42. काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध--राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा।

43. कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि--राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवनस्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।

43क. उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना--राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा।

43ख. राज्य सहकारी समितियों के ऐच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यवाही, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन में वृद्धि करने का प्रयास करेगा।

44. नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता--राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।

45. बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध--राज्य, इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।

46. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि -- राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा करेगा।

47. पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य--राज्य, अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।

48. कृषि और पशुपालन का संगठन--राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा।

48क. पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा--राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

49. राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण— संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का, यथास्थिति, लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी।

50. कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण--राज्य की लोक सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।

51. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि --राज्य,--

(क) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का,

(ख) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का,

(ग) संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और

(घ) अंतरराष्ट्रीय विवादों के माध्यस्थम् (मध्यस्थता) द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का, प्रयास करेगा।

अब आइये संविधान के नीति निदेशक तत्वों पर चर्चा करें। ये वे मूल विचार हैं, निर्देश है, सुझाव हैं तथा सिद्धान्त है जिसके अनुसार सरकारों को अपने नियम कानून बनाने हैं तथा कार्य करना है। इन नीति निदेशक तत्वों का तीनों स्तर की सरकारों, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायतों (सरकारों) को पालन करना है।

1.(38) ऐसी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय की व्यवस्था अभी कहाँ वन पायी है कि जिससे लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो। हमारे प्रधानमंत्री ने ही स्वीकार किया था कि केन्द्र से चले 1 रुपये का केवल 15 पैसा ही लक्ष्य तक, सुदूर गाँव तक, दूरदराज़ तक या जनता तक पहुँच पाता है यह पूरा का पूरा एक रुपया जनता तक तभी पहुँचेगा जब जनता जाग जायेगी। और संविधान की जानकारी होना जनता के जागने का पहला और सबसे बड़ा लक्षण है, उपाय है।

एक मित्र ने सवाल उठाया कि जनता के सामने भुखमरी, शिक्षा, बीमारी, बेरोजगारी, रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या है और आप संविधान की बात करते हो। मैंने मित्र से कहा कि यह सब कुछ कैसे दूर होगा? जब अच्छी व्यवस्था आयेगी। जब लोग संविधान में वर्णित आदर्शों के अनुसार वोट देंगे। जब जिम्मेदार, संवेदनशील लोग सत्ता के शिखरों पर पहुँचेंगे, तो पूरा रूपया भी अन्तिम विन्दु तक पहुँचेगा और ये समस्यायें भी दूर होंगी।

2.38(2) और 39 (ग) समाज की सुन्दर संरचना के लिए जरूरी है कि अमीरी गरीबी की खाई कम से कम हो। इसीलिए संविधान में शुरूआत की उद्देशिका में ही लिख दिया गया है कि हमें भारत को एक समाजवादी गणराज्य बनाना है। धारा 38(2) और 39 (ग) में इसी की पुष्टि की गयी है।

आज हालत यह है कि देश के व्यवस्थापकों ने संविधान के इन प्राविधानों को ठीक से लागू नहीं किया जिसकी वजह से गरीबी-अमीरी का अन्तर और बढ़ गया। शहरों और गाँवों के बीच की खाई भी और चौड़ी हो गई। 1970 के आसपास धर्मयुग में एक छोटी सी कविता पढ़ी थी जो आज भी मानस पटल पर कौंधती रहती है -

'राजधानी की जगमगाती सड़क पर
एक भूसे से भरी बैलगाड़ी लुढ़क रही है,
बैलगाड़ी के पीछे
एक टूटी हुई फूटी लालटेन लटक रही है,
एक रोशनी में एक रोशनी भटक रही है।'

अमीरी-गरीबी के अन्तर को मिटाने के लिए, संविधान की मूल भावना को लागू करने के लिए संवेदना का होना जरूरी है। सबका एक दूसरे से जुड़ाव होना जरूरी है तथा गरीबों के बच्चों को सम्यक शिक्षा की व्यवस्था होनी जरूरी है। अमीरों को भी बात का एहसास होना जरूरी है कि अति अमीरी, अत्यधिक सुविधायें खुद उनके स्वास्थ्य तथा बच्चों की परवरिश के लिए बाधक है। अति अमीरी और समृद्धि उन्हीं के भविष्य के वंशजों को नष्ट कर रही है।

एक टीचर (अध्यापिका) का किस्सा याद आता है। एक बार एक अध्यापिका छोटी कक्षा के बच्चों को यह दिखाने के लिए अंडे से बच्चा कैसे निकलता है, एक पका अंडा लेकर क्लास में आयी। उसने बच्चों के सामने मेज पर उस अंडे को रखकर कहा 'यह

एक दम पका हुआ अंडा है। अभी थोड़ी देर में ही इसमें से एक चिड़िया का बच्चा निकलेगा। ध्यान से देखते रहो।' तभी उसे प्रिंसिपल ने बुला लिया जाते-जाते वह कहते हुए गयी कि तुम लोग अंडे को ध्यान से देखते रहना। मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। हां अंडे से कोई छेड़छाड़ मत करना।' टीचर को प्रिंसपल के पास किन्हीं कारणों से अधिक समय लग गया। जब टीचर लौट कर आई तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गयी कि अंडे से निकल रहा नन्हा सा बच्चा मर रहा है। उसने बच्चों से कहा, 'जरूर तुम लोगों ने कुछ किया है अन्यथा स्वस्थ अंडे से निकलता हुआ बच्चा अकारण मर ही नहीं सकता।' टीचर के बहुत पूछने पर एक बच्चे ने बताया कि 'हाँ टीचर, जब बच्चा निकल रहा था तो बहुत तड़फड़ा रहा था शायद जर्दी में पूरा रास्ता नहीं मिल रहा था। हमने जरा सी अंडे की जर्दी तोड़ दी, ताकि बच्चे की तड़फड़ाहट कम हो जाये। वह आराम से निकल सके।' तब टीचर ने कहा "देखा बच्चों ! जिसे तुम बच्चे की तड़फड़ाहट कह रहे थे, वह उसका जीवन संघर्ष था, और जिसे तुम मदद करना कह रहे हो, उसी ने बच्चे को मार दिया।" दरअसल जब बच्चे बढ़ते हुए अपने जीवन में जीवन संघर्ष कर रहे होते हैं तो उन्हें शक्ति मिल रही होती है, और जब उन्हें मदद के नाम पर अति सुविधायें दे दी जाती हैं तो उनकी जीवनी शक्ति खत्म होने लगती है, जीवनी शक्ति ही मरने लगती हैं अति अमीरों को अपने बच्चों के लालन पालन में यह बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था भी होनी ही चाहिए। हमें दोनों ही छोरों या किनारों के संतुलित विकास पर ध्यान देना होगा।

3.43(ख) स्थानीय आवश्यकताओं एवं जरूरतों की पूर्ति हेतु सहकारी समितियों का गठन ग्राम वासियों के विकास के लिए आवश्यक है इसके लिए ग्रामवासियों का पारस्परिक सहयोग एवं भागीदारी अपेक्षित होगी। एक से अधिक विषयों पर एक बहुआयामी सरकारी समितियाँ भी गठित की जा सकती हैं।

अधिकांश सहकारी समितियां वर्तमान में शासकीय सहायता एवं नीतियों पर आश्रित हैं जिससे अपनेपन का बोध नहीं आता और संचालन में भी सामयिक व्यवधान आते रहते हैं। इसलिए इस प्रकार की सहकारी समितियों से इतर सहकारी समितियों का गठन एवं संचालन जो सदस्यों के पारस्परिक सहयोग एवं उनके आपसी जुड़ाव पर ही आश्रित रहे तो इसके सफल संचालन की पूरी संभावना रहेगी।

ग्राम स्तर पर गठित होने वाली सहकारी समितियां "सभी की आवश्यकता/जरूरत अलग-अलग समय पर होती है" के सिद्धान्त पर कार्य करेंगी जिसके लिए सदस्यों को लेन-देन में सामयिक एवं अनुशासित होना होगा, तभी ग्रामवासी भी इस प्रकार की सहकारी समितियों से अपना जुड़ाव महसूस करेंगे।

सहकारी समितियों का प्रजातांत्रिक स्वरूप एवं संचालन आपसी सहमति के आधार पर होता है, इसलिए इनका सफल संचालन ग्राम गणराज्य की कल्पना को साकार करने में अपना अमूल्य योगदान दे सकती हैं।

4.46 व्यवस्था को तो उन्हीं का ध्यान विशेष रूप से देना है जो अशक्त हैं, लाचार हैं। स्वामी कल्याणदेव से मुझे अपनी मुलाकात याद आ गयी -

मुजफ्फरनगर के शुक्रतीर्थ नामक गंगा किनारे के स्थान पर रहने वाले स्वामी

कल्याणदेव वास्तव में सन्त थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत क्रान्तिकारी कार्य किया था। उस क्षेत्र में उन्होंने 150 से भी अधिक स्कूल खोले लेकिन न तो उन्होंने अपना सम्बन्ध किसी स्कूल से जोड़ा न अपने खोले किसी स्कूल पर नियन्त्रण करना चाहा, न उस पर अपना अधिकार चाहा। कम-से-कम आवश्यकताओं वाला बहुत ही सादा जीवन वे जी रहे थे। वे 127 वर्ष तक जीवित रहे और सरकार से उन्हें पद्म पुरस्कार भी मिला। उनके बारे में जब सुना तो उनसे मिलना चाहा। जब मुजफ्फरनगर गया तब मैं स्वामी कल्याणदेव की कुटिया पर गया। उस समय स्वामी जी की आयु 123 वर्ष थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तब वे थोड़ा अस्वस्थ थे अपनी शैय्या पर लेटे थे। मेरे एक मित्र स्वामी जी से परिचित थे उन्होंने स्वामी जी को मेरे बारे में बताया। मैंने स्वामी जी का चरणस्पर्श किया और बिस्तर के बगल की कुर्सी पर बैठ गया। स्वामी जी ने मेरे हाथ अपने हाथों में ले लिये और लगभग 15 मिनट तक पकड़े रहे। मेरे और स्वामी जी की आँखों से आँसू बहने लगे जैसे कि अनादि काल से हम दोनों एक-दूसरे को जानते हों। स्वामी जी ने स्वामी विवेकानन्द से अपने मिलने का प्रसंग बताया। उन्होंने बताया "मैं स्वामी विवेकानन्द से सन् 1901 में मिला था। स्वामी विवेकानन्द ने मुझे दो बातें बताईं। पहली बात वही जो सारे धर्मशास्त्र बताते हैं कि जरूरतमन्द, हाशिए पर पड़े हुए और दुःखी लोगों की सेवा करो। दूसरी बात जो उन्होंने कही वह बहुत गहरी थी, और उसने मेरे हृदय को छुआ, और मेरा जीवन बदल दिया। तब से मैंने इन दोनों सिद्धान्तों का पालन करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। मेरे जीवन को इनसे निर्देशन मिलने लगा। दूसरी बात जो स्वामी विवेकानन्द ने कही कि "कभी यह उम्मीद मत करो कि सचमुच जरूरतमन्द, दुःखी और अपेक्षित लोग तुम्हारे पास मदद के लिए आएंगे। ये सब जो तुम्हारे पास सहायता मांगने आ रहे हैं इनके पास कम-से-कम इतनी शक्ति शेष है कि वे तुम तक पहुँच सकते हैं या उनकी आवाज तुम तक पहुँच सकती है। लेकिन ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी इतनी दयनीय दशा है कि न कोई साधन उनके पास है न इतनी शक्ति शेष है और न वे ऐसी स्थिति में हैं कि वे स्वयं या उनकी आवाज तुम तक पहुँचे। जाओ और ऐसे जरूरतमन्द लोगों को खोजो और उनकी मदद करो।" मैंने अपने ऊपर प्रभु की कृपा का अनुभव किया कि मैं स्वामी कल्याणदेव से मिल सका और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सका।

व्यवस्था को ढूँढ़-ढूँढ़ कर ऐसे लाचारों की मदद करनी चाहिए। व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सरकारी सहायता और विशेष प्रावधानों जैसे आरक्षण आदि का फायदा सीमान्त लोगों तथा बच्चों तक पहुँचे। अभी इन प्राविधानों का इस्तेमाल संवेदना के आधार पर नहीं किया जा रहा है, इसलिए अनाथों का एक बहुत बड़ा वर्ग, जिसकी जाति या माता-पिता का पता नहीं है, आरक्षण या अन्य सुविधाओं से वंचित हैं, क्योंकि इन सुविधाओं के लिए माता-पिता की जाति पता होना आवश्यक है। आज समय और संवेदना की माँग है कि इन प्राविधानों का प्रयोग धनाढ्य या समाज में बहुत आगे बढ़ चुके लोगों को न मिले ताकि वह लाभ अति निरीह वंचित लोगों और उनके बच्चों को मिल सकें, अनाथों और अनाथ जैसों को मिल सके।

5.48 सरकार का काम है कि कृषि और पशु पालन को आगे बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयास करे। जब हम इसमें वैज्ञानिक सोच को भी जोड़ देते हैं तो बड़े अच्छे परिणाम

आते हैं। चेन्नई में मेरे एक मित्र हैं डा. पशुपति। ये कई विषयों में पी.एच-डी. है। गाँव-गाँव में विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए एक बस नुमा गाड़ी में सैकड़ों वैज्ञानिक प्रयोग करने की सामग्री जुटाई, एक चलती फिरती प्रयोगशाला बनायी। क्योंकि यह हकीकत है कि गाँव के अधिकांश स्कूलों कालेजों में साइंस की पढ़ाई तो नाम मात्र को ही हो पाती है क्योंकि प्रयोगशालायें ही नहीं हैं डा. पशुपति की यह प्रयोगशाला बहुत लोकप्रिय है। अब उन्होंने और भी इसी प्रकार के बसों को खरीदकर प्रयोगशालायें तैयार करा ली हैं जो लगातार यात्रायें कर रही हैं। जब यह यात्रा शुरू होनी थी तो मैंने डा. पशुपति को सुझाव दिया था कि इन चलती फिरती प्रयोगशालाओं में दो चीजें और शामिल कर लो। एक तो भूमि परीक्षण का सामान भी रख लो। चेन्नई में ही कई संस्थाओं ने 10-10 रुपये के भूमि परीक्षण के किट तैयार कर रखे हैं। यदि बच्चे अपने ही खेत का सहज भूमि परीक्षण करना सीख जायेंगे तो लोग केवल उतनी ही और वही खाद डालेंगे जितनी और जिसकी खेत को जरूरत होगी। आज भारी मात्रा में गैर जरूरी खाद खेतों में डाली जा रही है जिससे धन का भी अपव्यय हो रहा है और जमीन भी खराब हो रही है। दूसरा मैंने कहा था कि गाँव के लोगों को सूचना के अधिकार (आर.टी.आई.) के बारे में जरूरी जानकारी देते जाना। इन दोनों सुझावों का इन प्रयोगशालाओं की सफलता पर बहुत असर पड़ा।

6.51 संविधान निर्माताओं ने केवल अपने देश ही नहीं, पूरी दुनिया में शांति, न्याय, सौहार्द एवं खुशहाली का सपना देखा। इसके लिए इस धारा की व्यवस्था की। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के सिद्धान्त को मान्यता दी। मेरी एक गजल के कुछ शेर हैं --

पूरी धरती एक बड़ा परिवार है/ सोते जागते यही ख्वाब लिखता हूँ।
रोशनी की एक किताब लिखता हूँ/ अनुशासित इंकलाब लिखता हूँ।
संवेदनायें ही हमें जिंदा रखती हैं/ संवेदनायें बेहिसाब लिखता हूँ।

अपने संविधान में चीजों को सम्पूर्णता में देखने, समझने और नियंत्रित करने की कोशिश की गई है। संपूर्णता में देखने पर चीजें कभी-कभी अलग दिखने लगती हैं। लोग कहते हैं कि आजकल ज़माना बहुत खराब आ गया है। अब तो अच्छे लोगों का ज़िन्दा रहना भी असंभव हो जायेगा। जब 10 में से 6 अच्छे हों 4 बुरे तो उन पर नियंत्रण किया जा सकता है लेकिन जब 9 बुरे हों, एक ही अच्छा बचा हो, तब तो उस अच्छे को समाप्त होने में अधिक दिन नहीं बचे हैं क्योंकि बुरे मिलकर उस अच्छे को समाप्त कर देंगे। यहाँ कई बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक तो कोई व्यक्ति न तो एकदम अच्छा होता है न ही बुरा। अच्छा-बुरा भी परिवेश के अनुरूप ही कहा जायेगा। तो जब भी हम परिवेश को ध्यान में रखकर देखेंगे तो सदैव ही आधे अच्छे नज़र आयेंगे और आधे बुरे। फिर यह हमारे देखने के कोण पर भी निर्भर करेगा। यदि हम गुण-दोष के एक आयाम के अनुसार देखेंगे तो अच्छे-बुरे का एक सेट मिलेगा और गुण-दोष के दूसरे आयामों के अनुसार देखेंगे तो उन्हीं लोगों के समूह में से अच्छे-बुरे के भिन्न-भिन्न सेट मिलते जायेंगे।

आइये थोड़ा अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों के आधार पर इसकी विवेचना करें। चीज़ों को माहौल के साथ देखने की प्रवृत्ति की वजह से ही अर्थशास्त्र में सप्लाई और डिमांड, माँग और पूर्ति का सिद्धान्त पनपा है। हाँ, यह बात अवश्य है कि अर्थशास्त्र में परिवेश तो देखते हैं लेकिन सम्पूर्ण परिवेश नहीं देखते इसीलिए पर्यावरण संतुलन, जीवोक्रेसी

आदि अर्थशास्त्र की सीमा के बाहर चले जाते हैं। भविष्य में ऐसा अर्थशास्त्र ज़रूर पनपेगा जिसमें इन सब चीज़ों पर विचार होगा। हम उसे 'जीवोक्रेटिक अर्थशास्त्र' कह सकते हैं। तो उस स्थिति में जबकि दस में से नौ लोग बुरे हो गये हों और एक ही अच्छा हो तो अर्थशास्त्र के माँग-पूर्ति के सिद्धान्त के आधार पर क्या होगा ? चूँकि अच्छे व्यक्ति की सप्लाई कम और डिमांड अधिक हो जायेगी इसलिये उस एक बचे अच्छे व्यक्ति की खूब कीमत रहेगी। उसे खूब खुशी और इज्ज़त मिलेगी। बुरे व्यक्ति आपस में ही लड़ते-भिड़ते रहेंगे। एक-दूसरे की टाँग खींचते रहेंगे। अच्छे लोगों की संख्या जितनी ही कम होती जायेगी, उनकी इज्ज़त बढ़ती जायेगी। उन्हें कभी कोई ख़तरा नहीं रहेगा।

इसी माँग और पूर्ति के सिद्धान्त का ही एक आयाम है कि पहले तो आदमियों ने जानवरों का खूब शिकार किया, लेकिन जब वे ख़त्म होने लगे तो उनके संरक्षण की बात करने लगे। उनके लिए अभयारण्य बनाये गये, चिड़ियाघर बनाये बये। यह संरक्षण की प्रवृत्ति चीज़ों को सम्पूर्णता में देखने से ही विकसित होती है।

आइये, इस पर भी चर्चा करें कि सामान्यतया हमें अपने आस-पास की व्यवस्था में किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उसके क्या-क्या हल हैं :-

कोई अपराध या दुर्घटना होने पर आप निकट के थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। यदि थाने का प्रभारी एफ.आई.आर. दर्ज करने से इंकार करे तो आप स्वयं या डाक या इंटरनेट के द्वारा, जो अब गाँव-गाँव मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध है, शिकायत जिले के पुलिस अधीक्षक (कप्तान) को भेज सकते हैं। यदि वहाँ भी कार्यवाही न हो तो न्यायालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, न्यायालय उस शिकायत पर एफ.आई.आर. दर्ज करने को आदेशित कर सकता है। (धारा 154 व 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता)

यदि कोई थाना प्रभारी महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध न दर्ज करे तो उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। यौन शोषण अथवा हमला होने पर नजदीकी थाने या न्यायालय में सेक्सुअल हेरेसमेंट एक्ट में कार्यवाही के लिए शिकायत कर सकते हैं। (धारा 166ए भारतीय दंड संहिता)

यदि अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य को कोई गाली दे, मारपीट करे, अभद्र भाषा का प्रयोग करे, पट्टे की जमीन पर कब्जा इत्यादि करे तो निकट के थाने में एस. सी./एस.टी. एक्ट में मुकदमा लिखा सकते हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी से प्रतिकर या अनुग्रह राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जाँच डिप्टी एस.पी. से कमतर अधिकारी नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसे मामलों में शिकायत सच्चाई के आधार पर होनी चाहिए न कि रंजिशन, किसी को फँसाने के लिए या किसी के बहकावे-फुसलावे में आकर।

आपराधिक मुकदमें के पीड़ित गरीब लोगों के लिए न्यायालय में निःशुल्क सरकारी अधिवक्ता नियुक्त हैं। आप जिला जज या सिविल जज के यहाँ निःशुल्क पैरवी हेतु प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। बलात्कार, एसिड बर्निंग, गंभीर अपराध, पाक्सो इत्यादि में प्रतिपूर्ति पाने हेतु पीड़ित व्यक्ति जिला जज, जिला मैजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं।

पुलिस और न्याय-व्यवस्था देश की आंतरिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए है। सबको संविधान की जानकारी हो जाने पर यह व्यवस्थाएं सुचारु रूप से जनकल्याण के लिए काम करने लगेंगी और लोग भी उन्हें पूरा-पूरा सहयोग देंगे। ●

भाग-7

मूल अधिकार

भारतीय संविधान सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी अधिकार देता है। इन मौलिक अधिकारों की छह व्यापक श्रेणियों के रूप में संविधान में गारंटी दी जाती है जो न्यायोचित और न्यायालय में वाद योग्य हैं। संविधान के भाग ३ में सन्निहित अनुच्छेद १२ से ३५ मौलिक अधिकारों के संबध में है. ये अधिकार हैं:

समानता का अधिकार: अनुच्छेद (१४-१८) के अंतर्गत निम्न अधिकार शामिल हैं:

- १- विधि के समक्ष समानता।
- २- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध।
- ३- लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता।
- ४- अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत।
- ५- उपाधियों का अंत।

स्वतंत्रता का अधिकार: अनुच्छेद (१९-२२) के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्न अधिकार प्राप्त हैं:

- १- वाक-स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। जमा होने संघ या यूनियन बनाने, आने-जाने, निवास करने और कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार।
- २- अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।
- ३- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
- ४- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।

इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ भिन्नतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीलनता और नैतिकता के अधीन दिए जाते हैं।

शोषण के विरुद्ध अधिकार: अनुच्छेद (२३-२४) के अंतर्गत निम्न अधिकार वर्णित हैं:

- १- मानव और दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध
- २- कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का पतिषेध

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार: अनुच्छेद (२५-२८) के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित हैं, जिसके अनुसार नागरिकों को प्राप्त है:

- १- अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।

- २- धार्मिक कार्यों के प्रवंध की स्वतंत्रता।
- ३- किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता।
- ४- कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता।

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार: अनुच्छेद (२९-30) के अंतर्गत प्राप्त अधिकार:

- १- किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने का अधिकार।
- २- अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण।
- ३- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार: अनुच्छेद (३२) के अंतर्गत संवैधानिक उपचार के अधिकार के अन्दर ५ पकार के प्रावधान हैं:

- **१-बन्दी प्रत्यक्षीकरण :** वंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी गिरफ़्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किये जाने का आदेश जारी किया जाता है। यदि गिरफ़्तारी का तरीका या कारण ग़ैरकानूनी या संतोषजनक न हो तो न्यायालय व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है।
- **२-परमादेश :** यह आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है।
- **३-निषेधाज्ञा :** जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए 'निषेधाज्ञा या प्रतिषेध लेख' जारी करती हैं।
- **४-अधिकार पृच्छा :** जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है तब न्यायालय 'अधिकार पृच्छा आदेश' जारी कर व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है।
- **५-उत्प्रेषण रिट :** जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी विना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या सक्षम अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। •

भाग-8

अन्य विषय

संविधान में पिछले अध्यायों में वर्णित विषयों के अतिरिक्त भी कई विषय हैं। जो बहुत जरूरी विषय हैं उन पर विस्तार से चर्चा की गयी हैं इसके अतिरिक्त संविधान में निम्न विषयों का वर्णन है -

1. नागरिकता।

2. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव, अधिकार, शक्तियाँ, वेतन आदि।

3. संसद, मंत्रिमंडल गठन, चुनाव, कार्यकाल, कार्यवाही के नियम, संसद और उसके सदस्यों के अधिकार, उनकी शक्तियाँ, विधान या नियम बनाने की प्रक्रिया, बजट बनाने के नियम।

4. राज्यों की विधान सभा मंत्रिमण्डल तथा राज्यपाल के सन्दर्भ में नियम कानून और वेतन आदि।

5. देश तथा प्रदेशों की न्याय पालिका। देश के लिए सुप्रीम कोर्ट, राज्यों के लिए हाई कोर्ट। न्यायधीशों का चुनाव, वेतन, अधिकार, कर्तव्य, कोर्ट के नियम आदि। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों, जिला न्यायालयों आदि की व्यवस्था के बारे में वर्णन है।

6. सरकारी दफ्तरों में हिसाब-किताब तथा काम ठीक से हो रहा है या नहीं, इसके देखभाल के लिए महालेखा परीक्षक तथा नियंत्रक (सी.ए.जी.) की व्यवस्था की गयी है, तथा उनको संवैधानिक अधिकार दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त निम्न विषयों के बारे में नियम कानून अलग-अलग अध्यायों में बताये गये हैं -

(i) कोआपरेटिव सोसाइटीज
(ii) अनुसूचित और जन जातीय क्षेत्रों के बारे में
(iii) केन्द्र और राज्यों के विविध प्रकार के सम्बन्धों के विषय में
(iv) केन्द्र और राज्यों के वित्त, करों तथा उनके बँटवारों के सम्बन्ध में, वित्त आयोग का गठन आदि
(v) भारत तथा राज्य सरकारों के उधार लेने के बारे में
(vi) संपत्ति, संविदायें, अधिकार, दायित्व, बाध्यतायें और वाद के बारे में
(vii) नागरिकों के संपत्ति के अधिकार के बारे में
(viii) भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और आने जाने के बारे में
(ix) संघ और राज्यों के अधीन सेवा, सिविल सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं, आई.ए.एस., आई.पी.एस. तथा आई.एफ.एस. के बारे में
(x) संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोगों के बारे में
(xi) तरह-तरह के ट्राइब्यूनल और उनके गठन के बारे में
(xii) निर्वाचन या चुनाव तथा निर्वाचन आयोग के बारे में
(xiii) तमाम वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, जनजातियों, एंग्लों इंडियन समुदाय, पिछड़े वर्गों आदि के लिए विशेष व्यवस्थायें
(xiv) संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाओं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा के बारे में

(xv) इमरजेन्सी (आपात काल) के विषय में

(xvi) संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में

(xvii) अस्थायी, संक्रमण कालीन और विशेष व्यवस्थाओं के बारे में जिसमें अलग-अलग राज्यों आदि के बारे में समय-समय पर नियम बनाये गये हैं।

इसके अतिरिक्त संविधान में बारह अनूसूचियाँ भी हैं। इनमें तरह-तरह की सूचियाँ या नियमावलियाँ भी हैं।

(i) चौथी अनुसूची राज्य सभा में स्थानों के आवंटन के बारे में

(ii) पाँचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में

(iii) छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातियों के बारे में

(iv) सातवीं अनुसूची में केन्द्र और राज्यों के बीच व्यवस्था के विषयों का बँटवारा किया गया है। इसके तीन हिस्से हैं -

(क) संघ या केन्द्र सरकार के दायरे की सूची

(ख) राज्य सरकारों के दायरे की सूची

(ग) समवर्ती सूची, जिस पर केन्द्र और राज्य दोनों नियम कानून बना सकते हैं।

(v) आठवीं अनुसूची भारतीय भाषाओं की लिस्ट है।

(vi) दसवीं अनुसूची में दल परिवर्तन रोकने के बारे में नियमावली है।

सांसद या विधायक होने के लिये योग्यतायें -

1. वह भारत का नागरिक हो

2. लोक सभा या विधान सभाओं के लिए उम्र कम से कम 25 वर्ष तथा राज्य सभा, विधान परिषदों के लिए उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए।

ग्राम पंचायत का सदस्य होने के लिए उस ग्राम सभा का सदस्य होना चाहिए (वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए) तथा उसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

कोई भी सजायाफ्ता या दिवालिया व्यक्ति ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम, विधान सभा, विधान परिषद, लोक सभा या राज्य सभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। ●

एक अनुभव

एक बार एक सुदूर गांव में संविधान कथा कह रहा था। वहां सड़कें बहुत खराब थीं। संयोग से एक विधायक (एम.एल.ए.) साहब भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मुझे पांच वर्षों में इतने ब्याह-शादियों तथा पारिवारिक उत्सवों के निमंत्रण मिलते हैं कि उन्हें नेवते-उपहार देने में ही 50-60 लाख रुपये लग जाते हैं। यदि मैं सड़कें बनवाने में या विधायक निधि से काम कराने में ठेकेदारों से न लूं तो कैसे होगा? मैंने संविधान कथा सुनाते समय सामने बैठे हजारों गांववालों से पूछा कि आप बताइये आपको कैसा विधायक चाहिए, वह जो सड़कों और निधियों से कमीशन लेता है और आपके उत्सवों में आकर खूब न्यौता-व्यवहार देता है या वह जो उत्सवों में आकर मात्र आशीर्वाद देता है और सड़कें ठीक रखवाता है ताकि आपके वाहन खराब न हों, बच्चों को स्कूल आने-जाने में तथा बीमार को अस्पताल ले जाने में असुविधा न हो। सभी ने एक स्वर से कहा कि हमें दूसरे प्रकार का विधायक चाहिए। उन विधायक महोदय ने भी कहा कि आज मेरी आंखें खुल गयीं, अब मैं भी दूसरे प्रकार का विधायक बनने का पूरा प्रयास करूंगा।

भाग-9

कुछ जरूरी साहित्य और बातें

इस खंड में उन जरूरी बातों, कहानियों या कविताओं को रखा गया है जो संविधान की मूल भावना को समझने के लिये बहुत जरूरी है। खासकर के मुंशी प्रेमचन्द की नीचे लिखी दो कहानियाँ बहुत प्रासंगिक हैं। 'परीक्षा' कहानी यह दिखाती है कि लोकसेवकों और जनप्रतिनिधियों का चुनाव किस आधार पर होना चाहिए।

परीक्षा

"जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजानसिंह बूढ़े हुए, तो परमात्मा की याद आई। जा कर महाराज से विनय की कि दीनबंधु! दास ने श्रीमान् की सेवा चालीस साल तक की, अब मेरी अवस्था भी ढल गई, राज-काज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल-चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे। सारी ज़िंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए।

राजा साहब अपने अनुभवशील नीतिकुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने न माना, तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा।

दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझें वे वर्तमान सरकार सुजानसिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हृष्ट-पुष्ट होना आवश्यक है, मंदाग्नि के मरीज़ को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। एक महीने तक उम्मीदवारों के रहन-सहन, आचार-विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम, परन्तु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे, वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे।

इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊँचा पद और किसी प्रकार की क़ैद नहीं? केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना-अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नये-नये और रंग-बिरंगे मनुष्य दिखायी देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला-सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नई फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने-अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनद के नाम रोया करते थे, यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं थी। रंगीन एमामे, चोगे और नाना

प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज-धंज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की क़ैद न होने पर भी सनद से परदा तो ढका रहता है।

सरदार सुजानसिंह ने इन महानुभावों के आदर-सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने-अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर अ नौ बजे दिन तक सोया करते थे, आजकल वे बगीचे में टहलते हुए ऊषा का दर्शन करते थे। मि. ब को हुक्का पीने की लत थी, आजकल बहुत रात गये किवाड़ बन्द करके अँधेरे में सिगार पीते थे। मि. द स और ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल 'आप' और 'जनाब' के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। महाशय क नास्तिक थे, हक्सले के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देख कर मन्दिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी ! मि. ल को किताब से घृणा थी, परन्तु आजकल वे बड़े-बड़े ग्रन्थ देखने-पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए, वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। शर्मा जी घड़ी रात से ही वेद-मंत्र पढ़ने में लगते थे और मौलवी साहब को नमाज और तलावत के सिवा और कोई काम न था। लोग समझते थे कि एक महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है।

एक दिन नये फैशनवालों को सूझी कि आपस में हाकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हाकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है। इसे क्यों छिपा रखें। संभव है, कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगा।

रियासत देवगढ़ में यह खेल बिलकुल निराली बात थी। पढ़े-लिखे भलेमानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़-कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे।

खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को ले कर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है। लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार है।

संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गये। खून की गर्मी

आँख और चेहरे मे झलक रही थी। हाँफते-हाँफते बेदम हो गये, लेकिन हार-जीत का निर्णय न हो सका।

अँधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हट कर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चल कर आना पड़ता था। खेल अभी बन्द ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिये हुए उस नाले में आया लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊँची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुँच जाती। किसान बार-बार जोर लगाता और बार-बार झुंझला कर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर-उधर निराश हो कर ताकता मगर वहाँ कोई सहायक नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता। बड़ी आपत्ति में फँसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिये घूमते-घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आँखों से देखा, परंतु किसी से मदद माँगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा मगर बन्द आँखों से, जिनमें सहानुभूति न थी। उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हाकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लँगड़ाता हुआ धीरे-धीरे चला आता था। अकस्मात् उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गयीं। डंडा एक किनारे रख दिया। कोट उतार डाला और किसान के पास जा कर बोला मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूँ ?

किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लम्बा आदमी सामने खड़ा है। झुक कर बोला- हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा मालूम होता है, तुम यहाँ बड़ी देर से फँसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जा कर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है।

किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिये को जोर लगा कर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था। वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर किया, उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई, उन्होंने कंधे झुका कर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी।

किसान युवक के सामने हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया। बोला- महाराज,

आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता।

युवक ने हँस कर कहा- अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गम्भीर भाव से कहा नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी।

युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजानसिंह तो नहीं हैं ? आवाज़ मिलती है, चेहरा-मोहरा भी वही। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्करा कर बोला- गहरे पानी में पैठने से ही मोती मिलता है।

निदान महीना पूरा हुआ। चुनाव का दिन आ पहुँचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल ही से अपनी किस्मतों का फ़ैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम, आज किसके नसीब जागेंगे। न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपादृष्टि होगी।

संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह, सब रंग-बिरंगी सज-धज बनाये दरबार में आ विराजे ! उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे।

जब सरदार सुजानसिंह ने खड़े हो कर कहा- मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयो! मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ-साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुणवाले संसार में कम हैं और जो हैं, वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुँच नहीं। मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ-सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ।

रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आँखें उधर उठीं, मगर उन आँखों में सत्कार था, इन आँखों में ईर्ष्या।

सरदार साहब ने फिर फरमाया- आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं ज़ख़्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले के ऊपर चढ़ा दे उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाये, परन्तु दया और धर्म से कभी न हटेगा।"

पंच परमेश्वर कहानी दिखाती-सिखाती-बताती है कि जब हम फैसला करने की जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं तो व्यक्तिगत दोस्ती या दुश्मनी से ऊपर उठकर सोचना होता है। जन प्रतिनिधियों को जीतने के बाद सबका ध्यान रखना होता है चाहे किसी ने वोट दिया हो या न दिया हो। इसी तरह जब गांव न्यायालय बनेंगे तो उसमें पंचों को व्यक्तिगत ईर्ष्या, द्वेष या वैमनस्यता भूलकर न्यायपूर्ण फैसले करने होंगे। पंच परमेश्वर कहानी का सारांश नीचे दिया जा रहा है :-

पंच परमेश्वर (सारांश)

"अलग-अलग धर्मों के दो व्यक्ति जुम्मन शेख और अलगू चौधरी समान विचारों के कारण एक-दूसरे के गहरे मित्र थे। इनकी मित्रता पूरे गांव और आस-पास के क्षेत्र में एक मिसाल थी। दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते थे और पूरा भरोसा करते थे।

जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला (मौसी) थी जिसका अपना कोई न था, अतः उन्होंने जीवन भर रोटी-कपड़ा देने की शर्त पर जुम्मन को अपनी सारी जायदाद लिखा दी। कुछ दिनों तक सब सही चला, किन्तु थोड़ा समय बीतने के बाद मौसी की सेवा में कमी आने लगी और एक समय ऐसा आया कि मौसी का जीना मुहाल हो गया। मौसी ने पंचायत में अपनी गुहार लगाई। पंचायत में जुम्मन ने यह सोचकर कि गलत होने के बावजूद मित्र उनका ही पक्ष लेगा, अलगू चौधरी को पंच नियुक्त किया। लेकिन पंचायत तो न्याय की रक्षक होती है और पंच के मुंह से सत्य के अतिरिक्त कुछ और नहीं निकलता यह भाव मन में आते ही अलगू चौधरी ने न्याय करते हुए जुम्मन को हिदायत दी कि खाला का ढंग से ख्याल रखा जाय नहीं तो उनकी जायदाद वापस हो।

इस फैसले से पूरी पंचायत सुखद आश्चर्य में थी और जुम्मन पर वज्राघात था कि अपने परम मित्र ने ही ऐसा कड़ा फैसला सुना दिया। इस फैसले के बाद दोनों के रिश्तों में एक दरार सी आ गई, बस औपचारिकतावश दोनों लोक-व्यवहार का निर्वहन करते रहे। अब जुम्मन ताक में थे कि कोई ऐसा अवसर आये कि वह अलगू चौधरी से इसका बदला ले सकें। शीघ्र ही ऐसा मौका आ भी गया। हुआ यह कि अलगू चौधरी एक जोड़ी बहुत ही बलिष्ठ बैल लाये जिसके पूरे गांव में चर्चा हो रही थी लेकिन कुछ ही समय में उनमें से एक बैल की अनायास मौत हो गई। अब बचे हुए एक बैल को गांव के ही एक व्यापारी समझू साहू ने खरीद लिया और रुपये बाद में देने को कहा। समझू साहू गांव से घी-गुड़ लादकर शहर को ले जाते थे और वहां से तेल नमक लादकर गांव लाकर बेचते थे। इस स्वस्थ बैल को पाकर उन्होंने बैल के स्वास्थ्य की चिंता किये बिना अब शहर के दिन में कई चक्कर लगाने लगे, लेकिन बैल के चारा-पानी की व्यवस्था ढंग से नहीं की अतः एक दिन अधिक सामान से भरी हुई गाड़ी ढोने के प्रयास में रास्ते में ही बैल की मृत्यु हो गई। समझू साहू ने इसकी जिम्मेदारी अलगू चौधरी पर डाल दी कि उन्होंने उनको ऐसा कमजोर बैल ही दिया था और वह अलगू चौधरी को बैल का मूल्य देने से मना करने लगा। अब अलगू चौधरी ने पंचायत बुलाई तो समझू साहू ने यह जानते हुए कि जुम्मन शेख अलगू चौधरी से बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहा है, बड़ी चालाकी से जुम्मन शेख का नाम पंच के लिए प्रस्तावित कर दिया।

अब न्याय की पीठ पर जुम्मन थे और इस बात का बोध होते ही कि पंचायत न्याय का मंदिर है और पंच के मुंह से सत्य की वाणी निकलती है, जुम्मन ने निर्णय सुनाया कि समझू साहू अलगू चौधरी को बैल का मूल्य दे क्योंकि जब उसने बैल खरीदा

था तो बैल पूरी तरह से स्वस्थ था। बैल को ढंग से न रखने के कारण वह कमजोर हुआ और अधिक बोझ पड़ने पर मर गया। इस फैसले को सुनकर एक बार फिर पंचायत में खुशी की लहर फैल गई। सभी न्याय और सत्य की विजय पर झूमने लगे और पंच को परमेश्वर मानकर उनकी जय बोलने लगे।"

कुछ दिनों पहले पंजाबी के एक रचनाकार श्री गुरूशरण सिंह का साक्षात्कार पढ़ा। उन्होंने अपने लेखन के शुरू के दिनों का किस्सा बताया जब वह नंगल में इंजीनियर थे। एक बार वहाँ एक नये प्रबंधक आये और उनमें तथा वर्कर्स में विवाद हो गया। वर्कर्स हर वर्ष की भाँति उस वर्ष भी किसी पूजा के लिए आधे दिन की छुट्टी चाहते थे जब कि वे प्रबंधक महोदय काम के नुकसान का कारण बताकर छुट्टी देने के लिए तैयार नहीं थे। मामला आगे बढ़ गया। वर्कर्स हड़ताल पर चले गये और कई दिनों के काम का नुकसान हुआ। इसके बाद गुरूशरण सिंह ने एक नाटक लिखा और उस नाटक का नंगल में ही मंचन किया गया। गुरूशरण सिंह को तब बहुत आश्चर्य हुआ जब नाटक देखने के बाद मैनेजमेंट ने कहा यदि उन्होंने इसे पहले देखा होता तो वर्कर्स को उस दिन आधे दिन की छुट्टी दे देते और वर्कर्स ने कहा कि यदि यह नाटक उन्होंने पहले देखा होता तो उस दिन वे मैनेजमेंट के छुट्टी मना करने के बाद भी हड़ताल पर न जाते। और वहीं से गुरूशरण सिंह को जानने-समझाने की आवश्यकता और शब्दों की ताकत का एहसास हुआ। इस घटना से स्पष्ट होता है कि अच्छा साहित्य, सर्वहित का साहित्य लिखना भी जरूरी है और उसे लोगों तक पहुँचाते रहना भी जरूरी है।

अक्सर कहा जाता है कि संतोष बहुत बड़ा गुण है और संतोष के धन से बढ़ कर कोई धन नहीं है। संतोष का धन अच्छा या श्रेष्ठ हो सकता है, यदि तुलना गोधन, गजधन, बाजधन या रतनधन से की जा रही हो। लेकिन स्थितियाँ अगर अत्याचार की, अन्याय की या असत्य की हों, तो वहाँ संतोष कतई नहीं चाहिए। और उन हालात में जो संतोष रखता है वह अपने को धोखा दे रहा है। वहां असंतोष की ही आवश्यकता है। जब चारों ओर सब कुछ गड़बड़.सड़बड़ हो रहा है और लोग चुप हों, तो इस चुप्पी को क्या कहेंगे? इसका कारण? मुझे बेचैन लोग अधिक अच्छे लगते हैं, बिलावजह सोये पड़े लोगों की तुलना में। मुझे सार्थक बेचैनियों की तलाश है।

बचपन में मुझे सुदर्शन की कहानी "हार की जीत" बहुत अच्छी लगती थी। बाबा भारती के वे शब्द कहानी पढ़ने के बाद बहुत देर तक कानों में गूंजते थे "इस घटना का जिक्र किसी से मत करना नहीं तो लोग लूले-लँगड़ों, अपाहिजों और असमर्थ लोगों पर विश्वास करना छोड़ देंगे"। निश्चय ही यह हिन्दी की श्रेष्ठतम कहानियों में से है। आज मीडिया को यह सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी कि लोगों का मनुष्यता व एक-दूसरे पर विश्वास बना रहे। अभी भी धरती अच्छाइयों से भरी है, इस पर विश्वास बना रहे। साथ ही यह भी जरूरी है कि अपने को ठगाने से सावधान तो रहें लेकिन फिर भी यदि हजार बार ठगे जाएँ तो भी अपने अंदर सहयोग का भाव बचाये रखें। आज कबीर के इस दोहे की आवश्यकता कहीं अधिक है :

कबिरा आप ठगाइये, आप न ठगिये कोय।

इसी बात को जिगर ने यूँ कहा है-

मेर दिल से ही तुम मज़े उनके पूछो
ये धोखा जो दानिस्ता हम खा रहे हैं। (दानिस्ता-जानबूझकर)

हार की जीत

"माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवद्-भजन से जो समय बचता, वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे 'सुल्तान' कह कर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख-देखकर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, ज़मीन आदि अपना सब-कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गाँव से बाहर एक छोटे-से मन्दिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। "मैं सुलतान के बिना नहीं रह सकूँगा", उन्हें ऐसी भ्रान्ति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, "ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो।" जब तक संध्या समय सुलतान पर चढ़कर आठ-दस मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता।

खड़गसिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर काँपते थे। होते-होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुँची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुँचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, "खड़गसिंह, क्या हाल है?"

खड़गसिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, "आपकी दया है।"

"कहो, इधर कैसे आ गए?"

"सुलतान की चाह खींच लाई।"

"विचित्र जानवर है। देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे।"

"मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है।"

"उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी!"

"कहते हैं देखने में भी बहुत सुँदर है।"

"क्या कहना! जो उसे एक बार देख लेता है, उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है।"

"बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ।"

बाबा भारती और खड़गसिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़गसिंह ने देखा आश्चर्य से। उसने सैंकड़ो घोड़े देखे थे, परन्तु ऐसा बाँका घोड़ा उसकी आँखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है। ऐसा घोड़ा खड़गसिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात् उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की-सी अधीरता से बोला, 'परंतु बाबाजी, इसकी चाल न देखी तो क्या?"

दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए। घोड़ा वायु-वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर

खड़गसिंह के हृदय पर साँप लोट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी। जाते-जाते उसने कहा, "बाबाजी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूँगा।"

बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़गसिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाईं मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आँखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, "ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना।"

आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, "क्यों तुम्हें क्या कष्ट है?"

अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, "बाबा, मैं दुखियारा हूँ। मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से तीन मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा।"

"वहाँ तुम्हारा कौन है?"

"दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ।"

बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे-धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका-सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़गसिंह था।बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात् कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, "ज़रा ठहर जाओ।"

खड़गसिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गरदन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, "बाबाजी, यह घोड़ा अब न दूँगा।"

"परंतु एक बात सुनते जाओ।" खड़गसिंह ठहर गया।

बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आँखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, "यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा। परंतु खड़गसिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ। इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा।"

"बाबाजी, आज्ञा कीजिए। मैं आपका दास हूँ, केवल घोड़ा न दूँगा।"

"अब घोड़े का नाम न लो। मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना।"

खड्गसिंह का मुँह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड्गसिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हारकर उसने अपनी आँखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दीं और पूछा, "बाबाजी इसमें आपको क्या डर है?"

सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, "लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे दीन-दुखियों पर विश्वास न करेंगे।" यह कहते-कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुँह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही नहीं रहा हो।

बाबा भारती चले गए। परंतु उनके शब्द खड्गसिंह के कानों में उसी प्रकार गूँज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊँचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है! उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नाईं खिल जाता था। कहते थे, "इसके बिना मैं रह न सकूँगा।" इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं। भजन-भक्ति न कर रखवाली करते रहे। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन-दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य, मनुष्य नहीं देवता है।

रात्रि के अंधकार में खड्गसिंह बाबा भारती के मंदिर पहुँचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गाँवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड्गसिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे-धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुँचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड्गसिंह ने आगे बढ़कर सुलतान को उसके स्थान पर बाँध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आँखों में नेकी के आँसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात्, इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पाँव अस्तबल की ओर बढ़े। परंतु फाटक पर पहुँचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन-मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की चाप को पहचान लिया और ज़ोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानों कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार-बार उसकी पीठपर हाथ फेरते, बार-बार उसके मुँह पर थपकियाँ देते। फिर वे संतोष से बोले, "अब कोई दीन-दुखियों से मुँह न मोड़ेगा।"

एक बार मैं बिहार में इलेक्शन आब्जर्वर था। शेपन का समय था। पोलिंग के दिन मेरे आगे तथा पीछे पैरा मिलिटरी की दो-दो ट्रकें व जीप एक कमांडेंट सहित चल रही थीं। दूर-दराज के इलाके में एक पोलिंग बूथ का निरीक्षण करके जब अपनी कार में बैठ रहा था तो मैंने दाहिनी ओर दूर सड़क के किनारे से शोर-सराबा सुना। वहां तमाम सिपाही एक लड़के को घेरे खड़े थे तथा भीड़ थोड़ी दूर खड़ी डरी-सहमी देख रही थी। मैंने एक सिपाही को बुलाकर पूछा कि 'क्या बात है?' उसने कहा, 'वह जो लड़का खड़ा है, देखिये कितने चटख लाल रंग की कमीज पहने हुए है। इस गांव का दादा लगता है। इसकी ठीक से धुनाई कर दी है। अब पूरा गांव बहुत दिनों तक ठीक रहेगा।' सुनकर मैं दंग रह गया।

उस रात मैं सो नहीं पाया। रात भर डायरी लिखता रहा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हमारी कमजोर सी दिखने वाली डेमोक्रेसी कितनी अच्छी है सैन्य तंत्र से। बहुत से लोग जनतंत्र की कमियां देख कर कह उठते हैं कि इससे अच्छा तो मिलिटरी रूल है या ब्रिटिश राज था। लेकिन दोनों की कोई तुलना ही नहीं है। जहाँ केवल कमीज का रंग देखकर पिटाई होती हो और उस पर से कोई सुनवाई भी न हो, उसकी तुलना में जनतंत्र लाख दर्जे अच्छा है। कम से कम न्याय व्यवस्था है, सुनवाई है और हमेशा सुधार की गुंजाइश है और सबसे बड़ी बात अपना राज्य है, व्यवस्था चुनने का अधिकार है।

यदि दो गैस से भरे पात्र हों और उनके बीच में संपर्क बना दिया जाए तो जिस पात्र के गैस में अधिक दबाव होगा वह वहाँ से कम दबाव की ओर प्रवाहित होगा। तो यदि राजनीतिज्ञ अधिक प्रभावशाली हैं तो वे जीवन और समाज को प्रभावित करेंगे और यदि जनता अधिक प्रभावशाली है तो वह जीवन, समाज व राजनीति को प्रभावित करेगी और व्यक्ति शक्तिशाली मात्र अपनी साधना, मेहनत व जानकारी से ही बनता है या बन सकता है। मुझे विश्वास है कि संविधान को पढ़, सुन जान कर जनता शक्तिशाली बनेगी व समाज और राजनीति को प्रभावित करेगी। जनता को आवाज उठाना सीखना होगा। कहीं अन्याय देखें तो चुप नहीं रहना होगा, बल्कि जल्द से जल्द चीखना होगा।

मेरी एक गजल है :- दर्द और चीख़ने के बीच कमतर फासला करना होगा
जुगनुओं को ढूंढ़-जोड़ कर उजाला करना होगा।
कभी तो आँखों को आँसुओं का प्याला करना होगा
और कभी निगाहों को ज्वाला करना होगा।
समाज बचाने को दलदल में कूदने वाले हो
साथ में मज़बूत रिश्तों का मकड़जाला करना होगा।
व्यवस्था में पारदर्शिता की बहुत ज़रूरत है
गुफ्तगू अब खुलकर, बिन मसाला करना होगा।

अंधेरों में चलने का हुनर हमें मालूम है / हाथों में हाथ लेकर क़ाफ़िला करना होगा।
पुराने चलनों को अक्सर बदलना होगा / नये जमाने का चलन निराला करना होगा।
बंद नदियों में जाता नाला करना होगा / उनके जल को नहीं हाला करना होगा।
अब समय आ गया है परिवर्तनों का / अब खेल कुछ निराला करना होगा।
जीतेगा जो प्रकृति से जुड़ा होगा / बच्चे-बच्चे को अब ग्वाला करना होगा।
पूरी दुनिया में कोई भूखा न रहे / हमें छोटा अपना निवाला करना होगा।
हर पत्ते पे लिखी है कहानी जीवन की / हर एक पत्ते को रिसाला करना होगा।
हर एक के दर्द को जब अपना समझेंगे / कई बार गम को ही निवाला करना होगा। •

भाग-10

उपसंहार

यह छोटी सी पुस्तिका अब तक आपके हाथों में रही। उम्मीद है आपने पढ़ी, पुस्तिका ने आपको झकझोरा होगा। आनन्द भी आया होगा। इस पुस्तिका को और अधिक सार्थक बनाने के लिये आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। लेकिन मुख्य बात है कि हमें चुप नहीं रहना है।

आप पूछ सकते हैं कि मैं क्यों गाँव-गाँव जाकर संविधान कथायें कह रहा हूँ? क्यों लगा हुआ हूँ कि संविधान की जानकारी देश के हर नागरिक को हो जाये। इसके कई गहरे कारण हैं। पहला तो यही कि यह हमारा मूल कर्तव्य है कि संविधान की जानकारी हर नागरिक तक पहुँचायी जाये। दूसरा मेरा बचपन गाँव में बीता। आम के पेड़ के नीचे प्राइमरी तक की शिक्षा पाई। जीवन भर न तो उस पेड़ से जुड़ाव कम हुआ और न ही उस गाँव से। मेरे पिता जी गाँव के प्रधान थे, 1947 से मृत्यु पर्यन्त 1974 तक। तो मैंने देखा और जिया था कि प्रधान कैसा होना चाहिए, उसमें कितनी संवेदनशीलता होनी चाहिए? पिता जी कभी प्रधानी के लिए खड़े नहीं होते थे, गाँव के सारे लोग इकट्ठे होकर उनसे आग्रह करते थे कि 'बाबू तू ही प्रधान होवो।' पिता जी, जिन्हें हम बप्पा कहते थे, अक्सर लोगों से कहते 'भइया, अब केव और प्रधान बन जाओ, हममै छुट्टी देव।' लेकिन लोग उन्हें नहीं छोड़ते थे। क्योंकि उन्होंने किसी का अहित नहीं किया, किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी झूठ नहीं बोला। किसी का जानवर या साँड़ वगैरह उनका खेत चर ले और कोई तीसरा देखकर शिकायत लेकर आये तो मुस्करा कर कहते, "भाई, हमार खेतवा चरत बाय, तोहार तो नाहीं न। और भइया जानवरन कै भी तो कुछ हक है न।" अपने खुद के बाग की लकड़ियाँ सबके काम के लिए देते रहते थे। एक गाँव का किसान दाना-दाना बीनकर बच्चों को कैसे पढ़ाता है, यह मैंने देखा है। हम बच्चों की पढ़ाई के लिए अम्मा ने अपने सभी गहने बेच दिए। अक्सर कहा करती थीं कि "बच्चों के पढ़ाई से बढ़कर थोड़े ही ये गहने हैं।" जिस दिन पिता जी ने अंतिम सांसे ली थी, मुझे अच्छी तरह याद है, हम सभी भाइयों से कहा था "देखेव ! गउआँ के प्राइमरी स्कूलवा में 15 अगस्त, 26 जनवरी का मिठाई बटाइब न भूलेव।" इस एक वाक्य में वे कितना कुछ कह गये थे, कितना जोड़ गये थे। एक पेड़ के विवाद में बप्पा को अपने ही पट्टीदार से मुकदमा लड़ना पड़ा। तारीख पर बप्पा जब भी रेलवे स्टेशन के लिए हाथी पर जाते, उन पट्टीदार जी को बुला लेते, दोनों लोग साथ ही हाथी पर आते जाते। लड़ाई मुद्दों की थी, आपसी प्यार व सुविधा का ध्यान हमेशा बना रहा। तो एक ऐसे प्रधान के पुत्र होने के बाद मन में हमेशा ही यह भाव रहा कि पवित्र मन से एक प्रयास तो होना चाहिए अपने लोकतंत्र और संविधान की गंगा को जन-जन तक पहुँचाने की। इस अभियान में इसलिए भी जुटा कि इसे किये बिना नहीं रह सकता। मन को चैन नहीं पड़ता। इसे करने से ही मन को शांति और पूर्णता मिलती है। गाँव में रहते, पढ़ते समय सब कुछ गाँव का बहुत अच्छा था, लेकिन बरसात में जानवरों, आदमी सभी की गन्दगी गली से होकर बहती थी और उसी से होकर आना जाना भी होता था तब इच्छा होती थी 'काश! इस कीचड़ और गन्दगी

से मुक्ति मिल जाती।' बाद में पूरा देश, नगर, महानगर तथा पूरी दुनिया देखने के बाद तीन लाइन की एक हाइकू कविता बनी -

'धरती की कीचड़ देख भागा
तो जहाँ पहुँचा
वहाँ आकाश में कीचड़ था।'

संविधान को ठीक से समझ लिया जाये पालन किया जाये तो निश्चय ही धरती की कीचड़ भी मिटेगी और आकाश की भी।

फिर अनेकों बार इलेक्शन कमीशन के साथ रहा, इलेक्शन आब्जरवर रहा। वह काम मैं पूजा के भाव से करता था। लगता था कि एक मौका मिला है भारतीय जनतंत्र की शुद्धीकरण का। मैंने पूजा, तपस्या के भाव से वह कार्य किया। वहीं से चुनाव में सुधार, अच्छे व्यक्तियों की तलाश, लोग क्या चाहते हैं, सभी विचार आये, अनुभव हुए। जब चेन्नई में पोस्टेड रहा तो पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर टी.एन. शेषन रिटायर होकर वहीं रहते थे। उनसे बातें होती थी। वे अक्सर दुःखी रहते थे कि उन्होंने इलेक्शन की मशीनरी तो ठीक कर दी, अब बूथ कैप्चरिंग, फर्जी वोटिंग तो लगभग बंद हो गयी लेकिन यदि सिस्टम में इनपुट अच्छा नहीं है तो आउटपुट कैसे अच्छा होगा? जब अच्छे लोग चुनाव में भाग नहीं लेंगे तो अच्छे प्रतिनिधि चुने कैसे जायेंगे? मैंने उनसे वादा भी किया था कि जितना मुझसे बन पड़ेगा, करूँगा। आपके अधूरे कार्य को पूरा करने का प्रयास करूँगा। शायद यह पुस्तिका शेषन का दिये गये वादे को पूरा करने का प्रयास है। आप सबसे आग्रह है कि अच्छे लोगों को चुनकर उन्हें प्रत्याशी बनने के लिए प्रेरित करिए और जिताइये।

एक कहानी आपने सुनी होगी, एक जंगल में आग लगी थी, एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर-भर कर लाकर उस पर डाल रही थी। लोगों ने उससे कहा कि चोंच भर-भर कर पानी डालने से क्या आग बुझ जायेगी। तो चिड़िया ने कहा, 'मेरे मन को तो शान्ति रहेगी कि मेरे वश में जितना था उतना तो मैंने किया और क्या पता मेरी देखा-देखी यदि करोड़ों चिड़ियाँ आग बुझाने में लग जायें तो आग बुझ ही जाये।'

मुझे विश्वास है कि उस चिड़िया की तरह यह मेरा छोटा सा प्रयास जनतंत्र को मजबूत करने, जन-जन तक संविधान कथा को पहुँचाने में जरूर सफल होगा और ढेरों चिड़ियाँ इस अभियान में शामिल होंगी, अनुशासित इंकलाब में शामिल होंगी। शीघ्र ही संविधान के ज्ञान और उसकी भावना की बारिश होगी पूरे देश में। अब तक शायद संविधान की जानकारी का सूखा पड़ा था।

मित्र निर्मल ने कहा कि 'भाई साहब संविधान के ज्ञान का दुहरा फायदा है। हमें तो जो खुद को फायदा है सो है ही, लेकिन यदि दूसरों को भी पता है कि हम संविधान को जानते हैं तो वह हमारा शोषण करने से डरेगा। जैसे यदि चोर को पता हो कि अगला जाग रहा है तो वह उस घर में चोरी नहीं करने जाता।'

एक बार दिल्ली के एक बहुत बड़े समागार में अनाथ बच्चे संभव की जीवनी पर आधारित मेरे उपन्यास 'विन विन विन द आर्फन वे' पर चर्चा हो रही थी। कई लोगों ने अपने व्याख्यानों में यह प्रश्न उठाया कि आपने अनाथ बच्चे "संभव" को इतना

सौभाग्यशाली क्यों बनाया है? बचपन में अनाथालय का मैनेजर अच्छा मिल गया, बाद में जिस घर की दुछत्ती में रहा उसकी मालकिन अच्छी मिल गयी। बाद में ढेरों अच्छे-अच्छे दोस्त मिल गये। तो उसको इतने अच्छे लोग जीवन भर मिलते चले गये, यह कहीं जीवन में होता है? वह इतना सौभाग्यशाली कैसे हो गया?' मैने अंत में बोलते हुए अपने उत्तर में कहा था यह अक्सर होता है कि हमें जीवन में ढेर सारे अच्छे लोग नहीं मिलते, इसी लिए तुलना करने पर 'संभव' हमको अपने से अधिक सौभाग्यशाली लगता है। जीवन में हमें कौन-कौन मिलता है, यह हमेशा हमारे वश में नहीं होता, हमारी परिस्थितियाँ, हम कहाँ पैदा हुए, क्या व्यापार या कार्य करते हैं कहाँ आना-जाना हुआ वगैरह-वगैरह यही सब तय करती हैं कि हमें कौन मिलता है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छे ही लोग मिलें, जिससे मिलकर सौभाग्यशाली महसूस करें। लेकिन एक चीज निश्चित है, यदि हम यह फैसला कर लें कि हम जिससे भी मिलेंगे, या हमारा जीवन जिसके भी संपर्क में आयेगा वह अपने को सौभाग्यशाली महसूस करेगा, इतना ही सुनिश्चित कर लें तो एक खुशी की, सौभाग्य की लहर या तरंग उठनी शुरू हो जायेगी। अच्छाई भी संक्रामक रोग की तरह तेजी से फैलती हैं

एक बार एक टोल पर एक कार वाले ने 100 रूपये का नोट दिया, टोल का रेट 50 रूपये था। टोल वाले ने कहा '50 रूपये का चेंज लौटाने को नहीं है, 50 रूपये की टाफियाँ दे दूँ।' उस कार वाले व्यक्ति ने कहा कि 'चलो 100 रूपये रख लो। 50 मेरे और 50 मेरे पीछे वाली गाड़ी के।' जब पीछे वाला 50 रूपये देने लगा तो टोल वाले ने कहा कि 'आपका टोल तो आगे वाले साहब दे गये,' तो उसने कहा 'तो फिर ये 50 रूपये पीछे वाली गाड़ी के लिए रख लो।' इस प्रकार उस दिन सभी ने अपने पीछे वाली गाड़ी का टोल टैक्स दिया। यह दिखाता है अच्छाई की संक्रामकता। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि संविधान कथा या संविधान की जानकारी संक्रामकता के साथ शीघ्र ही पूरे देश में फैल जायेगी।

तो हमें सकारात्मकता को संक्रामक बनाना होगा। हमें इतिहास नहीं भविष्य सुधारना है, बदलना है। बच्चे स्वयं तो पढ़ें ही इस किताब को अपने उन माता-पिता तथा पड़ोसियों को भी सुनायें, समझायें जो पढ़ नहीं सकते।

हो सकता है यह किताब आपको संविधान का पंचतंत्र लगे। हम लोगों का सपना तो यही है कि यह किताब संविधान का पंचतंत्र भी हो और पंचशील भी।

मुझे अपने एक डॉक्टर मित्र के साथ हुई घटना की याद आ रही है, जो कि एक मनोचिकित्सक भी हैं। एक बार उनके एक मित्र ने अपनी माँ को देखने के लिए उन्हें बुलाया, माँ बीमार थी और उनके जोड़ों में असह्य पीड़ा थी। बीस दिनों के अन्दर यूनाइटेड स्टेट्स से उनके पोती-पोते पहली बार आने वाले थे। माँ उनके साथ खेलना चाहती थीं और खूब आनन्द करना चाहती थीं। डॉक्टर ने पूछा ''आप क्या कर रही हैं?''

माँ ने कहा ''मैं दर्द के लिए दवा ले रही हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि वह मुझे दर्द को बर्दाश्त करने की शक्ति दें। लेकिन दर्द कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि आप दवा तो लेती रहिए लेकिन अपनी प्रार्थना बदल दीजिए। यह मत कहिए भगवान से कि वह आपको दर्द सहने की शक्ति दे, आप

भगवान से कहिए कि वह आपको स्वस्थ्य कर दे जिससे कि आप अपने पोते-पोतियों के साथ खेल सकें। आश्चर्य की बात है कि उनका दर्द लगभग गायब हो गया, जब पोते-पोतियाँ आए उनके साथ उन्होंने पूरा आनन्द उठाया। क्योंकि जब हम दर्द बर्दाश्त करने की शक्ति माँगते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हम भगवान से दर्द को बनाये रखना भी माँग रहे होते हैं, अनजाने ही सही।

तो बात यह है कि जो हम माँगते हैं, जिसका हम सपना देखते हैं, जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रयत्न करते हैं वह अधिकतर हमें मिलता हैं यदि हम चाहते हैं कि ऐसे अच्छे लोग सरकार के शीर्षस्थ हों जो लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हों, तो इसके लिए हमे ऐसा सपना पालना होगा, इस बात को हृदय से चाहना होगा, और इस दिशा में कुछ करना होगा। इससे कमतर कुछ सोचने या चाहने से कुछ होने वाला नहीं।

संविधान नेट पर भी उपलब्ध है। यह पुस्तिका तो संविधान के बारे में रुचि जगाने तथा संविधान को जानने की जरूरत का एहसास कराने का प्रयास है। सुधी पाठक, जो संविधान की और विस्तृत जानकारी चाहते हैं, संविधान की मूल प्रति, उस विवेचनात्मक किताबों तथा नेट का सहारा ले सकते हैं।

मेरे इस प्रयास को साकार करने तथा आप तक पहुँचाने में सहयोग रहा है 'सर्व सेवा ट्रस्ट' का। पुस्तक की सुन्दर छपाई और रिकार्ड समय में तपस्या के भाव से पूरा करने में लगने के लिए प्रेम प्रिंटिंग प्रेस के पंकज भार्गव और प्रशान्त भार्गव का विशेष आभार। कवर डिजाइन के लिए सुरेश शुक्ल और सहयोग के लिए करुणा राजवंशी को धन्यवाद। मेरे अंग्रेजी उपन्यास 'विन विन विन द आर्फन वे', जिसके कुछ अंश इस किताब में लिए गये हैं, के हिन्दी रूपान्तरण में डा. आशा गुप्ता, रिटायर्ड प्राध्यापिका इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बहुत सहयोग रहा। उन्हें भी बहुत आभार। पुस्तक तैयार करने में निर्मल दर्शन, मनमीत सिंह सूरी और राजवंशी का बहुत सहयोग रहा। उन्हें भी बहुत आभार। पत्नी रीता, परिवार के अन्य सभी सदस्यों को धन्यवाद, विशेषकर बेटे प्रभव को उसके तकनीकी सहयोग के लिए।

यह किताब नेट पर भी उपलब्ध रहेगी। ताकि सभी लोग पढ़ सकें और प्रचार प्रसार कर सकें। यह पुस्तक इस विश्वास के साथ तैयार की गयी है कि हर व्यक्ति अन्दर से बहुत अच्छा है, जब संविधान की सम्यक जानकारी से उसकी आँखें और मन खुल जायेंगे तो समाज में, देश में खुशहाली अपने आप आयेगी। महादेवी वर्मा की एक कविता है -

'सबकी आँखों में आँसू उजले,
सबके सपनों में सत्य पले।

– गिरीश पाण्डे

लखनऊ
15 अगस्त 2015

परिशिष्ट

जनता अब जनतंत्र की मजबूती के लिए अच्छे और संवेदनशील प्रत्याशियों की तलाश करेगी। इस संदर्भ में मेरी एक कविता 'स्वतंत्रता की यात्रा' के कुछ अंश यहाँ पर उद्धृत किये जा रहे हैं :-

स्वतंत्रता की यात्रा

वर्तमान तो अनन्त है
फूटेगा कोई अंकुर इसी से
और उसी अंकुर में खिलेगा
सभी की स्वतंत्रता का पुष्प
आवाहन है सबका
कि तत्पर हों आत्मसात् करने के लिए
असली स्वतंत्रता और उसके संघर्ष का अर्थ
कि बदलें समाज का चेहरा
बदलें परिभाषा कविता की।

गलत कह दिया गया था
कि वियोगी होगा पहला कवि
और सारे वियोगी कवि बन बैठे।
आज कविता को ज़रूरत है नयी परिभाषा की
स्वतंत्र संवेदनशील और कर्मयोगी ही
होगा पहला कवि
और बहेगा सर्वानन्द उसकी कविता से।

क्या यह सच है कि
आक्रान्ताओं ने फूट डाला और राज्य किया
या सच्चाई का एक पहलू यह भी संभव है
कि हम खुद फूटे हुए थे
या हम यूँ ही फूटे-फूटे ही रहते हैं
इसलिए कोई भी हम पर राज्य कर सकता है।
इस फूट को ख़त्म करने के लिए
अब तक किया ही क्या हमने ?
सम्यक् शिक्षा की कोई व्यवस्था की हमने ?
मात्र खुशियाँ मनाने से,
उत्सव सजाने से
फूटें तो नहीं ख़त्म हुआ करतीं।

सबकी स्वतंत्रता जुड़ी हुई है परस्पर
हमें समझना पड़ेगा इसको गहराई से।
जब हम किसी को करते हैं परतंत्र
तो कहीं गहरे में हम भी
हो रहे होते हैं परतंत्र
भले ही अपनी परतंत्रता
हम न देख पा रहे हों
या मानने को तैयार न हों।
सबकी स्वतंत्रता का जब हम
करने लगेंगे एहसास
तो वही होगा स्वतंत्रता का महापर्व।

अभी हमारा जनतंत्र भी
कहाँ है स्वतंत्र ?
वह तो जकड़ा ही रहता है
किन्हीं न किन्हीं वादों में/
नारों में/भुलावों में
वह तो तभी हो सकेगा स्वतंत्र
जब प्रत्याशी वोट माँगने नहीं जायेगा
बल्कि जनता सही व्यक्ति के पास जायेगी
और विनती करेगी
कि आप हमारे प्रतिनिधि होना स्वीकारें।

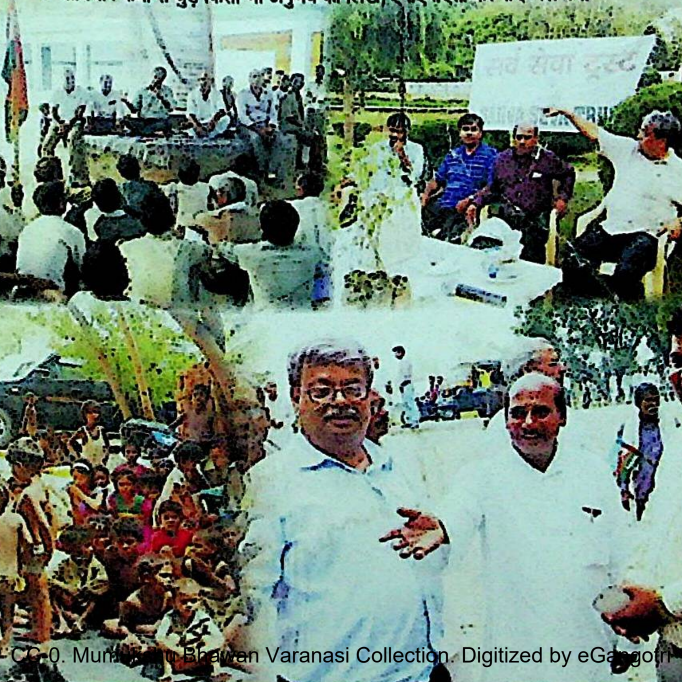
तो जनतंत्र में
उसी दिन होगी स्वतंत्रता अवतरित
जिन दिन सभी एक स्वर से
तलाश के लिए निकल पड़ेंगे
सच्चे प्रतिनिधियों की।
दरअसल, सच्ची एकता ही
सच्ची स्वतंत्रता है ! ❑

आकस्मिक सेवायें : स्थानीय पुलिस - 100, एम्बुलेन्स - 102/108, फायर सर्विस - 101, महिला उत्पीड़न - 1090, बाल उत्पीड़न - 1098, घरेलू हिंसा एवं यौन उत्पीड़न - 181, विष निरोधक - 1066, रेलवे हेल्प लाइन (जी.आर.पी.) - 1512, रेलवे इन्क्वायरी - 139.

- जो लोग पढ़ नहीं सकते, उनके आसपास के लोग पढ़ कर उन्हें सुनायें।
- गाँव शहर हर जगह संविधान की जानकारी फैलाने के लिए संविधान कथायें होनी चाहिए।
- यदि इस पुस्तिका के बारे में कोई सुझाव हो तो निम्न पते पर संपर्क करें या फोन करें :

गिरीश पांडे, बी-19, सेक्टर-ओ, अलीगंज, लखनऊ-226024
फोन : 09415039500, 07054445944, ई-मेल : gnpande@gmail.com

- आप स्वयं भी संविधान कथा/सभाओं का आयोजन करिए, पाठ करिए और उस पर चर्चा, परिचर्चा करिए, यह आपका मूल कर्तव्य है, क्योंकि संविधान में वर्णित पहला मूल कर्तव्य ही यही है –
"भारत के हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।"
पालन करने तथा आदर करने के लिए संविधान को जानना जरूरी है और जब आप स्वयं जान गये हों तो यथासम्भव औरों को जनाना आपका कर्तव्य हो जाता है।
- सर्व सेवा ट्रस्ट ने संविधान को जन-जन तक पहुँचाने का बीड़ा उठाया है। इसमें आपके सहयोग की महती आवश्यकता है। आप सहयोग राशि पंजाब नेशनल बैंक की जानकीपुरम शाखा (आई.एफ.एस. कोड-PUNB0423600) में खाता संख्या 4236000100079985 में भी भेज सकते हैं। सर्व सेवा ट्रस्ट को 80-जी के अन्तर्गत छूट प्राप्त है, जिसका नंबर है- लखनऊ/80जी/2015-16/ 569 दिनांक 9.7.2015। 80-जी की प्राप्ति रसीद तुरंत भेज दी जायेगी।
- संविधान कथा से जुड़े किसी भी अनुभव को लिखें, एस.एम.एस. करें या ई-मेल करें।





संस्थापक, सर्व सेवा ट्रस्ट : गिरीश पाण्डे

जन्मस्थान : गौरा पाण्डे, बस्ती (उत्तर प्रदेश)

जन्मतिथि : १ नवम्बर, १९५४

शिक्षा : गाँव की बेसिक प्राइमरी पाठशाला से आम के पेड़ के नीचे कक्षा ५ तक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बी.एस-सी. एवम् एम.एस-सी. (फिजिक्स); एल्-एल्.बी. एवम् एम्.बी.ए. सरकारी सेवा के दौरान।

कर्मक्षेत्र : लगभग एक वर्ष तक भारतीय वन-सेवा में। १९[illegible] आई.ए.एस्. आदि परीक्षा के आधार पर आयकर विभाग [illegible] प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त।

साहित्यिक : पांच कविता-संग्रह ('यथार्थ के आर[illegible]' 'बोलो धर्मराज', 'कवि होता है किसान', 'गुरौधा झोप्पा' तथा 'धरती जानती है'); दो व्यंग्य-संग्रह ('कुछ माटी की, कुछ कुम्हार की' तथा 'जीवोक्रेसी') तथा शिक्षा-व्यवस्था पर पुस्तक 'तख्ती के अक्षर' प्रकाशित। 'तख्ती के अक्षर' का अंग्रेजी में अनुवाद, 'होलिस्टिक एजूकेशन' तथा उर्दू में 'तख्ती के हुरूफ' के नाम से प्रकाशित। अंग्रेज़ी में मशहूर तथा बहुचर्चित उपन्यास 'विन-विन-विन, द आर्फन वे' प्रकाशित। गज़लों का संग्रह 'अनुशासित इन्कलाब'। कविता विधा के लिए उ. प्र. हिन्दी संस्थान का १९९७ का 'विजय देव नरायण साही पुरस्कार' 'कवि होता है किसान' को तथा व्यंग्य विधा के लिए हिन्दी संस्थान का वर्ष १९९६ का श्री नारायण चतुर्वेदी पुरस्कार 'कुछ माटी की कुछ कुम्हार की' को। इसके पूर्व 'बोलो धर्मराज' तथा 'तख्ती के अक्षर' भी हिन्दी संस्थान से क्रमशः कविता तथा शिक्षा के लिए पुरस्कृत। सभी राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में रचनाएँ प्रायः छपती रहती हैं। दूरदर्शन और रेडियो पर भी कविताएँ, कहानियाँ तथा व्यंग्य समय-समय पर प्रसारित। कई कहानियों का नाट्य रूपान्तरण तथा मंचन। अनेक कहानियों पर टेलीफिल्में। लम्बी कविता 'दधीचि' अनेक [illegible] से मैसूर विश्वविद्यालय में स्नातक हिन्दी पाठ्यक्रम में शामिल। बचपन से साथ में डायरी रही। अनेक संस्थाओं में व्याख्यान होते रहते हैं। लोग घण्टों-घण्टों सुनने को आतुर रहते हैं तथा सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। सुनने के बाद लोग अक्सर कहते सुने जाते हैं 'हम तो प्यास बुझाने आये थे, आपने तो प्यास और भड़का दी।'

रुचियाँ : सम्यक् शिक्षा की कमी सर्वाधिक आन्दोलित करती है। अन्य रुचियां हैं बागवानी, फोटोग्राफी और परिभ्रमण। सभी चीज़ों का एक-दूसरे से अन्तर्सम्बन्ध और जुड़ाव मानने के साथ-साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में निजी सोच है। जीवन-निर्वाह के लिए जिस श्रम की आवश्यकता है उसे 'अर्थ'; समाज तथा विश्व-काल और परिस्थिति से जुड़ने की सम्यक् प्रक्रिया को 'धर्म'; आनन्द, सृजन एवम् मनोरंजन के सम्यक् तथा विविध आयामों को 'काम' तथा अपने अन्दर छिपी हुई समस्त शक्तियों और क्षमताओं का आह्वान एवम् आत्मबोध तथा उन्हें विश्व को सौंप देने को मोक्ष मानते हैं।